भारतीय ग्रन्थ माला; संख्या १४

ब्रिटिश साम्राज्य शासन

लेखक—

दयाशंकर दुबे

एम. ए., एल एल. बी., अर्थ शास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्व विद्यालय

और

भगवानदास केला

रचयिता, भारतीय शासन, नागरिक शिक्षा, आदि

प्रकाशक—

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थ माला, वृन्दावन

मुद्रक—

त्रैलोक्यनाथ शर्म्मा, जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स, मथुरा।

प्रथम संस्करण १२५० प्रति } सन् १९२९ { मूल्य चौदह आने

निवेदन

ब्रिटिश साम्राज्य शासन का विषय भारतीय पाठकों के लिए अत्यन्त महत्व का है। इस विषय पर कुछ लिखने का विचार, प्रथम बार हमारे मन में सन् १९२२ ई० में आया। उसीका यह फल था कि हमने भारतीय शासन का तीसरा संस्करण करते समय उसमें 'इंगलैंड की राज्य व्यवस्था' शीर्षक एक परिच्छेद बढ़ाया। दो वर्ष पश्चात् अपने सुहृद विद्वद्वर श्री पं० दया शंकर जी दुबे, एम. ए. एल-एल. बी. के परामर्श से हमने उस पुस्तक के चौथे संस्करण में उस परिच्छेद को बढ़ाकर 'ब्रिटिश साम्राज्य का शासन' कर दिया। यह इसी शीर्षक से उसके पांचवें संस्करण में रहा, और अब, छटे संस्करण में है।

मान्यवर श्री० दुबेजी के कई बार के अनुरोध से, तथा उनका बहुमूल्य सहयोग प्राप्त करके, विगत वर्ष इस विषय की यह स्वतन्त्र रचना आरम्भ करदी गयी। कुछ लेख समय समय पर 'त्याग भूमि' और 'मनोरमा' आदि में प्रकाशित होते रहे। ईश्वर की कृपा से अब यह पुस्तक, जैसी हमारी वर्तमान परिस्थिति में बन आयी, तैयार है।

विषय महान है, पुस्तक इससे कहीं अधिक बड़ी हो सकती थी, और कुछ अंश में बड़ी हो ही गयी थी। जान बूझ कर यहां विषय परिमित रूप में रखा गया है। बारीकियां छोड़दी गयी हैं। मुख्य मुख्य बातों का ही समावेश किया गया है। हां, जो कुछ लिखा है, उसे स्पष्ट और सरल करने

का विचार रखा गया है । पुनः ब्रिटिश शासन पद्धति का क्रमशः विकास होने के कारण, इसकी विविध संस्थाओं का वर्णन करने के साथ, उनका कुछ ऐतिहासिक परिचय भी आवश्यक समझा जाकर, संक्षेप में दे दिया गया है। निदान यथा शक्ति यह प्रयत्न किया गया है कि पाठकों को विषय आसानी से समझ में आ जाय। इस बात में हमें कहांतक सफलता हुई है, इसका निर्णय सुविज्ञ पाठक स्वयं कर लेवें।

नेशनल कालिज, लाहौर, के भूतपूर्वक प्रिंसीपल, तिलक स्कूल-आफ-पोलिटिक्स के भूत पूर्वक प्रोफेसर, तथा प्रेम महाविद्यालय के वर्तमान आचार्य, श्री जुगल किशोर जी एम. ए. ने इस पुस्तक की भूमिका लिखने की कृपा की है, तदर्थ हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं।

अस्तु, हमें हर्ष है कि क्षुद्र शक्ति और स्वल्प साधन रखते हुए भी, हम हिन्दी माता की गोद में इस विषय की यह छोटी सी भेंट उपस्थित कर सके। हमें ऐसा प्रतीत होरहा है कि इसे प्रकाशित करके हम भारी आर्थिक जोखम उठा रहे हैं, परन्तु ऐसी जोखम उठाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। शायद कभी, कोई हिन्दी-भक्त हमारे इस भार-वाहन में सहयोग करदे, या शायद परमात्मा की कृपा होजाय और हमारी ही शक्ति आगे चलकर कुछ बढ़ जाय। जैसा कुछ सहयोग मिलेगा, और जैसी कुछ शक्ति होगी, अपना कार्य हिन्दी जनता-जनार्दन की सेवा में उपस्थित करते रहेंगे।

भगवानदास केला.

भूमिका

शासन पद्धति और राजनैतिक संस्थाओं के विद्यार्थियों का, अंगरेज़ी शासन पद्धति अध्ययन किये बिना काम नहीं चलता। भारतीय विद्यार्थियों के लिए तो इस विषय के स्वाध्याय का विशेष ही महत्व है। आधुनिक काल की बहुत सी राजनैतिक संस्थाओं को अपने कार्य क्रम की प्रेरणा, वह अच्छी हो या बुरी, अंगरेज़ी शासन पद्धति के उदाहरणों और व्यवहारों से हुई है। हमारी राजनीति की दिशा चाहे जो हो, कमसे कम अगली पीढ़ी के लिए अंगरेज़ी शासन पद्धति के दृष्टान्त हमारे प्रधान पथ-प्रदर्शक रहेंगे। इस लिए मुझे विश्वास है कि इस विषय की सरल सुबोध हिन्दी की रचना को सर्व साधारण, और विशेषतया अंगरेज़ी न जानने वाले, बहुत पसन्द करेंगे।

अंगरेज़ी शासन पद्धति अध्ययन करलेने वाले इस विषय की कठिनाइयों और उलझनों को भली भांति जानते हैं। यह शासन पद्धति अन्य शासन पद्धतियों से बहुत ही भिन्न है। इसका कोई एक लिखित विधान न होने के कारण, इसकी वृद्धि की विविध मंज़िलों का पता लगाना और इसके महत्व की यथेष्ट कल्पना करना कठिन है। इसका क्रमशः विकास हुआ है, इस लिए इसमें कई ऐसी बे-मेल बातें (Anamolies) हैं, जिनका इतिहास जाने बिना समझना कठिन है; और इसकी कई प्रथायें ऐसी हैं जिनकी

अब उपयोगिता नहीं रही है। इसके बहुत से अंश का किसी क़ानून की पुस्तक में समावेश नहीं है; इसका अध्ययन उन प्रचलित रीतियों और व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करके ही किया जा सकता है, जिनका प्रभाव क़ानून से स्वीकृत न होने पर भी, क़ानून के समान है।

अंगरेज़ी शासन पद्धति अध्ययन करने वालों को इसकी वे तीन विशेषतायें ध्यान में रख लेना उपयोगी होगा, जिन पर शासन पद्धति के बड़े बड़े लेखकों ने जोर दिया है :—

(क) इंगलैंड की पार्लिमैंट की प्रभुता निराली है। संसार की कोई व्यवस्थापक संस्था ऐसी सर्व शक्ति-सम्पन्न नहीं है। ब्रिटिश पार्लिमैंट दोनों कार्य कर सकती है; यह शासन पद्धति को भी बदल सकती है और क़ानून भी बना सकती है।

(ख) यहां सब पर क़ानून का राज्य है। क़ानून के सामने सब नागरिक समान हैं। शासकों के लिए यहां विशेष न्यायालय नहीं है। 'हेबियस कोर्पस एक्ट' व्यक्तियों की सरकारी कर्मचारियों से रक्षा करता है। भाषण, सम्मेलन, और लेखन कार्य की स्वतन्त्रता यहां किसी क़ानून से नहीं है, यह तो लोगों का जन्म-सिद्ध अधिकार है। इसलिए इसका सम्मान भी बहुत अधिक है।

(ग) यहां क़ानून की अपेक्षा, प्रथाओं का महत्व अधिक है। उनके कारण क़ानून की वास्तविकता बहुत कम होगयी है। उन्होंने इंगलैंड की राजनैतिक संस्थाओं की शान्ति पूर्वक उन्नति करने में महत्व-पूर्ण भाग लिया है। वे इस बात की द्योतक हैं कि अंगरेज़ जाति में अपने आपको, राजनैतिक जीवन की बदलती हुई स्थिति के अनुकूल बनाने की अद्भुत क्षमता है।

अंगरेज़ी शासन पद्धति की ब्यौरेवार बातों का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठकों को यह पुस्तक अवलोकन करनी चाहिये। मैंने यहां पर केवल उस कार्य की कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया है, जिसका भार श्री० प्रो० दयाशंकरजी, दुबे और श्री० भगवानदास जी केला ने लिया और जिसे इन्होंने ऐसी, सफलता-पूर्वक पूरा किया। मुझे निश्चय है कि हिन्दी जानने वाली जनता इस पुस्तक से से, अधिक से अधिक लाभ उठावेगी। हिन्दी का राजनैतिक साहित्य श्री० केला जी का बहुत ऋणी हैं, और उनकी इस रचना से हम उनके और अधिक कृतज्ञ होगये हैं। स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों, तथा भारतवर्ष आदि की भिन्न भिन्न शासन पद्धतियों के परिच्छेदों से पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गयी है। इससे पाठकों को उन संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, जो अंगरेज़ी शासन पद्धति के आधार पर संगठित हुई है, या जो अपने कार्य क्रम में उससे प्रेरित हुई हैं। भारतवर्ष की भावी शासन पद्धति में अनुराग रखने वालों को अपने निर्णयों पर पहुंचने के लिए इस पुस्तक में बहुत उपयोगी सामग्री मिलेगी।

हिन्दी में ऐसी पुस्तकों का प्रायः अभाव ही है जिनमें इस विषय का ऐसा विशद विवेचन हो। हिन्दी जानने वाली जनता को इस पुस्तक के लेखकों के श्रम और योग्यता के लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिये।

प्रेम महाविद्यालय
वृन्दावन।

जुगलकिशोर,
एम. ए.

— —

सहायक पुस्तकों की सूची

LOWELL A. L. — Government of England.
HOGGAN E. H. — The Govt. of Great Britain
KEITH A. B. — The Constitution, Administration and Laws of the Empire.
ILBERT C. P. — Parliament.
MARRIOT J. A. R. — Mechanism of the Modern State.
BRYCE — Modern Democracies.
BAGEHOT — The English Constitution.
DICEY — Law of Constitution.
MUKERJI P. — Indian Constitution.

प्राणनाथ—शासन पद्धति
बालकृष्ण एम. ए.—स्वराज्य
भगवानदास केला—भारतीय शासन

विविध रिपोर्टें, तथा सामयिक पत्र पत्रिकायें, आदि ।

सहृदय पाठकों से

सज्जनो ! जी चाहता है कि आप से साक्षात कर सकूं, यह जानने का यत्न करूं कि आपको इस माला का कार्य कहां तक रुचिकर है, इसमें आप क्या सुधार और उन्नति चाहते हैं। आपभी मेरी परिस्थिति से परिचित हो जांय, आप जानलें कि क्या क्या कठिनाइयां मेरे सामने हैं, कितनी और कैसी उमंगें हैं, और उनकी तुलना में अब तक कितना क्षुद्र कार्य बन आया है। आशा है, आप इन बातों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके, अवश्य ही मेरे साहित्य कार्य में कुछ अधिक सहयोग करने के अभिलाषी होंगे। परन्तु जब तक आपसे प्रत्यक्ष परिचय न हो, तब तक के लिए पत्र व्यवहार से ही यत्किंचित संतोष किया जा सकता है। क्या आप इसका कष्ट उठावेंगे ?

महानुभाव ! सम्भव है, आप इस माला की पुस्तकों की साधारण सी छपाई आदि देखकर कुछ असंतुष्ट हों, या इन पुस्तकों को और अधिक सस्ता किया जाना चाहते हों। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि विशेष टीप टाप पसन्द न करते हुए भी, मैं, जहां तक हो सकता है, पुस्तकों का रंग ढंग, उनका 'गेट-अप' (Get-up) आदि अच्छा सुन्दर रखने का प्रयत्न करता हूं। परन्तु इससे अधिक अच्छा करने की सामर्थ ही नहीं, किया क्या जाय ? स्वाध्याय के लिए, प्रत्येक पुस्तक की रचना या संशोधन के लिए, सैकड़ों रुपये के ग्रन्थों और रिपोर्टों की आवश्यकता होती है। उनकी

प्राप्ति के वास्ते, मुझे कुछ सुहृदों का सहयोग खोजना पड़ता है। उसके अभाव में पुस्तक पूरी ही नहीं हो पाती। पूरी की हुयी पुस्तकों में से कुछ हर समय धनाभाव के कारण अप्रकाशित पड़ी रहती हैं। ऐसी दशा में बढ़िया छपाई का प्रश्न बहुत कुछ दब जाता है। पुस्तकों का विद्वानों द्वारा स्वागत होते हुए भी, मेरे विज्ञापन न दे सकने आदि के कारण, उनकी यथेष्ठ मांग न होने से, अधिक प्रतियां नहीं छपायी जा सकतीं। इससे, मूल्य और कम करना सम्भव नहीं होता।

अस्तु, इस माला में आखिर इतनी पुस्तकें होगयीं, इसे ईश्वर का (तथा कुछ प्रेमी जनों का) अनुग्रह समझना चाहिये। मेरे मन में कुछ ख़ास ख़ास विषय हैं, उन पर ही कुछ रचनायें पाठकों के सामने रखने का अभिलाषी हूं। मेरी शक्ति से अधिकाधिक लाभ उठाना, आपके सहयोग और सहानुभूति पर निर्भर है। क्या आप अपने शुभ-विचारों से कृतार्थ करने की कृपा करेंगे?

व्यवस्थापक

भारतीय ग्रन्थ माला,

वृन्दावन।

विषय-सूची

प्रथम खंड

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयर्लैंड का शासन

द्वितीय-खंड

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों का शासन

कृपया सुधार कर पढ़ें

निम्न लिखित त्रुटियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं :—

पृष्ठ २४--फुट नोट से ऊपर की पांचवीं पंक्ति में 'लोगों के आने' से आगे 'के पूर्वार्द्ध' नहीं चाहिये।

" " —अन्तिम दो पंक्तियों में 'अधिकतर ज़मीदारों और यह' की जगह 'यह अधिकतर ज़मीदारों और' होना चाहिये।

पृष्ठ ३१--दसवीं पंक्ति में 'सन्तुष्ट' की जगह 'असन्तुष्ट' होना चाहिये।

पृष्ठ १०८-सातवीं पंक्ति में 'स्थायी शासन' की जगह 'स्थानीय शासन' होना चाहिये।

पृष्ठ १३६-नवीं पंक्ति में 'प्रतिनिधि। सभा' की जगह 'प्रतिनिधि सभा!' होना चाहिये।

प्रथम खंड

ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयर्लैंड का शासन

पहला परिच्छेद.

❀ विषय प्रवेश ❀

शासन सम्बन्धी ज्ञान का महत्व—एक भारतीय विद्वान् का कथन है कि सब धर्मों का प्रवेश राज-धर्म में हो जाता है। आज कल इस कथन की सत्यता, थोड़ा विचार करने पर, भली भांति ज्ञात हो सकती है। प्रत्येक देश की आर्थिक, सामाजिक, या धार्मिक उन्नति के विविध कार्य, प्रत्यक्ष या गौण रूप से, राजनीति से सम्बन्ध रखते हैं। नागरिक जीवन की रोज़मर्रा की बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनमें, उनके देश की शासन पद्धति, अनुकूल होने से बहुत सहायक हो सकती है, और, प्रतिकूल होने से, वह बहुत बाधक भी बन सकती है। कुछ नागरिक भले ही यह कहा करें कि हम राजनीति में भाग नहीं लेते, पर सरकार के बनाये हुए क़ानूनों पर उन्हें अमल करना ही पड़ता है। सरकारी कर (टैक्स) उन्हें देने ही होते हैं, अपने भले या बुरे व्यवहार से, चाहे अप्रकट रूप में ही क्यों न हो, वे सरकार को शासन सम्बन्धी नये नियमों के निर्माण के लिए, अथवा पुराने क़ानूनों के परिवर्तन या संशोधन के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक, किसी न किसी अंश में, राजनीति से सम्बन्ध अवश्य रखता है। इस लिए यह आवश्यक

है कि प्रत्येक नागरिक, पुरुष हो या स्त्री, युवक हो या वृद्ध, शासन सम्बन्धी विषयों का यथेष्ठ ज्ञान प्राप्त करे और, उन्हें भली भांति अध्ययन और मनन करे, जिससे वह इस दिशा में अपने कर्तव्यों का उचित रीति से पालन कर सके।

ब्रिटिश साम्राज्य शासन जानने की आवश्यकता— अपने ही देश की नहीं, हमें भिन्न भिन्न देशों की शासन पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिये। इससे हम यह सोच सकेंगे कि किस शासन पद्धति का कौनसा नियम ऐसा है जिसके हमारे देश में प्रचलित हो जाने से हमारा कल्याण होगा, तथा, कौन से नियमों का अनुकरण हमारे देश के लिए अहित-कर होगा। यदि अवकाश के अभाव से हम बहुत से देशों की शासन पद्धतियों का ज्ञान प्राप्त न कर सकें, तो कम से कम ऐसे देशों के विषय में तो हमें अवश्य ही ज्ञान होना चाहिये, जिनसे हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है या जिन की शासन पद्धति का प्रभाव हमारे देश की शासन पद्धति पर बहुत अधिक पड़ता है।

उदाहरण के लिए, पाठक जानते हैं कि वर्तमान अवस्था में भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है। इंगलैंड का बादशाह यहां का सम्राट कहलाता है। वहां की पार्लिमेंट द्वारा स्थिर की हुई शासन नीति ब्रिटिश भारत में प्रचलित है, तथा उस पार्लिमेंट को हमारी देशी रियासतों पर भी महत्व-पूर्ण अधिकार है। अनेक राजनीतिज्ञों का मत है कि भारतवर्ष की शासन पद्धति ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेशों की शासन पद्धति की शैली पर संशोधित की

जाय। साम्राज्य के पराधीन भागों से भी भारतवर्ष का बहुत सम्बन्ध है, उनके कई स्थानों में तो कितने ही भारतीय निवास करते हैं, तथा कुछ वहां जाते आते रहते हैं। इसप्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के सभी भागों से हमारा सम्बन्ध है, और उन सब की शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए उपयोगी तथा आवश्यक है।

साम्राज्य का मातृ-देश—पहले इस साम्राज्य के मातृ-देश की शासन पद्धति जान लेनी चाहिये। अतः इस पुस्तक के प्रथम खंड में इसका ही वर्णन किया जायगा। इसे आरम्भ करने से पूर्व, इस भाग का क्षेत्रफल जन संख्या आदि ज्ञात होजानी चाहिये। ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ-देश में ग्रेट ब्रिटेन (इंगलैंड, वेल्ज़, स्काटलैंड) और उत्तरी आयर्लैंड, तथा मान द्वीप और खाड़ी के द्वीप सम्मिलित हैं। इसे ब्रिटिश संयुक्त राज्य भी कहते हैं। साधारण बोल चाल में इंगलैंड कहने से भी इस सब भू-भाग का आशय लिया जाता है।

साधारण आदमियों की यह धारणा होती है कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य कोई बहुत बड़ा राज्य होगा, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। क्षेत्रफल और जन संख्या की दृष्टि से, ब्रिटिश संयुक्त राज्य बहुत साधारण सा, भारतवर्ष के संयुक्त प्रान्त से भी छोटा,राज्य है। इसके भिन्न भिन्न भागों का पृथक् पृथक् क्षेत्रफल और जन संख्या इस परिच्छेद के अंत में दी हुई है।

भौगोलिक स्थिति—योरप महाद्वीप के पश्चिम भाग में चहुं ओर समुद्र से सुरक्षित, ग्रेट ब्रिटेन एक टापू है। इसके

दक्षिण भाग में इंगलैंड और वेल्ज़ हैं, तथा उत्तर भाग में कुछ ऊंचे पहाड़ों से परे स्काटलैन्ड है। उत्तरी आयर्लैंड के भी कई ओर जल ही है। इन सब भागों का, विशेषतया इंगलैंड का किनारा काफ़ी कटा हुआ है। यहां बन्दरगाह बहुत उत्तम है। नदियों की गति भी साधारणतः जहाज़ों के जाने आने के लिए बहुत अनुकूल है।

ब्रिटिश संयुक्त राज्य योरप, अमरीका, और अफ्रीका के के बीच में ऐसे मौक़े की जगह पर स्थित है कि भिन्न भिन्न देशों का व्यापारिक माल इस राज्य के पास से गुज़रता है, और सब जगहों का माल यहां सुगमता से आ सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यह राज्य समुद्रों के चौराहे पर है। इन कारणों से इस राज्य के निवासियों को संसार के भिन्न भिन्न देशों से व्यापार करके लाभ उठाने की बड़ी सुविधा मिली है। इस राज्य की भौगोलिक स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के निर्म्माण में भी बहुत सहायक हुई है, इसका विशेष विचार आगे, प्रसंगानुसार किया जायगा।

जल वायु और उपज—यहां की जल वायु अधिकतर सर्द है परन्तु अत्यन्त ठंडी भी नहीं है। अतः यहां के लोगों में आलस्य कम होता है और मेहनत करने का उत्साह रहता है। यहां पर अन्नादि खाद्य पदार्थ काफ़ी पैदा न होने से लोगों की, स्थल तथा जल पर जानवरों और मछलियों का शिकार करने की, रुचि हुई। इससे उनके घूमने फिरने का शौक़ बढ़ा।

पुनः यहां पर लोहा और कोयला दोनों वस्तुएं यथेष्ट मात्रा में तथा पास पास ही विद्यमान हैं। जब से लोगों को भाफ के

प्रयोग ज्ञात हुए और कल कारखाने बनाने की सूझी, यहां पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है।

ब्रिटिश संयुक्त राज्य	क्षेत्रफल (वर्ग मील)	जन संख्या (१९२१)
इंगलैंड	५०,८७४	३,५६,७८,५३०
वेल्ज़	७,४६६	२२,०६,७१२
स्काटलैंड	३०,४०५	४८,८२,२८८
उत्तरी आयलैंण्ड	५,५२८	१२,८२,६१८
मानद्वीप	२८७	६०,२३८
खाड़ी के द्वीप	७५	८९,६१४
योग	९४,६३५	४,४२,००,०००

दूसरा परिच्छेद.

ऐतिहासिक परिचय

ब्रिटिश साम्राज्य के मातृ देश—इंगलैंड, वेल्ज़, स्काटलैंड और उत्तरी आयलैंड—की शासन पद्धति का वर्णन आरम्भ करने से, पूर्व हमें यह विचार कर लेना चाहिये कि इस राज्य के भिन्न भिन्न भाग कब और किस प्रकार परस्पर में मिले। इस परिच्छेद में इसी विषय का विचार किया जायगा ; पहले इंगलैण्ड को लेते हैं।

इंगलैण्ड का एकीकरण—अंगरेज़ों का इतिहास पांच दस हज़ार वर्ष का नहीं है । यह डेढ़ हज़ार वर्ष से भी कम का है। उससे पहले अंगरेज़ जाति नहीं थी; इंगलैण्ड के मूल निवासी 'ब्रिटन' कहलाते थे। उन पर रोम वालों का राज्य था। रोम वालों ने ईसा से ५५ वर्ष पहले वहां राज्य करना आरम्भ किया था और लगभग साढ़े चारसौ वर्ष राज्य किया। उन्होंने ब्रिटनों की बहुत कुछ उन्नति की, परन्तु उन्हें सदैव परावलम्बी बनाकर रखा, आत्म रक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब पांचवीं सदी में रोम पर उत्तरीय योरप की असभ्य जातियों ने आक्रमण किया और इंगलैण्ड में रहने वाले रोमन लोग अपने देश में लौट आये, तो बेचारे ब्रिटन असहाय रह गये।

उन पर पहिले तो 'पिक्ट' और 'स्काट' लोगों ने हमला किया। कुछ समय के पश्चात्, सन् ४४९ ई० में वर्तमान काल में 'जर्मनी' कहे जाने वाले देश की ऐल्ब नदी के किनारे के पास की भूमि से, 'ज्यूट' (Jutes) लोगों ने आकर प्रथम वार इंगलैण्ड के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। पीछे क्रमशः 'ऐंगल' (Angles) और सेक्सन (Saxons) लोग आते गये और भिन्न भिन्न भागों पर अधिकार करके पृथक् राज्यों की स्थापना करने लगे। उपर्युक्त तीन जातियों के आदमी कुछ समय परस्पर में लड़ते भिड़ते रहे। आठवीं शताब्दी तक इनके सात पृथक् पृथक् राज्य थे। अन्त में, सन् ८२७ ई० में एग्बर्ट नामक बादशाह समस्त इंगलैण्ड में एक मात्र सर्वोच्च अधिकारी (Overlord) मान लिया गया। यद्यपि उस समय भी कई भागों में पृथक् पृथक् बादशाह थे, उस समय से इंगलैण्ड एक राज्य समझा जाने लगा। 'इंग+लण्ड' शब्द 'ऐंग्लों की भूमि' का द्योतक है।

अंगरेज़ या ऐंग्लो-सेक्सन जाति—नवीं शताब्दी में डेनमार्क (और नार्वे) से आकर 'डेन' लोगों ने इंगलैंड पर आक्रमण किया, और अन्ततः सन्धि करके कुछ भाग में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पीछे ग्यारहवीं शताब्दी में 'नार्मन' लोग इंगलैंड पर आक्रमण करने लगे। नार्मंडी (फ्रांस) के ड्यूक विलयम ने यहां १०६६ में विजय प्राप्त की, और सब भूमि पर अधिकार कर लिया; वह बादशाह बन गया। इस घटना से, तथा इसके पश्चात्, नार्मन लोगों की अच्छी संख्या इंगलैंड में आगयी और यहां निवास करने लगी। ये लोग उसी जाति के थे, जिसके, पूर्वोक्त डेन लोग थे। बादशाह से

ज़मीन पा-पा-कर ये बड़े बड़े सरदार बन गये। इंगलैंड के वर्तमान सरदार घरानों के आदमी प्रायः इन ही के वंशज हैं।

उपर्युक्त सब जातियों-ज्यूट, एंगल, सेकसन, डेन और नार्मन के परस्पर मिल जाने स अंगरेज़ (English) जाति बनी है। इसे एंग्लो-सेकसन (Anglo-Saxon) भी कहते हैं। वास्तव में यह शब्द आरम्भ में आई हुई एंगल और सेकसन जातियों के संयोग का द्योतक है। [नार्मनों के बाद इंगलैंड किसी विदेशी जाति के अधिकार में नहीं आया।

वेल्ज़ की विजय---जब ब्रिटनों पर सेकसन आदि जातियों के आक्रमण हुए तो उनमें कुछ तो खाड़ी पार करके गाल (फ्रांस) चले गये थे और कुछ ने वेल्ज़ के जंगलों में शरण ली थी। वेल्ज़ में अब भी उन प्राचीन ब्रिटनों के वंशज रहते हैं, ये अभी तक अपनी पुरानी भाषा का भी व्यवहार करते हैं। अस्तु, तेरहवीं सदी के अन्त में वेल्ज़ को विजय करके इंगलैण्ड के राज्य में मिला लिया गया। तब से इंगलैण्ड के बादशाह का बड़ा लड़का वेल्ज़ का राजकुमार या प्रिंस-आफ़-वेल्ज़ (Prince of Wales) कहलाता है।

अब हम यह बतलाते हैं कि इंगलैण्ड और वेल्ज़, में स्काटलैंड किस प्रकार मिला।

स्काटलैण्ड का मेल---इंगलैण्ड और स्काटलैण्ड के बीच में ऊंचे पहाड़ होने से, आरम्भ में बहुत समय तक, इन देशों में पारस्परिक सम्बन्ध बहुत कम रहा। कई वार इस

बात का यत्न किया गया कि ये दोनों राज्य मिलजांय। सन् १६०३ई० में इंगलैण्ड की महारानी एलिज़ेबेथ का देहान्त होजाने पर, स्काटलैंड का बादशाह ही निकटतम उत्तराधिकारी होने के कारण, इंगलैण्ड का भी बादशाह बना। स्काटलैंड में वह जेम्स षष्टम कहलाता था, इंगलैण्ड में उसका नाम जेम्स प्रथम रहा। इस प्रकार दोनों राज्यों का एक ही बादशाह होगया, परन्तु दोनों की शासन व्यवस्था तथा क़ानून पृथक् पृथक् रहे। क्रमशः इस नीति की हानियां विदित होती गयीं, तथापि दोनों राज्यों में पारस्परिक मनोमालिन्य रहने क कारण, इनका एकीकरण न हो सका।

अन्ततः सन् १७०७ ई० के क़ानून से दोनों राज्य मिलाये गये। दोनों की नयी सम्मिलित पार्लिमेन्ट का नाम 'ब्रिटिश पार्लिमेंट' होगया, हां क़ानून पद्धति पृथक् पृथक् रही। अभी इन दोनों देशों में इतनी घनिष्ठता नहीं है, जितनी इनके एक राज्य होने से साधारणतया समझी जाती है।

अस्तु, यह स्पष्ट है कि इंगलैण्ड और स्काटलैण्ड को परस्पर में मिले, अभी सवा दो सौ वर्ष भी नहीं हुए। इन दोनों भू-भागों का संयुक्त नाम 'ग्रेट ब्रिटेन' है। 'ग्रेट' का अर्थ बड़ा या महान् है।

उत्तरी आयर्लैण्ड—ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लैण्ड एक दूसरे से पृथक् पृथक् भू-भाग हैं। इन दोनों के बीच में आयरिश सागर है, अतः आरम्भ में बहुत समय तक, इन दोनों में समागम कम रहा। इसके अतिरिक्त इंगलैण्ड आयर्लैंड को अपने

से छोटे दर्जे का मानता था। उसने महारानी ऐलिज़ेबेथ के समय में उसे विजय कर लिया। पश्चात् सन् १७१९ ई० में ब्रिटिश पार्लिमैन्ट ने उसके लिए क़ानून बनाने के सम्बन्ध में अपने अधिकार की घोषणा की, परन्तु दोनों राज्यों के पारस्परिक झगड़ों के कारण ये अलग अलग ही रहे। सन् १७८२ ई० में आयर्लैण्ड की पार्लिमैन्ट स्वतंत्र होगयी। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक वह राज्य आधुनिक स्वाधीन उपनिवेशों की भांति अपना शासन स्वयं करता रहा।

सन् १८०१ ई० में आयर्लैण्ड की अलग पार्लिमैन्ट रहनी बन्द होगयी और वह ग्रेट ब्रिटेन की पार्लिमैन्ट में मिल गयी। उसी में आयलैंड के प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित करदी गयी। दोनों राज्यों का बादशाह भी एक ही होने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम पच्चीस वर्षों में तथा बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में वहां 'होम रूल' (Home Rule) आन्दोलन होता रहा, जिससे अन्ततः महायुद्ध के पश्चात, केवल उत्तरी आयलैंड की पार्लिमैन्ट ही ब्रिटिश पार्लिमैन्ट के अधीन रही और शेष आयर्लैण्ड का 'आयरिश फ्री स्टेट' के नाम से एक स्वतंत्र राज्य होगया। इस स्वतंत्र राज्य का विशेष उल्लेख अन्यत्र किया जायगा।

अस्तु, इस विवेचन से यह ज्ञात होगया कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य के भिन्न भिन्न भाग किस प्रकार (अन्ततः सन् १८०० ई० में) मिलकर, एक राज्य स्थापित हुआ। अगले परिच्छेद से हम इस राज्य की शासन पद्धति का वर्णन आरम्भ करेंगे।

तीसरा परिच्छेद.

अंगरेज़ी शासन पद्धति की विशेषतायें

अंगरेज़ी शासन पद्धति निराले ढंग की, तथा प्रसिद्ध है। लगातार बहुत से परिवर्तनों ने इसे ऐसा बना दिया है कि राजनैतिक व्यवहार के दोनों साधनों—संतोष और असंतोष—को इसमें यथोचित स्थान मिल गया है। इसलिए यह अलंकारिक भाषा में ही नहीं, वास्तव में संसार की ईर्षा की वस्तु बन गयी और अनेक देश इसकी नकल करने लगे।

—सर एच० मेन।

फ्रांस के लोग सुधार न कर राज्य क्रान्ति किया करते हैं, और इंगलैंड के आदमी राज्य क्रान्ति न कर सुधार किया करते हैं।

—नेपोलियन तृतीय।

शासन पद्धति किसे कहते हैं?—इस पुस्तक के इस खण्ड में हम ब्रिटिश संयुक्त राज्य की शासन पद्धति का क्रमशः विवेचन करेंगे। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि शासन पद्धति से क्या अभिप्राय होता है।

प्रत्येक देश का राज्य कार्य तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है:—

(१) व्यवस्था, अर्थात् नागरिकों के सुख शान्ति तथा उन्नति के लिए क़ानून बनाना।

(२) शासन अर्थात् जो क़ानून बनाये गये हैं, उन्हें, अमल में लाना, उनके अनुसार राज्य का प्रबन्ध करना।

(३) न्याय, अर्थात् क़ानूनों के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों को दंड देना, और नागरिकों के विविध क़ानूनी अधिकारों की रक्षा करना।

इन तीन कामों को करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के संगठन, पारस्परिक सम्बन्ध और अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियम समूह को शासन पद्धति कहते हैं।

किसी किसी देश की शासन पद्धति में कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो प्रायः अन्य देशों की शासन पद्धतियों में नहीं पायी जातीं। जिस देश में ऐसा हो, उसकी शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन बातों को भली भांति समझ लेना उचित है। इंगलैंड की शासन पद्धति में ऐसी दो बातें हैं, जिन्हें हम उसकी विशेषतायें कह सकते हैं।

अंगरेजी शासन पद्धति की विशेषतायें--(१) यद्यपि प्रकट रूप से समस्त शासन कार्य बादशाह के नाम से होता है, पर वास्तव में बादशाह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता। क़ानून बनाने, शासन करने, तथा न्याय सम्पादन के लिए, अंगरेज़ी शासन पद्धति के अनुसार पार्लिमैन्ट, मन्त्री मंडल तथा न्याय संस्था उत्तरदायी हैं, और, बादशाह केवल इन संस्थाओं के आदेशानुसार काम करता है।

अंगरेज़ी शासन पद्धति का एक सिद्धान्त यह है कि बादशाह ग़लती नहीं कर सकता। इसका अभिप्रायः यह है कि वह किसी भी राज्य-कार्य का उत्तरदाता नहीं माना जाता। सब कार्यों के उत्तरदाता मंत्री ही होते हैं, और उनकी सम्मति के अनुसार ही बादशाह काम करता है। हां, बादशाह एक काम अपनी इच्छा के अनुसार करता है, वह काम है, प्रधान मंत्री (Prime Minister) का चुनाव। परन्तु इस चुनाव के कार्य की सीमा परिमित रहती है। बादशाह को इस पद के लिए ऐसा व्यक्ति चुनना होता है, जो प्रतिनिधि सभा के अधिकांश सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके; ऐसे व्यक्ति सदैव इने गिने ही होते हैं।

(२) अंगरेज़ी शासन पद्धति की दूसरी विशेषता यह हैं कि यद्यपि अंगरेज़ी शासन पद्धति के कुछ नियम ऐसे भी हैं जिन्हें इंगलैण्ड की प्रतिनिधि सभा ने बनाया है, उसके अधिकांश नियम इस प्रकार हैं जो, किसी ख़ास समय में इस सभा द्वारा नहीं बनाये गये; ये रीति रिवाज पर निर्भर हैं और इनके अनुसार वहां परम्परा से काम होता आ रहा है। देश के लिपि-बद्ध क़ानून में उनका समावेश नहीं है। इसका कारण यह है कि इंगलैंड के प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी किसी ख़ास समय यह निश्चय करके नहीं बैठे कि, आओ अपने देश के राज्य प्रबन्ध के लिए अमुक अमुक विषय के क़ानून बनावें, अब से इस देश का शासन इस नयी पद्धति के अनुसार होना चाहिये। अंगरेज़ी शासन पद्धति के उपर्युक्त नियमों को अपने वर्तमान रूप में आने के लिए यथेष्ठ समय लगा है। इस प्रकार अंगरेज़ी शासन पद्धति का क्रमशः,

धीरे धीरे विकास हुआ है, इसकी स्वाभाविक वृद्धि हुई है। इसलिए आवश्यकता होने पर इसमें परिवर्तन भी आसानी से हो सकता है, उसके लिए घोर आन्दोलन नहीं करना पड़ता।

शासन पद्धति की परिवर्तनशीलता--इसीलिए यहां की शासन पद्धति को परिवर्तनशील (Flexible) कहा जाता है। यह अमरीका आदि देशों की शासन पद्धतियों की भांति स्थिर (Rigid) नहीं है। यहां शासन पद्धति सम्बन्धी नियमों में सुधार करने के लिए विशेष बन्धन नहीं है। मन्त्री मंडल आवश्यकतानुसार उसके संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। इससे उसमें एक दम भी महान परिवर्तन होना, तथा उसका रूपान्तर भी होजाना असम्भव नहीं है। हां, यह केवल सिद्धान्त की बात रही। व्यवहार में, मंत्री मंडल या पार्लिमैंट लोक मत से आगे नहीं बढ़ सकती और लोकमत अधिकतर संरक्षणशील है।

अस्तु, मन्त्री मंडल के प्रस्तावों के अतिरिक्त, न्यायालयों के निर्णय भी यहां शासन पद्धति में परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। पार्लिमैंट के बनाये हुए क़ानूनों का अर्थ लगाने में मत भेद उपस्थित होने की दशा में उसका निर्णय न्यायालय करते हैं। इससे उन क़ानूनों पर न्यायालयों के निर्णयों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार शासन पद्धति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ करते हैं जो बहुधा उस समय तो कुछ विशेष महत्व के मालूम नहीं होते परन्तु कालान्तर में उनसे किसी किसी विषय का काया पलट सा ही हो ज़ाता है।

इससे लाभ; राज्यक्रान्ति का अभाव—शासन पद्धति की परिवर्तनशीलता से इंगलैंड को एक बड़ा लाभ यह है कि यहां जनता की इच्छानुसार सुधार होने की सम्भावना बनी रहती है, इससे जन साधारण को प्रायः क्रान्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उन्हों ने समझ लिया है कि जैसा लोक मत होगा, वैसा नियम पार्लिमेन्ट में बन जायगा। इस लिए वे जब जैसा क़ानून बनवाना चाहते हैं, उसके अनुसार लोकमत तैयार करने तथा जनता को शिक्षित करने में लग जाते हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल न हों, अर्थात् वे लोगों को अपने अभीष्ट नियम की उपयोगिता न समझा सकें तो वे जान लेते हैं कि उस विषय की क्रान्ति करने में जनता हमारे साथ न होगी, और इसलिए क्रान्तिकारी उपायों से भी सफलता न होगी। यही कारण है कि इंगलैंड के इतिहास में यह बात ख़ास तौर से देखने में आती है कि यह देश राजनैतिक क्रान्तियों और उथल पुथल के झगड़ों से प्रायः मुक्त रहा है। वास्तव में इंगलैंड की शासन पद्धति का इतिहास बादशाह की शक्ति कम होकर, उस शक्ति के, प्रजा के हाथ में जाने का इतिहास है। और, यह कार्य क्रमशः, प्रायः मंज़िल दर मंज़िल, और अधिकांश में बिना ख़ून बहाये, हुआ है।

यह शासन पद्धति अलिखित है—अमरीका आदि देशों की शासन पद्धति लिखित (Written) कही जाती है; और इसके विपरीत, इंगलैंड की शासन पद्धति 'अलिखित' मानी जाती है। लिखित शासन पद्धति से अभिप्रायः उस शासन पद्धति से होता है, जिसके अधिकतर क़ानून किसी विशेष समय निर्धारित किये जाकर, लिखे हुए रहते हैं।

अलिखित शासन पद्धति से उस शासन पद्धति का बोध होता है, जो राज्य की रीति रस्म, रिवाज, रूढ़ी या परम्परा के आधार से बनी होती है, जिसके क़ानून सर्व साधारण में लोक मत के अनुसार होने से ही, मान लिये जाते हैं। इन क़ानूनों में से कुछ, सुभीते के लिये लिख भी लिये जाते हैं। इंगलैंड की शासन पद्धति अलिखित मानी जाती है। यहां के कुछ महत्व-पूर्ण क़ानून पार्लिमैन्ट द्वारा खास खास समय पर स्वीकृत किये जाकर लिखे हुए भी हैं। तथापि इसमें संदेह नहीं कि इस शासन पद्धति में रिवाज या रूढी का विशेष भाग है।*

पूर्व इतिहास के जाने बिना इसे भली भांति समझना ही कठिन है। इसलिए इस विषय की पुस्तकों में उसका कुछ ऐतिहासिक परिचय देना अनिवार्य होता है। हमने भी जहां तहां आवश्यक ऐतिहासिक बातें देने का यत्न किया है।

———

* ये रूढ़ियां न पार्लिमैन्ट के बनाये क़ानून हैं और न इंगलैंड के आम क़ानून (Common Law) से ही निकली हैं। उन्हें पालन करने के लिए न कोइ न्यायालय किसी को वाध्य कर सकता है और न उनका उलंघन करने पर कोई दोषी ठहराया जाकर दंडित ही हो सकता है। फिर भी बड़े से बड़े अधिकारी से, साधारण से साधारण व्यक्ति तक को उनका पालन करना पड़ता है। ...... बात यह है कि एक रूढ़ि को तोड़ने से अन्त में देश के किसी न किसी एक या अनेक क़ानूनों के तोड़ने की नौबत आजाती है, जिसके कारण तोड़ने वाले को दोषी रूप से न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ता है।

= सुपार्श्वदास गुप्त।

चौथा परिच्छेद.

बादशाह और गुप्त सभा

" इस देश में बादशाह के कार्य, इच्छायें और उदाहरण वास्तविक शक्ति हैं। वह शासन पद्धति की प्रधान बातों का सच्चा संरक्षक है, जनता उसका महान आदर करती है, तथा उससे अत्यन्त प्रेम भाव रखती है। "

— ग्लैडस्टन.

इस परिच्छेद में ब्रिटिश संयुक्त राज्य के बादशाह तथा उसकी गुप्त सभा (Privy Council) का वर्णन किया जायगा। स्मरण रहे कि बादशाह से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज सिंहासन को सुशोभित करे, वह चाहे पुरुष हो, या स्त्री।

बादशाह निर्वाचित होता है, या वंशानुक्रम से ?; ऐतिहासिक विचार—पहिले हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि इंगलैंड में बादशाह किस अंश तक निर्वाचित होता आया है, और कहां तक वह वंशानुक्रम से अपने पद का अधिकारी होता रहा है। नार्मन लोगों की विजय (सन् १०६६ ई०) से पूर्व, इंगलैंड में बादशाह प्रायः निर्वाचित होता था; परन्तु वह शाही परिवार के व्यक्तियों से ही चुना जाता था। उक्त वर्ष से जागीरदारी (Feudalism) प्रथा आरम्भ होगयी और यह विचार बल पकड़ता गया कि अन्य जागीर की भांति राजगद्दी भी वंशानुक्रम से मिलनी चाहिये।

सोलहवीं और सतरहवीं शताब्दी में वंशानुक्रम अधिकार (Hereditary Right) की अपेक्षा पार्लिमैन्ट के निर्वाचन सिद्धान्त की विजय अधिक रही। सन् १६४९ ई० में बादशाह चार्ल्स प्रथम को प्राण दंड देने से, पश्चात् ग्यारह वर्ष बिना बादशाह के काम चलाने से, १६६० में बादशाह के पद की पुनस्स्थापना करने से, १६८९ में बादशाह जेम्स प्रथम को निकालकर, उसकी जगह विलयम तृतीय को गद्दी पर बैठाने से, और अन्त में १७०१ में उत्तराधिकारी का नियम बना देने से, यह अलिखित, परन्तु असंदिग्ध घोषणा होगयी कि यद्यपि इंगलैण्ड में बादशाहत का अधिकार वंशानुक्रम से माना जाता है परन्तु वह तभी तक राज्य कर सकता है जब तक पार्लिमैंट उसे चाहे।

उत्तराधिकार का नियम—बादशाह के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में पार्लिमैन्ट का अन्तिम क़ानून सन् १७०१ ई० का 'सेटलमैंट एक्ट' (Act of Settlement) है। इससे यह निश्चय किया गया था कि राज्य बादशाह जेम्स प्रथम की पोती, सोफ़िया के वंशजों को मिले। *

उक्त कानून के अनुसार ब्रिटिश राज सिंहासन का अधिकार पैत्रिक अर्थात् वंशागत है। बादशाह का पद किसी को गुण कर्मानुसार नहीं दियाजाता। किसी बादशाह के मरने पर उसके सब से बड़े लड़के को राजगद्दी मिलती है। यदि सब से

* सोफ़िया एक जर्मन रियासत हेनोवर के राज-पुत्र से ब्याही गयी थी। इस प्रकार इंगलैंड के बादशाह हेनोवर वंश के होने आरम्भ हुए। यही वंश अब तक चला जा रहा है।

बड़ा लड़का जीवित न हो तो उसके सब से बड़े लड़के को (और लड़का न होने की दशा में लड़की को) राजगद्दी पाने का अधिकार होता है। यदि बादशाह के बड़े लड़के की कोई सन्तान न हो, तो बादशाह का दूसरा लड़का या उसके जीवित न होने पर उसकी सन्तान अधिकारी होती है। यदि बादशाह का कोई लड़का या उसकी सन्तान जीवित न हो तो बादशाह की सब से बड़ी लड़की या उसकी सन्तान अधिकारिणी होती है। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक राज्याधिकारी को राज्यारोहण के समय यह शपथ लेनी होती है कि वह प्रोटेस्टेंट मत का ईसाई है। यदि वह रोमन केथलिक मत का ईसाई, या किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो तो वह राज्याधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

बादशाह के अधिकार—बादशाह के अधिकार दो प्रकार के होते हैं:—

(१) जो उसे क़ानून द्वारा प्राप्त हैं। ये परिमित हैं।

(२) जो उसे बादशाह होने की हैसियत से प्राप्त हैं। ये अपरिमित हैं।

इनमें से दूसरी प्रकार के (अपरिमित) अधिकारों के अनुसार बादशाह, यदि चाहे तो, पार्लिमैन्ट की अनुमति बिना ही, सेना के हथियार रखवा सकता है, सरकारी नौकरों को बर्ख़ास्त कर सकता है, युद्ध और संधि कर सकता है, साम्राज्य के किसी भी निवासी को सरदार या 'लार्ड' (Lord) बना सकता है, अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है।

इस प्रकार अंगरेज़ी शासन पद्धति के अनुसार चलता हुआ भी, बादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनसे देश की आन्तरिक उन्नति में, तथा उसके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बहुत बाधा पहुंचे। परन्तु वास्तव मे, जैसा कि पहले कहा गया है, आज कल वह कोई भी कार्य अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता; वह अपने अधिकारों को, अपने मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता। बादशाह जो भाषण देता है, वह भी प्रधान मंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा लिखा होता है; उसका अन्य राज्यों से जो पत्र व्यवहार होता है, वह भी मंत्रियों से छिपा नहीं रहता।

व्यवहारिक दृष्टि से, बादशाह के अब केवल तीन अधिकार रह गये हैं:—

(१) प्रत्येक महत्व-पूर्ण शासन कार्य में मंत्री बादशाह की सलाह लेते हैं।

(२) बादशाह आवश्यकतानुसार मंत्रियों को प्रोत्साहन देता है।

(३) आवश्यक जान पड़ने पर, बादशाह मंत्रियों को चेतावनी देता है।

बादशाह और उसके परिवार के निजी खर्च के लिए पार्लिमैन्ट, सिलेक्ट कमेटी की सिफ़ारिश पर, प्रति वर्ष रुपया स्वीकार करती है। इस समय यह रक़म कुल मिलाकर ६,३३,६६६ पौंड, वार्षिक है।

बादशाह के कार्य—बादशाह अपने कार्य, प्रधान मंत्री की सलाह के अनुसार करता है; उनमें से मुख्य मुख्य निम्न लिखित हैं :—

(१) मन्त्रियों को नियुक्त करना।

(२) प्रति वर्ष पार्लिमेंट का उद्घाटन करना।

(३) पार्लिमेंट के अधिवेशन को समाप्त करना।

(४) पार्लिमेंट द्वारा स्वीकृत क़ानूनी मसविदों को स्वीकार करके, उन्हें क़ानून का रूप देना।

(५) प्रधान अधिकारियों तथा न्यायाधीशों को नियत करना।

(६) पादरियों की नियुक्ति करना।

(७) पार्लिमेंट में भाषण देना।

(८) अपराधियों को क्षमा करना, और,

(९) बड़ी बड़ी उपाधियां तथा पदवियां देना इत्यादि।

शासन पद्धति में बादशाह का स्थान—यद्यपि बादशाह सब काम मन्त्रियों के परामर्श से करता है तथापि शासन पद्धति में उसका कुछ न कुछ महत्व रहता ही है। अपने अधिकारों का उचित रूप से उपयोग करके महारानी विक्टोरिया और जार्ज पंचम सरीखे बादशाह इंगलैण्ड के शासन कार्य में बड़ा प्रभाव डालते रहे हैं। मन्त्री मण्डल

बनते हैं और बदलते हैं; मंत्री आते हैं और जाते हैं, परन्तु बादशाह स्थायी है, वह शासन कार्य की शृंखला को बनाये रखता है। वह राज्य के विविध रहस्यों को जानता है, और शासन नीति के व्यवहार के सम्बन्ध में उसका अनुभव, प्रायः मन्त्रियों की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक ही है। विशेषतया वैदेशिक विषयों में तो उसका प्रभाव बहुत ही पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि समझदार बादशाह का प्रभाव, केवल प्रधान मन्त्री को छोड़कर और सब व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक रहता है। यही कारण है कि इंगलैण्ड में यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से बादशाह के अधिकार क्रमशः कम होते गये हैं, परन्तु इसके साथ ही जनता में उसका आदर मान बढ़ता गया है। बादशाह ही ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का प्रत्यक्ष चिन्ह है; सम्पूर्ण साम्राज्य उससे प्रेम करता है।

गुप्त सभा का आरम्भ—बादशाह को अपने शासन कार्य में सलाह देने के लिए एक सभा होती है, जिसे प्रिवी कौंसिल (Privy Council) अर्थात् गुप्त सभा कहते हैं। यह एक पुरानी सभा का क्रमशः विकसित स्वरूप है। नार्मन लोगों के आने के पूर्वार्द्ध तक इंगलैण्ड में विटन सभा (Witange mot) होती थी;* जो बादशाह को आवश्यक विषयों पर सलाह दिया करती थी। नार्मन बादशाहों के समय इसका स्वरूप कुछ बदल गया और अधिकतर जागीरदारों और यह बड़े बड़े पादरियों की एक महासभा

* 'विटन' शब्द का अर्थ बुद्धिमान है। इस सभा में बड़े बूढ़े या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग लिया करते थे।

(Great Council) बन गयी। राज्य या दरबार के पदाधिकारियों में से जो व्यक्ति इस सभा के सदस्य होते थे, और अधिकतर बादशाह के पास रहा करते थे, उनकी धीरे धीरे एक स्थायी कमेटी सी बन गयी। पीछे इस कमेटी के सदस्य भी इतने अधिक होगये कि उन सब का बादशाह से घनिष्ठ सम्बन्ध न रह सका। अतः पंद्रहवीं शताब्दी में बादशाह को सलाह देने वाली इसकी एक और छोटी कमेटी बनी यह 'गुप्त सभा' कहलाने लगी।

आधुनिक स्थिति—इस सभा के अधिकार अब बहुत कम होगये हैं। जब कभी बादशाह को एसी आज्ञा निकालनी होती है, जिसमें इस सभा की अनुमति की आवश्यकता हो तब इस सभा का अधिवेशन किया जाता है। अधिवेशन की सूचना सभा के सब सदस्यों के पास नहीं भेजी जाती। प्रायः छः ऐसे सदस्य बुला लिये जाते हैं जो प्रायः मन्त्री मण्डल के सदस्य होते हैं। उनके उपस्थित होने पर सभा का कार्य होजाता है। बादशाह इस सभा में उपस्थित नहीं होता। इस सभा के सभापति को लार्ड प्रेसीडेंट (Lord President) कहते हैं। यह सदैव मन्त्री मण्डल का सदस्य होता है।

गुप्त सभा के सदस्य—गुप्त सभा के सब सदस्यों की संख्या प्रायः तीन सौ से ऊपर होती है। इसमें निम्न लिखित व्यक्ति होते हैं:—

(१) मंत्री मंडल के सब भूत-पूर्व तथा वर्तमान सदस्य,

(२) मुख्य राज्याधिकारी,

(३) राज परिवार के सदस्य,

(४) कुछ 'बिशप' और 'आर्क बिशप',

(५) बहुत से लार्ड, जिनमें प्रायः वे सब व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने स्वदेश में तथा विदेश में उच्च पदों पर कार्य किया हो,

(६) कुछ मुख्य मुख्य भूत-पूर्व तथा वर्तमान न्यायाधीश,

(७) उपनिवेशों के कुछ राजनीतिज्ञ, और

(८) गुप्त सभा के सदस्य की उपाधि-प्राप्त अन्य सज्जन। [बादशाह को अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को इस सभा का सदस्य बनाये, अथवा किसी सदस्य को इससे पृथक् करदे। प्रायः वे व्यक्ति इस सभा के सदस्य बनाये जाते हैं, जिन्होंने राजनीति, साहित्य, विज्ञान, शासन या युद्ध आदि क्षेत्रों में विशेष सेवा की हो।]

इस सभा के सदस्य आजीवन होते हैं, और 'राइट आनरेबल' (Right Honourable) की उपाधि से सम्मानित होते हैं। सभा के सब सदस्य उस समय आमंत्रित किये जाते हैं, जब नये बादशाह का राज्याभिषेक होता है, और वह प्रचलित क़ानून के अनुसार शासन करने की प्रतिज्ञा करता है। प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन कराने तथा उसे स्थगित कराने के लिए, बादशाह के घोषणा पत्र इसी सभा में तैयार होते हैं।

गुप्त सभा की उपसमितियां—गुप्त सभा की कई एक उपसमितियां हैं। शिक्षा कार्य के लिए शिक्षा-उपसमिति है।

कृषि तथा व्यापार आदि के लिए भी उपसमितियां हैं। न्याय-कार्य के लिए न्याय-उपसमिति है। इन में से न्याय-उपसमिति को छोड़कर शेष उपसमितियां विशेष कार्य नहीं करतीं। उनके कार्यों के लिए भिन्न भिन्न विभागों का संगठन होगया है। प्रत्येक विभाग अपने अपने कार्य का निरीक्षण तथा प्रबन्ध करता है।

न्याय-उपसमिति—यह ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों तथा ब्रिटिश भारत की उच्चतम अदालतों की अपील सुनती है, और साम्राज्यान्तर्गत देशों की सब से बड़ी अदालत है। इसके फ़ैसलों की कहीं अपील नहीं होती। इस में ब्रिटिश उपनिवेशों के मुक़द्दमें तो बहुत कम आते हैं, अधिकतर भारतवर्ष के ही मामले पेश होते हैं। इस उपसमिति में कुछ न्यायाधीश हिन्दुस्थानी भी रहते हैं। इसके सब सदस्यों को वेतन मिलता है।

पांचवां परिच्छेद.

मंत्री मंडल और मंत्री दल.

मंत्री मंडल और मंत्री दल के आधुनिक संगठन आदि का हाल जानने से पूर्व, इन संस्थाओं का कुछ ऐतिहासिक परिचय प्राप्त कर लेना उपयोगी होगा।

ऐतिहासिक परिचय-पिछले परिच्छेद में बादशाह की गुप्त सभा का वर्णन किया गया है। जिन कारणों से 'महासभा' (Great Council) में से गुप्त सभा बनी, उन्हीं कारणों से गुप्त सभा में से एक छोटी कमेटी मंत्री मंडल का उदय हुआ, जिस पर बादशाह का विशेष विश्वास हो सके। शासन पद्धति सम्बन्धी अन्य विषयों की भांति, इंगलैंड की इस संस्था का भी क्रमशः विकास हुआ है।

चौदहवीं शताब्दी तक बादशाह अपने मन्त्रियों को स्वयं चुनता था। मन्त्री भी प्रायः बादशाह की इच्छानुसार काम करने वाले होते थे, चाहे उनके ऐसा करने से राज्य का हित हो या न हो। परन्तु सत्तरहवीं शताब्दी के अन्त में लोगों की यह धारणा हुई कि यदि मन्त्रियों का कार्य प्रतिनिधि सभा के अधिकतर सदस्यों के मत के प्रतिकूल हो तो उन पर अभियोग लगाया जाना चाहिये। इस विषय पर विचार होते होते अन्ततः यह सोचा गया कि ऐसे सज्जनों को मंत्री बनाया जाया करे, जिनके मत से पार्लिमेण्ट के अधिकतर सदस्य सहमत हों। अब यही प्रथा प्रचलित है।

सन् १७१४ ई० में जार्ज प्रथम गद्दी पर बैठा। यह तथा इसका पुत्र जो पीछे जार्ज द्वितीय के नाम से बादशाह बना, अंगरेज़ी भाषा न जानने के कारण मंत्री मंडल या पार्लिमैंट के वाद विवाद में भाग न ले सकते थे। इस लिए इनके समय में राज्य का शासन अधिकार-सूत्र बादशाह के हाथ से निकलकर प्रधान मन्त्री के हाथ में चला गया और मन्त्री-मण्डल के अधिकार बहुत बढ़ गये। यद्यपि पीछे जार्ज तृतीय

ने मन्त्रियों का कुछ विरोध किया, पर वह सफल न हो सका; और उनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती ही चली गयी।

मंत्री दल का निर्माण—जब पार्लिमेंट का नया निर्वाचन होता है, या जब प्रधान मंत्री अपने पद से अस्तीफ़ा देता है, तो बादशाह प्रतिनिधि सभा के ऐसे सदस्य को प्रधान-मंत्री बनाता है जो उस सभा के अधिकतम सदस्यों को अपनी नीति के पक्ष में रख सके। प्रधान मन्त्री अन्य मन्त्रियों को चुनकर मंत्री दल (Ministry) बनाता है। ये अन्य मन्त्री प्रतिनिधि सभा अथवा सरदार सभा के सदस्य होते हैं। मंत्री दल में प्रायः प्रत्येक विभाग के दो दो मन्त्री रहते हैं, एक प्रतिनिधि सभा का सदस्य होता है, और दूसरा सरदार सभा का। इससे यह सुभीता होता है कि दोनों सभाओं में ऐसे आदमी रहते हैं, जिनका भिन्न भिन्न सरकारी विभागों से घनिष्ठ सम्बन्ध हो और जो अपने अपने विभाग से सम्बन्ध रखने वाले उन प्रश्नों का भली भांति उत्तर दे सकें जो उक्त सभाओं के सदस्यों द्वारा समय समय पर उपस्थित किये जांय। विशेषावस्था में ऐसा भी होता है कि मन्त्री दल में ऐसे सदस्य ले लिये जाते हैं, जो पार्लिमेंट के सदस्य नही होते; उदाहरणवत्, गत योरपीय महायुद्ध के समय स्वाधीन उपनिवेशों के प्रधान मन्त्री, मन्त्री दल में ले लिये गये थे।

बहुधा मंत्री उसी दल के होते हैं, जिस दल का सदस्य प्रधान मन्त्री हो; परन्तु विशेष दशा में दो या अधिक दलों के सदस्य भी मन्त्री दल में ले लिये जाते हैं। ऐसे दल को गंगा

जमुनी मन्त्री दल (Coalition Ministry) कहते हैं। चुनाव का यह कार्य बड़े महत्व का होता है, और, सरकार की स्थिरता मन्त्री दल के बुद्धिमत्ता पूर्वक किये हुए चुनाव पर निर्भर होती है। प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुए मन्त्रियों को बादशाह मन्त्री नियत कर देता है।

ब्रिटिश मन्त्री दल में लगभग ५० मन्त्री होते हैं। प्रत्येक मन्त्री को कोई एक राजनैतिक विभाग सौंप दिया जाता है, और, वह उसका उत्तरदायी होता है।

मन्त्री मण्डल—मन्त्री मण्डल या केबिनेट (Cabinet) में मन्त्रीदल के मुख्य मन्त्री रहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। इसका संगठन किसी निर्धारित नियम के अनुसार नहीं होता। गत महायुद्ध काल में इसमें केवल छः सदस्य रहे थे; साधारणतया आज कल लगभग बीस होते हैं। मन्त्री मण्डल, ब्रिटिश शासन सम्बन्धी सब कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति प्रत्तरदाता है। प्रधान मन्त्री सरकार की नीति ठहराता है और विविध राजनैतिक विभागों का निरीक्षण करता है। यद्यपि मन्त्री मण्डल के सदस्य प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं, आवश्यकता होने पर ये बादशाह द्वारा उस सभा को भङ्ग (Dissolve) करा सकते हैं।

उसकी कार्य पद्धति—मन्त्री मण्डल की बैठक में प्रधान मन्त्री सभापति होता है। इस सभा में शासन नीति सम्बन्धी विचार होता है तथा यह निश्चय होता है कि सरकार की ओर से कौन कौन से क़ानूनी मसविदे या

प्रस्ताव पार्लिमेंट में उपस्थित किये जांय। प्रत्येक मन्त्री अपने अपने विभाग का उत्तरदाता होता है, और, उससे सम्बन्ध रखने वाली साधारण बातों का स्वयं निर्णय करता है, परन्तु प्रत्येक विभाग की ऐसी बातों का निर्णय जिनका अन्य विभागों से भी सम्बन्ध हो, मन्त्री मण्डल की बैठक में होता है। मन्त्री मण्डल में प्रत्येक बात का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार नहीं होता। प्रधान मन्त्री तथा कुछ खास ख़ास मन्त्रियों के मत को अधिक महत्व दिया जाता है, और प्रायः सब बातों का निर्णय उन्हीं के मतानुसार होता है। यदि कोई मन्त्री इनके निर्णय से सन्तुष्ट हो तो वह अपने पद से अस्तीफ़ा देने में स्वतन्त्र है, परन्तु जब तक वह अपने पद से पृथक् न हो, उसका कर्तव्य है कि वह पार्लिमेंट में प्रधान मन्त्री का साथ दे और उसका समर्थन करे।

मंत्री मंडल की सब कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। यदि किसी विषय के सम्बन्ध में मंत्री मंडल के सदस्यों में मत भेद हो तो वह भी गुप्त रखा जाता है। पार्लिमेन्ट में तो सब मंत्री प्रधान मंत्री के मत के अनुसार ही काम करते हैं। हां, यदि कोई मंत्री मत-भेद के कारण अस्तीफ़ा दे तो उसे अधिकार रहता है कि वह अस्तीफ़ा देने के कारणों को पार्लिमैन्ट में प्रगट करदे। यदि कोई मन्त्री ऐसा काम करे, जो मंत्री मंडल की एकता के विरुद्ध हो तो प्रधान मंत्री को अधिकार है कि उस मंत्री को अस्तीफ़ा देने के लिए वाध्य करे।

मन्त्री मंडल के निर्णयों का कोई लिखित विवरण नहीं रखा जाता। महत्व-पूर्ण निर्णयों की सूचना, प्रधान मन्त्री बादशाह को दे देता है।

मंत्री मंडल और बादशाह का सम्बन्ध—जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बादशाह शासन सम्बन्धी सब कार्य, मंत्री मंडल के मन्तव्यों तथा प्रधान मंत्री के परामर्श के अनुसार, करता है। यदि वह चाहे तो वह ऐसा करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रधान मंत्री अपने पद से अस्तीफ़ा देदेता है और, इसके फल स्वरूप सभी मंत्रियों को अस्तीफ़ा देना होता है और बादशाह को नये प्रधान मंत्री का चुनाव करना होता है । नया प्रधान मंत्री नये मंत्री दल का चुनाव करता है । यदि नये प्रधान मंत्री का मत पुराने प्रधान मंत्री के अनुसार ही रहे तो बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी बात मान लेनी पड़ती है या पार्लिमेंट को भंग करना होता है। बादशाह पार्लिमेंट को ऐसी दशा में ही भंग करता है जब कि उसे इस बात का विश्वास हो कि जनता नये चुनाव में बादशाह के निर्णय का समर्थन करेगी।

पार्लिमेंट के नये चुनाव के बाद नया प्रधान मंत्री चुना जाता है, और वह अपना नया मंत्री दल चुनता है। यदि यह प्रधान मंत्री भी पुराने मधान मंत्री की नीति का समर्थन करे तो बादशाह को अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी बात माननी पड़ती है, अन्यथा, जनता के प्रतिनिधियों से उसका विरोध होने की सम्भावना होती है। प्रायः कोई बादशाह यह विरोध होने देना नहीं चाहता, क्यों कि वह जानता है कि भूत काल में ऐसे विरोध के कारण एक बादशाह (चार्ल्स प्रथम) को अपना सिर देना पड़ा और दूसरे बादशाह (जेम्स द्वितीय) को अपना सिंहासन खोना पड़ा था। इसी लिए बादशाह

साधारणतः अपनी इच्छा के अनुसार शासन कार्य नहीं करता, वरन् प्रधान मन्त्री और मन्त्री मण्डल के मन्तव्यों के अनुसार सब कार्य सम्पादन करता है।

इस विचार से कुछ लोग इंगलैण्ड के बादशाह को मन्त्री मण्डल के हाथ की कठपुतली कहते हैं, परन्तु वास्तव में, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, बादशाह का वैयक्तिक प्रभाव शासन सम्बन्धी कार्यों में थोड़ा बहुत अवश्य रहता है।

मन्त्रीदल और पार्लिमैंट का सम्बन्ध—प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग के लिए, और सम्पूर्ण मन्त्रीदल शासन नीति के लिए, पार्लिमैंट के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मन्त्रीदल प्रतिनिधि सभा में हार जाय तो प्रधान मन्त्री अपने पद से अस्तीफ़ा दे देता है और मन्त्रीदल भङ्ग (Dissolve) होजाता है। स्मरण रहे कि शासन पद्धति का कोई ऐसा नियम नहीं है कि उपर्युक्त परिस्थिति में प्रधान मन्त्री और मन्त्रीदल को अस्तीफ़ा देना ही पड़े, परन्तु प्रचलित प्रथा (Convention) के अनुसार वे अस्तीफ़ा दे देते हैं। यदि वे अस्तीफ़ा न दें, तो वार्षिक खर्च की मांगों की स्वीकृति के समय, प्रतिनिधि सभा उनका वेतन तथा उनके विभाग की मांग स्वीकार न करे और उनका शासन कार्य चलना असम्भव होजाय। परन्तु ऐसा होने का अवसर नहीं आता, मन्त्रीदल पहले ही अस्तीफ़ा दे देता है। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि पार्लिमैन्ट का मन्त्रियों पर पूर्ण प्रभुत्व है। जब कभी कोई मन्त्रीदल, अपना कार्य क्रम स्वीकार न करा सकने के कारण, भङ्ग होगा

तो पार्लिमैन्ट को नया प्रधान मन्त्री चुनने का भार ग्रहण करना होगा। यदि इस नये प्रधान मन्त्री के बनाये हुए नये मन्त्रीदल का भी कार्यक्रम स्वीकृत न किया गया तो कोई व्यक्ति सहसा प्रधान मन्त्री के पद को ग्रहण करना स्वीकार न करेगा, और शासन यन्त्र चलने में वाधा उपस्थित होने की शंका होगी। इस लिए पार्लिमैंट में साधारणतया मन्त्री जो प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, वे पार्लिमैंट में स्वीकृत होजाते हैं। इसके विपरीत, यदि पार्लिमैंट का कोई सदस्य अपना प्रस्ताव उपस्थित करना चाहे, और मन्त्रीदल उसके विरुद्ध हो, तो उसके स्वीकृत होने की सम्भावना बहुत कम होती है।

मन्त्री मण्डल के पदाधिकारी—मन्त्री मण्डल के पदाधिकारी और उनका कार्य निम्न लिखित है :—

१-प्रधान मंत्री और प्रधान कोषाध्यक्ष-प्रधान मंत्री के कार्य बताये जा चुके हैं। यह पद अवैतनिक है। वेतन के लिए प्रधान मन्त्री कोई ऐसा अन्य पद ले लेता है जिसका काम अधिक न हो। बहुधा वह प्रधान कोषाध्यक्ष बन जाता है। वह प्रतिनिधि सभा का नेता भी माना जाता है।

२-लार्ड प्रेसीडैंट-आफ़-दि-कौंसिल (Lord President of the Council)—यह प्रिवी कौंसिल (गुप्त सभा) का सभापति होता है। इसे विशेष कार्य करना नहीं होता; यह विचार किया करता है।

३-लार्ड चान्सलर (Lord Chancellor)—यह सरदार

सभा का, तथा ब्रिटिश संयुक्त राज्य के न्याय विभाग का प्रधान होता है और न्यायाधीशों को नियत करता है। इसके अतिरिक्त, यह सरकार का मुख्य क़ानूनी सलाहकार होता है, राजकीय मोहर इसी के पास रहती है। यह पद रोमन कैथलिक ईसाई को नहीं मिलता।

४-लार्ड प्रिवी सील (Lord Privy Seal)-सन् १८८४ ई० से पहले यह पदाधिकारी बादशाह के हस्ताक्षर किये हुए महत्व पूर्ण आज्ञापत्रों पर मोहर लगाता था, और इस लिए उन आज्ञापत्रों का उत्तरदायी समझा जाता था। परन्तु उक्त वर्ष से इस मोहर की आवश्यकता न रही और यह कार्य भी न रहा। अब यह पद मन्त्रीदल के किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाता है जो अपना सब समय राष्ट्र की शासन सम्बन्धी बातों पर विचार करने में लगादे। प्रायः इस पद वाला मन्त्री सरदार सभा का नेता भी होता है। मन्त्री मण्डल में इसके विचारों का बड़ा महत्व है।

५-अर्थ मन्त्री या चान्सलर-आफ़-ऐक्सचेकर (Chancellor of Exchequer)—अर्थ विभाग का सब कार्य इसके अधीन होता है। यही बजट तैयार करता है, और पार्लिमेंट में पेश करता है।

६-स्वदेश मन्त्री या होम सेक्रेटरी (Home Secretary)—इसका कार्य, प्रबन्ध करना और शान्ति रखना है। पुलिस, जेल, सुधार गृह या रिफ़ार्मेटरी (Reformatory)

आदि इसके अधीन होती हैं। यह खान, कारखाने आदि विविध औद्योगिक संस्थाओं के इन्स्पेक्टरों को नियत करता और उनके कार्य को देखता है। यह इस बात का भी प्रबन्ध करता है कि विदेशियों को किन किन नियमों का पालन करने से नागरिक के अधिकार दिये जांय, तथा किन विदेशियों को इंगलैण्ड में रहने ही न दिया जाय।

७-विदेश मन्त्री--यह इस बात का निश्चय करता है कि इंगलैण्ड की अन्य राज्यों से क्या नीति रहनी चाहिये। किसी राज्य से युद्ध करना, या (युद्ध करके) शान्ति करना, अथवा सन्धि करना उसका कार्य है। वास्तव में इस प्रकार के महत्व-पूर्ण विषयों का निश्चय तो मन्त्री मण्डल में ही होता है, विदेश मन्त्री उस निश्चय को कार्य रूप में परिणत करता है। इंगलैण्ड का अन्य देशों से जो राजनैतिक पत्र-व्यवहार होता है, उसका भी उत्तरदाता विदेश मन्त्री ही होता है।

८-युद्ध मन्त्री--यह फ़ौज-विभाग सम्बन्धी सब कार्य का उत्तरदाता होता है।

९-वायुयान मन्त्री—इस पद की स्थापना थोड़े ही समय से हुई है।

१०-उपनिवेश मन्त्री-यह साम्राज्य के स्वाधीन भागों के शासन में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परन्तु अन्य उपनिवेशों के सुशासन और उन्नति के लिए ब्रिटिश पार्लिमेन्ट के प्रति उत्तरदायी होता है।

११-भारत मन्त्री—यह भारतवर्ष के सुशासन, शांति और उन्नति के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार को इसकी आज्ञानुसार कार्य करना होता है। इसे अपने कार्य में सहायता देने के लिए एक सभा रहती है, जिसे इंडिया कौंसिल (India Council) कहते हैं।

१२-व्यापारिक बोर्ड का सभापति—इसका मुख्य कार्य इंगलैण्ड के विदेशी व्यापार को बढ़ाना और प्रोत्साहन देना है।

१३-नौ सेना का प्रधान—यह जल सेना विभाग सम्बन्धी मन्त्री है।

१४-अटार्नी जनरल (Attorney General)—यह, सरकार को इस विषय में सलाह देता है कि अमुक मुक़द्दमा चलाया जाय या नहीं। यह फ़ौजदारी तथा दीवानी मामलों में पैरवी कराने का प्रबन्ध करता है।

१५-लेंकेस्टर की डची का चान्सलर—(Chancellor of the Duchy of Lancaster)। यह बादशाह की निजी रियासत का प्रबन्ध करता है। इस पद का कार्य अधिक नहीं रहता, इस लिए यह मन्त्री अपना समय शासन सम्बन्धी बातों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने में लगाता है। मन्त्री मंडल में इसके मत को बहुत महत्व दिया जाता है।

निम्न लिखित पदाधिकारियों का कार्य उनके नाम से स्पष्ट है :—

१६—स्काटलैण्ड का मन्त्री।

१७—शिक्षा मन्त्री।

१८—स्वास्थ मन्त्री।

१९—कृषि मन्त्री।

२०—मज़दूर-विभाग मन्त्री।

२१—निर्म्माण-विभाग मन्त्री।

मन्त्रीदल के अन्य पदाधिकारी—पहले कहा जा चुका है कि मन्त्री मण्डल के सब सदस्य मन्त्रीदल से ही लिये जाते हैं। उनके अतिरिक्त, मन्त्रीदल में ऐसे पदाधिकारी भी रहते हैं जो मन्त्री मण्डल के सदस्य नहीं होते। ऐसे वर्तमान पदाधिकारियों की सूची नीचे दी जाती है :—

१—पेंशन विभाग का मन्त्री।

२—पोस्ट मास्टर जनरल।

३—आमदरफ्त (Transport) विभाग का मन्त्री।

४—क़ानूनी सलाहकार या सालिसिटर जनरल (Solicitor General)।

५—वेतन विभाग का प्रधान।

६—नौ सेना का लार्ड।

७—कोष विभाग का अर्थ मन्त्री।

८—युद्ध विभाग का अर्थ मन्त्री।

९—खनिज विभाग का मन्त्री।

१०—वायुयान विभाग का उपमन्त्री।

११—उपनिवेश „ „ „

१२—स्वाधीन-उपनिवेश विभाग का उपमन्त्री ।

१३—विदेश " " "

१४—स्वदेश " " "

१५—युद्ध " " "

१६—नौ सेना " " "

१७—कृषि " " "

१८—शिक्षा " " "

१९—स्वास्थ्य " " "

२०—मज़दूर " " "

२१—पेन्शन " " "

२२—पोस्ट आफिस " " "

२३—व्यापार " " "

२४—विदेशी व्यापार " " "

२५—आमदरफ्त " " "

२६—अर्थ " " "

२७—भारतवर्ष ... " "

२८—स्काटलैण्ड ... " "

मन्त्रीदल और सरकारी कर्मचारी—शासन कार्य के प्रत्येक विभाग में एक मन्त्री के अधीन कई एक स्थायी सरकारी कर्मचारी रहते हैं। मन्त्री तो अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है, और, उस नीति के अनुसार शासन

कार्य करना स्थायी सरकारी कर्मचारी का काम है। ये कर्मचारी अपने पद पर बराबर बने रहने के कारण अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत सी बारीकियों को जानते हैं। मन्त्री मण्डल समय समय पर बदलते रहते हैं। नये नये मन्त्री नियुक्त होते हैं, इन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं होसकता। वे अपने कार्य के लिए उक्त कर्मचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कर्मचारियों की ही बदौलत शासन कार्य की शृंखला (Continuity) बनी रहती है।

यदि कोई मन्त्री अपने विभाग की भीतरी बातों (Details) में हस्तक्षेप करने लगे तो सरकारी कर्मचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बात बतला सकते हैं कि मन्त्री फ़ाइलों के बोझ से दब जाय, उसे पार्लिमैन्ट के आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे और, अन्त में लाचार होकर उसे सरकारी कर्मचारियों की ही शरण लेनी पड़े।

यदि सरकारी कर्मचारियों का कार्य सन्तोषप्रद न हो तो मन्त्री उन पर जुर्माना कर सकता है, वह उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई त्रुटि होजाय तो उसके लिए मंत्री ही उत्तरदायी समझा जाता है उसके अच्छे कार्य का श्रेय भी मन्त्री को ही मिलता है। सरकारी कर्मचारी को उसका पुरस्कार वेतन-वृद्धि या पदवी के रूप में प्राप्त होता है। कोई सरकारी कर्मचारी प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकता।

सिविल सर्विस—भिन्न भिन्न सरकारी विभागों के

लिए जिन स्थायी सरकारी कर्मचारियों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे अधिकतर सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा पास होते हैं, अर्थात् जिस वर्ष जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उस वर्ष उतने आदमी उन व्यक्तियों में से ले लिये जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दी हो, और क्रमानुसार अधिक से अधिक नम्बर पाये हों। कुछ ऊंचे पदों पर, उनसे नीचे पद वालों को तरक्की देकर, नियुक्ति की जाती है।

इन स्थायी कर्मचारियों के पदों का वेतन निश्चित रहता है और वह क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से पृथक् नहीं किये जाते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहें। जब ये नौकरी से अवकाश ग्रहण करते हैं, तो इन्हें पेन्शन मिलती है।

छटा परिच्छेद.

प्रतिनिधि सभा का संगठन

उत्तम शासन पद्धति का आदर्श यह है कि प्रभुत्व या अन्तिम नियन्त्रण शक्ति जनता की हो, प्रत्येक नागरिकों को न केवल उस प्रभुत्व के उपयोग में मत देने का अधिकार हो, परन्तु उसे समय समय पर कोई स्थानीय या देशीय सार्वजनिक कार्य करके शासन में वास्तविक भाग लेना पड़े। —जे० एस० मिल।

प्राक्कथन—ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी क़ानून बनाने वाली संस्था पार्लिमेंट है। आधुनिक काल की अन्य देशों की व्यवस्थापक संस्थाओं में यह बहुत पुरानी है, और कई देशों ने इसके नमूने पर अपनी अपनी व्यवस्थापक संस्थाओं की रचना की है। इस लिए इसे 'पार्लिमेंटों की जननि' (Mother of Parliaments) कहा जाता है।

यद्यपि साधारण बोल चाल में पार्लिमेंट से उसकी एक ही सभा (प्रतिनिधि सभा) का अभिप्राय होता है, वास्तव में उसकी दो सभायें हैं, (१) प्रतिनिधि सभा या 'हाउस-आफ़-कामन्स' (House of Commons) और, (२) सरदार सभा या 'हाउस-आफ़-लार्ड्स' (House of Lords)। पार्लिमेंट के आधुनिक संगठन आदि के सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे। पहले यह जान लेना चाहिये कि पार्लिमेंट का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, तथा कैसे इसे अपना वर्तमान स्वरूप मिला।

पार्लिमेंट की प्रारम्भिक स्थिति—ऐंग्लो-सेक्सन काल में अर्थात् दसवीं शताब्दी तक, इंगलैंड में बादशाह ही सब नियमों को बनाता या बनवाता था। हां, वह मुख्य मुख्य नियमों में, तथा असाधारण करों के निर्धारित करने में, 'विटन-सभा' की सलाह ले लिया करता था, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ग्यारहवीं शताब्दी में राज्याधिकार नार्मन बादशाहों के हाथ में चला गया। इन्होंने इंगलैंड की भूमि, अपनी इच्छानुसार अपने अनुचरों या सैनिक सेवा करने वालों में विभक्त करदी। इनके समय में 'विटन-सभा'

का स्थान महासभा (Great Council) ने ले लिया। इस सभा के सदस्य जागीरदार, सरदार, प्रधान लाट पादरी, और लाट पादरी आदि बड़े बड़े आदमी होते थे।

बारहवीं शताब्दी में कुछ बड़े बड़े लोगों में यह भाव फैला कि कर निर्धारित करने का अधिकार उन्हें ही होना चाहिये, बादशाह को नहीं। पीछे, उन्होंने आवश्यकता समझ लेने पर, जन साधारण को भी अपने साथ मिला लिया; और, वे सम्मिलित शक्ति से बादशाह का विरोध करने लगे। अन्ततः सन् १२१५ ई० में प्रजा ने जोह्न बादशाह पर विजय पायी और, उससे बल पूर्वक 'मेगना चार्टा' (Magna Charta) नामक महान अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया।

दो सभायें—इस अधिकार पत्र के अनुसार यह व्यवस्था की गयी कि बड़े बड़े ताल्लुक़दार (Barons) पृथक् आमंत्रण पत्रों (Summons) द्वारा बुलाये जांय और छोटे ताल्लुक़-दार आदि प्रान्तीय शासकों अर्थात् शेरिफ़ों (Sheriffs) के पास भेजे हुए साधारण पत्रों (General Writs) द्वारा। क्रमशः छोटे ताल्लुक़दारों का अपने क्षेत्र के निवासियों में से निर्वाचन होने लगा और सभा में इनके बैठने का अलग प्रबन्ध होगया। इस प्रकार महासभा के, जो इस समय पार्लिमेंट कही जाने लगी थी, दो भाग होगये, एक का नाम हुआ सरदार सभा या हाउस-आफ़ लार्ड्स (House of Lords), दूसरी का नाम पड़ा प्रतिनिधि सभा अर्थात् हाउस-आफ़-कामन्स (House of Commons)।

इस परिच्छेद में प्रतिनिधि-सभा का वर्णन किया जाता है, सरदार सभा का वर्णन आगे किया जायगा।

प्रतिनिधि सभा का संगठन—इस सभा के सब सदस्य निर्वाचित होते हैं। सदस्यों की संख्या अब ६१५ है। ये सदस्य नीचे लिखे अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों के प्रतिनिधि होते हैं:-

४९३ इंगलैंड और वेल्ज़ के,

७४ स्काटलैंड के, और

४८ उत्तरी आयर्लैंड के।

इन सदस्यों का निर्वाचन प्रति पांचवें वर्ष होता है। यह समय पार्लिमेण्ट की आज्ञा से बढ़ाया जा सकता है। प्रधान मन्त्री की सिफ़ारिश से, बादशाह नया निर्वाचन पांच वर्ष से पहले भी कर सकता है।

प्रत्येक सदस्य को भाषण-स्वातंत्र्य है, अर्थात् उस पर अपने भाषण के लिए राजद्रोह या मान-हानि का अभियोग नहीं चल सकता। वह दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सन् १९११ ई० से प्रत्येक सदस्य को ४०० पौंड प्रति वर्ष मिलते हैं।

निर्वाचक होने के लिए अयोग्यतायें—निम्न लिखित व्यक्ति इस सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक नहीं हो सकते:-

१—नाबालिग़, सरदार या लार्ड, विदेशी,* और पागल।

* विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तों के पालन करने पर ब्रिटिश प्रजा बन सकते हैं, उन शर्तों में मुख्य, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में पांच वर्ष निवास करना, है।

२—किसी घोर अपराध (Felony) या राजद्रोह के अपराधी, जब तक ये अपने अपराध का दंड न भुगतलें, या उसके लिए क्षमा प्राप्त न करलें।

३—जो निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के अपराधी हों।

[ये अपराधी ठहराये जाने के समय से सात वर्ष तक निर्वाचन के अधिकारी नहीं होते।]

४—निर्वाचन कार्य में लगे हुए व्यक्ति।

[ये उस निर्वाचन में निर्वाचक नहीं हो सकते]

उम्मेदवारी के लिए अयोग्यता—निम्न लिखित व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकते:—

१—जो व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते।

२—पादरी, चाहे वह रोमन केथलिक हों, या प्रोटेस्टेन्ट।

३—दिवालिये।

४—स्थायी सरकारी कर्मचारी, जज, पेन्शन पाने वाले व्यक्ति; और

५—सरकारी कामों के ठेकेदार, 'शेरिफ' (Sheriff) और निर्वाचन स्थान के निर्वाचन-अफ़सर।

निर्वाचक और उम्मेदवार कौन हो सकता है?— ब्रिटिश संयुक्त राज्य में निर्वाचक संघ दो तरह के हैं; (१) साधारण, और (२) विश्व विद्यालय के। कोई व्यक्ति दो से

अधिक निर्वाचक संघों से मत नहीं दे सकता, और इन दो में से एक, साधारण निर्वाचक संघ होना आवश्यक है। निर्वाचक सूची प्रति वर्ष तैयार की जाती है।

साधारण निर्वाचक संघ के मत-दाताओं की सूची में वही व्यक्ति नाम लिखा सकता है जिस में निर्वाचक होने की अयोग्यता न हो, और जो पुरुष दस पौंड (और स्त्री पांच पौंड) वार्षिक किराये वाले मकान या दुकान में, अपने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में, १५ जनवरी या १५ जुलाई तक छः महिने रहा हो।

विश्वविद्यालय के निर्वाचक संघ में वही व्यक्ति मतदाता हो सकते हैं, जो उस विश्व विद्यालय के ग्रेजुएट (Graduate) हों, और जिन की आयु इक्कीस वर्ष या इससे अधिक हो।

स्त्रियों का मताधिकार—इंगलैंड में स्त्रियों के राजनैतिक अधिकारों का प्रश्न उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में उठा था। परन्तु साठ वर्ष तक इसने सर्व साधारण का ध्यान आकर्षित न किया। पश्चात् क्रमशः इनके मताधिकार सम्बन्धी संस्थायें स्थापित हुईं। आन्दोलन बढ़ता गया। फलतः पार्लिमेंट में कई बार इस विषय के प्रस्ताव और वाद विवाद हुए; परन्तु विरोधियों का वल अधिक रहने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकृत न हो पाये। तथापि मताभिलाषिणी स्त्रियों तथा उनके उद्देश्य से सहानुभति रखने वालों के निरन्तर आन्दोलन का यह परिणाम हुआ कि अनेक राजनीतिज्ञ तथा पार्लिमेंट के कई प्रभावशाली पदाधिकारी स्त्रियों को यह अधिकार

देने के पक्ष में हो गये। अन्ततः सन् १६१८ ई० में तीस या अधिक वर्ष की उम्र वाली स्त्रियों को मताधिकार मिल गया। पश्चात् सन् १९२८ ई० में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही, (अर्थात् २१ वर्ष या इससे अधिक उम्र की स्त्रियों को) मताधिकार प्राप्त हो गया।

अब कुल स्त्रियों के मतों की संख्या लगभग १५० लाख होने की आशा है। पुरुषों के मत १३० लाख के ही लगभग हैं। इस प्रकार अब पार्लिमेंट की रचना में स्त्रियों का प्रभाव पुरुषों से बढ़ गया है।

निर्वाचन-अपराध और उसका नियंत्रण—सन् १८८३ ई० के क़ानून के अनुसार निम्न लिखित उपायों से, निर्वाचन सम्बन्धी अनुचित व्यवहार रोका जाता है:—

१—रिश्वत देना, दावत देना, अनुचित प्रभाव डालना, और झूठे नाम से काम करना, अपराध माना गया है।

२—निर्वाचन कार्य के लिए निर्वाचन खर्च की सीमा निर्धारित करदी गयी है।

[प्रति निर्वाचक, सात पेंस (छः आने) से अधिक खर्च न किया जाना चाहिये।]

३—प्रत्येक उम्मेदवार को अपने निर्वाचन व्यय का पूरा हिसाब, सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी को देना होता है।

४—जो व्यक्ति किसी निर्वाचन अपराध के अपराधी माने जाते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है।

इस कानून के होने पर भी इंगलैंड में निर्वाचन अपराधों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है। परन्तु दंड बहुत कम अपराधियों को दिया जाता है। इसका कारण यह है कि बहुत थोड़े उम्मेदवार या मतदाता अपराधियों को दंड दिलाने की इख़ास्त देते हैं।

निर्वाचन पद्धति के साथ रिश्वत आदि निर्वाचन-अपराध प्रायः सर्वत्र देखने में आते हैं; यह बहुत शोचनीय है।

सदस्यों और निर्वाचकों का सम्बन्ध—प्रतिनिधि-सभा का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचक संघ का प्रतिनिधि होता है। उसका कर्तव्य है कि सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के शासन कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक प्रश्न करता रहे। उसे चाहिये कि पार्लिमैन्ट का अधिवेशन समाप्त होने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर निर्वाचकों को यह समझाये कि पार्लिमैन्ट में क्या हो रहा है, और उसमें उसने क्या भाग लिया है। उसका यह भी कर्तव्य है कि उन विविध प्रश्नों के सम्बन्ध में जो पार्लिमैन्ट में पेश होते हैं, या पेश होने वाले हों, वह अपने निर्वाचकों की राय जानने का यत्न करे। परन्तु उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी राय के अनुसार प्रतिनिधि सभा में अपना मत देता रहे। हां, उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखना होता है कि वह प्रतिनिधि सभा में जो कार्य करें, वह उसकी निर्वाचन के समय की प्रतिज्ञा के विरुद्ध न हो। परन्तु यदि वह ऐसा कार्य करे, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। शासन पद्धति सम्बन्धी कोई नियम ऐसा नहीं है जो उसे उक्त प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य करे। कभी कभी तो सदस्य अपना पुराना दल

या पार्टी (Party) छोड़कर दूसरे नये दल में आ मिलते हैं; परन्तु जो विवेकशील होते हैं, वे अपने विचार-परिवर्तन के सम्बन्ध में अपने निर्वाचकों की राय जानना आवश्यक समझते हैं। इसलिए वे नाम मात्र के कार्य वाली कोई सरकारी नौकरी स्वीकार करके प्रतिनिधि सभा में पहले अपना स्थान खाली कर देते हैं, * और, फिर सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। पश्चात्, जब उनके निर्वाचक संघ से पुनः निर्वाचन होता है, तो वे, नवीन दल के सदस्य बनकर, प्रतिनिधि सभा के लिए उम्मेदवार बन जाते हैं।

प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारी—प्रतिनिधि सभा के मुख्य पदाधिकारी निम्न लिखित होते हैं:—

१—प्रवक्ता या 'स्पीकर' (Speaker) अर्थात् प्रतिनिधि सभा का सभापति,

२—कमेटियों का सभापति तथा प्रतिनिधि सभा का उप-सभापति,

३—प्रतिनिधि सभा का क्लर्क (Clerk)।

नवीन प्रतिनिधि सभा का चुनाव होजाने पर, प्रथम अधिवेशन में, सब से पहले 'प्रवक्ता' का चुनाव होता है। बादशाह इस चुनाव को स्वीकार कर लेता है। 'प्रवक्ता' सभा का नेता नहीं होता, उसका कार्य केवल सभा को सुचारु

* निर्वाचित हो चुकने पर कोई व्यक्ति अपने प्रतिनिधि पद से अस्तीफ़ा नहीं दे सकता; यदि वह प्रतिनिधि सभा से पृथक् होना चाहे तो उसके लिए कोई सरकारी नौकरी स्वीकार कर लेना आवश्यक है।

रूप से चलाना है। वह किसी प्रस्ताव पर केवल उस समय अपना मत देता है, जब उस पर दोनों पक्ष के मत बराबर हों। वह निश्चय करता है कि किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद बन्द करने का प्रस्ताव किया जाय या नहीं। वह पुनरुक्ति करने वाले या अप्रासंगिक बात कहने वाले सदस्य का भाषण बन्द कर सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा का पालन न करे तो वह उसे सभा से निकाल सकता है, या उसका कुछ समय तक सभा में आना बन्द कर सकता है। इन विषयों में उसका निर्णय अन्तिम माना जाता है, उसकी कहीं अपील नहीं होती। उसका बहुत आदर किया जाता है। उसे रहने को सरकारी मकान, तथा ५,००० पौंड वार्षिक वेतन मिलता है। अपने कार्य से अवकाश ग्रहण करने पर वह 'लार्ड' बना दिया जाता है।

कमेटियों का सभापति मन्त्रीदल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह सब कमेटियों में अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करता है, और प्रतिनिधि सभा में उप-सभापति होता है।

प्रतिनिधि सभा का क्लर्क स्थायी सरकारी कर्मचारी होता है, यह प्रतिनिधि सभा के चुनाव के साथ बदलता नहीं। इसका कर्तव्य यह है कि प्रतिनिधि सभा की कार्रवाई की रिपोर्ट रखे, तथा उसे प्रकाशित करे।

प्रतिनिधि सभा की कमेटियां—प्रतिनिधि सभा की सबसे महत्व-पूर्ण कमेटी 'पूरी सभा की कमेटी' (Committee of the Whole) होती है, इसमें अध्यक्ष का आसन

'प्रवक्ता' ग्रहण नहीं करता, कमेटियों का सभापति करता है। इस कमेटी में प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न पर एक से अधिक बार भी बोल सकता है। कार्य के अनुसार इस कमेटी के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। उदाहरणवत् जब यह कमेटी आगामी वर्ष के ख़र्च के सम्बन्ध में विचार करती है, इसे ख़र्च-कमेटी कहते हैं। जब यह आय-प्राप्ति के उपायों अर्थात् करों का विचार करती है, तो इसे आय-साधन-कमेटी (Committee of Ways and Means) कहते हैं। जब यह भारत के हिसाब पर विचार करती है, तो इसे भारतीय-राजस्व-कमेटी कहते हैं।

प्रतिनिधि सभा की अन्य कमेटियों में मुख्य ये हैं :—

१—सिलेक्ट कमेटी-(Select Committee)—यह आवश्यकतानुसार किसी क़ानूनी मसविदे पर विचार करने के लिए नियुक्त होती है। इसमें १६ सदस्य होते हैं।

२—स्थायी कमेटियां-(Standing Committees)-ये छः होती हैं। साधारणतया क़ानूनी मसविदे उन्हीं के पास भेजे जाते हैं। प्रत्येक कमेटी में ६० से ८० तक सदस्य होते हैं।

३—नियुक्ति कमेटी या कमेटी-आफ़-सिलेकशन (Committee of Selection)—इस कमेटी को प्रतिनिधि सभा अपने अधिवेशन के आरम्भ में चुनती है। इसका काम सिलेक्ट कमेटी तथा स्थायी कमेटियों के सदस्यों को नियुक्त करना है। इसमें ११ सदस्य होते हैं।

इनके अतिरिक्त कुछ और मुख्य कमेटियां ये हैं :—

व्यक्तिगत या 'प्राइवेट' क़ानूनी मसविदों की कमेटी, सार्वजनिक हिसाब कमेटी, सार्वजनिक दर्ख़ास्तों की कमेटी, और भोजनालय तथा जलपान की कमेटी।

सिलेक्ट कमेटी को, और व्यक्तिगत मसविदों की कमेटी को उपस्थित मसविदों के सम्बन्ध में गवाह लेने का अधिकार है; अन्य कमेटियों को यह अधिकार नहीं है। जब किसी महत्व-पूर्ण मसविदे पर ऐसी सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की की जाती है जिसमें प्रतिनिधि सभा और सरदार सभा दोनों के सभासद होते हैं, उसे संयुक्त सिलेक्ट कमेटी कहते हैं।

प्रतिनिधि सभा और मन्त्रीदल का सम्बन्ध—जैसा कि हम पहले कह आये हैं, मन्त्रीदल सब शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को यह अधिकार है कि वे मन्त्रियों से विविध प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, और प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। यदि किसी विभाग का कार्य असन्तोष-प्रद हो तो वे उसका खर्च कम कर सकते हैं, या उसके मन्त्री का वेतन घटा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मन्त्रीदल को अस्तीफ़ा देना होता है।

इतना होने पर भी इंगलैंड में मन्त्रीदल की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जारही है। यदि मन्त्रीदल प्रतिनिधि सभा के ऐसे दल के सदस्यों में से संगठित हुआ हो, जिसकी संख्या प्रतिनिधि सभा में साढ़े तीन सौ से अधिक हो तो प्रधान

मन्त्री प्रतिनिधि सभा की परवाह न करके, सब कार्य अपनी इच्छानुसार कर सकता है; इसमें शर्त यह है कि वह प्रतिनिधि सभा में अपने दल के सदस्यों की एकता बनाये रख सके, और उन्हें दूसरे दल में सम्मिलित होने से रोक सके।

सातवां परिच्छेद.

प्रतिनिधि सभा की कार्य पद्धति

यदि हमारी प्रतिनिधि सभा आदर्श रूप की हो, वह पूर्ण रीति से जाति की प्रतिनिधि हो, वह संयमी हो, उसमें ईर्षा या द्वेष का भाव न हो, उसके सदस्यों को काफ़ी अवकाश हो, और वे विचारणीय विषयों में कोई त्रुटि न करते हों, तो यह निश्चय है कि हमें दूसरी सभा की आवश्यकता न हो।

— बेजहट

प्रतिनिधि सभा के संगठन आदि सम्बन्धी आवश्यक बातों का वर्णन कर चुकने पर अब हम उसकी कार्य पद्धति बतलाते हैं।

प्रतिनिधि सभा का भवन—हम पहिले बता चुके

हैं कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या ६१५ है इस संख्या की दृष्टि से इस सभा का भवन बहुत संकुचित है। उसकी नीचे की मंज़िल में केवल ३६० सदस्य बैठ सकते हैं। इतने सदस्यों के लिए भी कुर्सी आदि नहीं होतीं, केवल बेंच होती हैं। सभा भवन के ऊपर के दो बरामदों में भी सदस्यों के बैठने का प्रबन्ध होता है। इन बरामदों में सौ सदस्य बैठ सकते हैं। परन्तु प्रायः उपस्थिति बहुत कम रहती है, और बहुत सी जगह ख़ाली पड़ी रहती है।

सदस्यों की न्यूनतम संख्या—प्रतिनिधि सभा का काम करने के लिए, सदस्यों की न्यूनतम संख्या चालीस निर्द्धारित की गयी है, अर्थात् चालीस सदस्यों का 'कोरम' (Quorum) होता है। कभी कभी उपस्थिति चालीस से भी कम होती है। जब कभी कोई सदस्य 'प्रवक्ता' का ध्यान इस कमी की ओर आकर्षित करता है तो दो मिनट तक सम्पूर्ण भवन में एक साथ बिजली की घण्टी बजती है, और ऐसे सदस्य जो इधर उधर कमरों में बैठे होते हैं, सभा भवन में आकर उपस्थित होजाते हैं।

मत गिनने की शैली—जब किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में सदस्यों की संख्या गिननी होती है तो निम्न लिखित शैली से काम किया जाता है। 'प्रवक्ता' प्रस्ताव को प्रश्न के रूप में उपस्थित करता है और कहता है कि जो सदस्य इसके पक्ष में हों, वे 'हां' कहें और जो इसके विपक्ष में हों, वे 'नहीं' कहें। सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार 'हां', या 'नहीं' कहते हैं। 'प्रवक्ता' इन मतों को सुनकर कहता है कि मेरे विचार से बहुमत 'हां' के पक्ष में हैं, (या 'नहीं' के पक्ष में

है)। यदि कोई सदस्य 'प्रवक्ता' के कथन का विरोध करता है तो पक्ष और विपक्ष के मतों का गिनना आरम्भ होता है। समस्त भवन में दो मिनट घण्टी बजती है और जो सदस्य इधर उधर कमरों में बैठे होते हैं, वे सभा भवन में आकर उपस्थित हो जाते हैं। इस पर 'प्रवक्ता' प्रस्ताव को पुनः प्रश्न के रूप में रखता है; जो सदस्य उसके पक्ष में होते हैं, वे 'हां' कहते हैं और जो विपक्ष में होते हैं, वे 'नहीं' कहते हैं। तब प्रवक्ता फिर कहता है कि मेरे विचार से बहुमत 'हां' के पक्ष में है (या 'नहीं' के पक्ष में है)।

यदि कोई सदस्य इसका विरोध करे तो 'प्रवक्ता' कहता है कि जो 'हां' के पक्ष में हों, वे दाहिने कमरे में जांय और जो 'नहीं' के पक्ष में हों, वे बायें कमरे में जांय। प्रत्येक कमरे के दरवाज़े पर दो दो गिनने वाले रहते हैं। इनमें से एक सरकारी पक्ष का होता है और दूसरा विरोधी दल का। जब सदस्य इन कमरों में जाते हैं तो उनके नाम क्लर्क द्वारा लिख लिये जाते हैं। अन्त में गिनने वाले व्यक्ति प्रवक्ता को पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की संख्या बतलाते हैं, और वह इसके अनुसार प्रस्ताव के, बहुमत से स्वीकृत या अस्वीकृत होने के सम्बन्ध में, अपना अन्तिम निर्णय देता है।

सभा के अधिवेशन; बादशाह का भाषण—प्रतिनिधि सभा के नवीन निर्वाचन के पश्चात् 'प्रवक्ता' का चुनाव हो जाने पर पहिला कार्य यह होता है कि प्रत्येक सदस्य राज-भक्ति की शपथ ले। प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक वर्ष का प्रथम अधिवेशन फ़रवरी के आरम्भ में होने लगता है। बादशाह सरदार सभा के भवन में अपना भाषण देता है, इसे सुनने के

लिए प्रतिनिधि सभा के सदस्य वहां बुलाये जाते हैं। यह भाषण बहुत महत्व का होता है, इसके द्वारा मन्त्री मण्डल पार्लिमैंट को अपनी शासन सम्बन्धी नीति की सूचना देता है, और यह बतलाता है कि, उसका, उस (Current) वर्ष में, क्या क्या महत्व-पूर्ण कार्य करने का विचार है।

पीछे बादशाह का यह भाषण प्रतिनिधि सभा में, प्रवक्ता द्वारा पढ़ा जाता है। कोई मंत्री यह प्रस्ताव उपस्थित करता है कि बादशाह को उसके भाषण के लिए धन्यवाद दिया जाय। विरोधी दल के सदस्य इस प्रस्ताव पर संशोधन उपस्थित करते हैं, जिस में वे यह बतलाते हैं कि सरकार कौन-कौनसा आवश्यक कार्य करना नहीं चाहती और कौन-कौनसा कार्य ऐसा कर रही है जो अनावश्यक है। इन संशोधनों पर विचार करने में दो तीन सप्ताह लग जाते हैं। यदि विरोधी दल का कोई संशोधन बहुमत से स्वीकार हो जाय तो इसका आशय यह होता है कि प्रतिनिधि सभा मंत्री मंडल की शासन नीति से सहमत नहीं है। इस दशा में मंत्री मंडल को अस्तीफ़ा देना होता है।

सभा की बैठक—प्रतिनिधि सभा की बैठक (Meetings) सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को साधारणतः पौने तीन बजे से साढ़े ग्यारह बजे रात तक होती हैं; यदि कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो इसके बाद भी जारी रहती हैं। बैठक सवा आठ बजे से साढ़े आठ बजे तक जल-पान (Lunch) के लिए स्थगित होती है। इस प्रकार उक्त दिनों में दो दो बैठकें होती हैं। शुक्रवार के दिन बैठक

केवल ५॥ बजे तक ही रहती है। शनिवार और रविवार को बैठक नहीं होती।

सभा का कार्य; प्रश्न और प्रस्ताव—सभा का कार्य आरम्भ होने से पहले, प्रति दिन प्रार्थना होती है। पश्चात् प्रवक्ता अपना स्थान ग्रहण करता है, और जनता की दर्ख़ास्तें पेश की जाती हैं। यह कार्य तीन बजे तक समाप्त हो जाता है और तब प्रश्न पूछने का कार्य आरम्भ होता है। इस कार्य के लिए चालीस मिनिट का समय निर्धारित है। जिन प्रश्नों का उत्तर पौने चार बजे तक नहीं दिया जा सकता, वे रिपोर्ट में अन्य कार्रवाई के साथ प्रकाशित किये जाते हैं। सदस्यों को प्रश्न पूछने की सूचना पहले से देनी होती है। प्रत्येक सदस्य किसी प्रश्न के सम्बन्ध में पूरक(Supplementary) प्रश्न पूछ सकता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर संतोषप्रद न हो और वह विषय जनता के लिए तत्काल आवश्यक हो, तो कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस पर विचार करने के लिए सभा का कार्य स्थगित कर दिया जाय। यदि वह प्रस्ताव उस समय स्वीकार हो जाय, तो उस विषय पर उसी दिन ८॥ बजे बहस शुरू हो जाती है। साधारणतया चार बजे के बाद प्रस्तावों और मसविदों पर विचार होता है।

साल भर में प्रतिनिधि सभा प्रायः सौ दिन काम करती है, अर्थात् उसकी लगभग दो सौ बैठकें होती हैं। इनमें से अधिकतर बैठकों में वह काम होता है जो मंत्री मंडल द्वारा उपस्थित किया जाता है। प्रायः तीस बैठकें ही ऐसी होती हैं जिनमें अन्य सदस्य अपने प्रस्ताव या क़ानूनी मसविदे उपस्थित कर सकते हैं।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों द्वारा बहुत से प्रस्तावों औरक़ानूनी मसविदों की सूचना आती है, परन्तु समय की कमी के कारण उन सब पर विचार होना असम्भव होता है। इस लिए किन प्रस्तावों या क़ानूनी मसविदों पर विचार होना चाहिये तथा किस क्रम से विचार होना चाहिये, इसका निश्चय चिट्ठी डाल कर अर्थात् 'बेलट' (Ballot) द्वारा किया जाता है।

क़ानून कैसे बनते हैं ?; सार्वजनिक क़ानूनी मसविदे- क़ानूनी मसविदे तीन प्रकार के होते हैं :—

१-सार्वजनिक क़ानूनी मसविदे, (धन सम्बन्धी छोड़कर)।

२-धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे।

३-स्थानीय तथा व्यक्तिगत क़ानूनी मसविदे।

सार्वजनिक क़ानूनी मसविदा, कोई भी सदस्य उपस्थित कर सकता है; यदि मन्त्री मंडल का कोई सदस्य उपस्थित करना चाहे तो उसके लिए दिन आसानी से निश्चय होजाता है; अन्य सदस्य को उसका अवसर तभी मिलेगा जब चिट्ठी डालकर अर्थात् 'बेलट' द्वारा उसका निश्चय होजाय। प्रत्येक सदस्य को, क़ानूनी मसविदा उपस्थित करने की सूचना कुछ निर्दिष्ट समय पहले देनी होती है, सूचना के के साथ ही क़ानूनी मसविदा भी भेजना होता है।

प्रथम वाचन—नियत किए हुए दिन, सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि उसे उसका मसविदा उपस्थित करने

की अनुमति दी जाय। इस प्रस्ताव पर बहस नहीं होती; कभी कभी तो केवल मसविदे का शीर्षक ही पढ़ दिया जाता है और अनुमति मिल जाती है। इसे मसविदे का 'प्रथम वाचन' (First reading) कहते हैं।

द्वितीय वाचन—यह कार्य समाप्त होने पर उसके 'द्वितीय वाचन' (Second reading) के लिए तारीख़ निश्चय करदी जाती है। उस निश्चित दिन सदस्य यह प्रस्ताव करता है कि मसविदा दूसरी बार पढ़ा जाय। इस समय मसविदे के सिद्धान्त पर वाद विवाद होता है, परन्तु कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जा सकता। यदि प्रस्ताव उस समय स्वीकार न हुआ तो कुछ दिन बाद फिर वह प्रस्ताव रखा जाता है। जो सदस्य यह चाहते हैं कि मसविदे पर विचार ही न किया जाय, वह यह प्रस्ताव करते हैं कि यह मसविदा छः मास बाद दूसरी बार पढ़ा जाय। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होजाय, तो उस समय उस मसविदे सम्बंधी सब काम बन्द कर दिया जाता है।

कमेटी-मंज़िल और रिपोर्ट-मंज़िल—द्वितीय वाचन का प्रस्ताव स्वीकार होने पर मसविदा साधारणतः स्थायी कमेटी के पास विचारार्थ भेजा जाता है। प्रतिनिधि सभा यदि चाहे तो उसे 'पूरी सभा की कमेटी' के पास भी भेज सकती है। यदि मसविदा बहुत महत्व-पूर्ण हो तो स्थायी कमेटी या पूरी सभा की कमेटी के पास भेजे जाने से पूर्व, वह प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार 'सिलेक्ट कमेटी' के पास भेजा जाता है। यह कमेटी उसकी प्रत्येक धारा पर, उसके सम्बन्ध में

गवाही देने वालों के वक्तव्यों पर विचार करके, अपनी रिपोर्ट देती है।

स्थायी कमेटी या पूरी सभा की कमेटी में मसविदे की प्रत्येक धारा पर विचार होता है, और संशोधन उपस्थित किये जाकर स्वीकृत या अस्वीकृत किये जाते हैं। मसविदे के इस कार्य को कमेटी-मंज़िल (Committee stage) कहते हैं।

कमेटी मंज़िल तय होजाने पर, मसविदा प्रतिनिधि सभा में फिर पेश किया जाता है, और वहां फिर प्रत्येक धारा तथा उसके संशोधनों पर विचार किया जाता है। इसे रिपोर्ट-मंज़िल (Report stage) कहते हैं।

तीसरा वाचन—सब धाराओं पर विचार हो चुकने के पश्चात् यह प्रस्ताव किया जाता है कि यह संशोधित मसविदा स्वीकार किया जाय। इसे मसविदे का 'तीसरा वाचन' (Third reading) कहा जाता है।

इस समय कोई संशोधन उपस्थित नहीं किया जाता। प्रस्ताव स्वीकार होने पर प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी सब मंज़िलें पूरी होजाती हैं; और, मसविदा सरदार सभा* में भेजा जाता है।

सरदार सभा का सम्बन्ध— सरदार सभा में भी उपर्युक्त प्रकार से मसविदे का प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन

* सरदार सभा के संगठन आदि का वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा।

कमेटी मंज़िल, रिपोर्ट मंज़िल और तीसरा वाचन होता है। यदि मसविदा सरदार सभा द्वारा ठीक उसी रूप में स्वीकार होजाय जिस रूप में वह प्रतिनिधि सभा में स्वीकार हुआ है, तो वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और उसकी स्वीकृति मिलने पर वह क़ानून का रूप धारण करता है।

यदि सरदार सभा ने क़ानून के मसविदे में कुछ संशोधन किये तो उन संशोधनों पर विचार करने के लिए वह मसविदा प्रतिनिधि सभा में लौटाया जाता है; यदि प्रतिनिधि सभा संशोधनों को स्वीकार करले तो मसविदा बादशाह के पास स्वीकृति के लिये भेजा जाता है।

यदि प्रतिनिधि सभा सरदार सभा के संशोधनों को अस्वीकार करदे और सरदार सभा उनके लिए आग्रह करे, तो उस अधिवेशन (Session) में उस मसविदे सम्बन्धी कार्रवाई बन्द करदी जाती है, और दूसरे अधिवेशन में वह मसविदा प्रतिनिधि सभा में उसी रूप में उपस्थित किया जाता है और वहां उपर्युक्त सब मंज़िलें तय करके सरदार सभा में पहुंचता है। यदि सरदार सभा ने फिर वैसे ही संशोधन उपस्थित किये तो उस अधिवेशन में भी उस मस-विदे की आगे की कार्रवाई बन्द करदी जाती है, और तीसरे अधिवेशन में मसविदा पुनः प्रतिनिधि सभा में उपस्थित किया जाता है और वहां सब मंज़िल तय करके फिर सरदार सभा में पहुंचता है। इस बार चाहे सरदार सभा उसमें संशोधन उपस्थित भी करे, वह बादशाह के पास स्वीकृति

के लिए उसी रूप में भेजा जाता है जिस रूप में वह प्रतिनिधि सभा द्वारा तीसरी वार स्वीकृत हुआ था। इसमें शर्त यह है कि इस बीच में दो वर्ष का समय व्यतीत होगया हो। बादशाह द्वारा स्वीकृत होजाने पर मसविदे को क़ानून का रूप मिल जाता है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सरदार सभा धन सम्बन्धी छोड़कर अन्य सार्वजनिक क़ानूनी मसविदों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक क़ानून बनने से रोक सकती है। उसके पश्चात् उसके विरोध करने पर भी, प्रतिनिधि सभा द्वारा तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, मसविदा क़ानून बन जाता है।

प्रतिनिधि सभा को, सरदार सभा का विरोध होते हुए भी, क़ानून बनाने का यह अधिकार सन् १९११ ई० के क़ानून से मिला हुआ है।

धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे, (क) खर्च सम्बन्धी—धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे दो प्रकार के होते हैं, (क) खर्च सम्बन्धी मसविदे (Consolidated Funds Bill) और (ख) कर सम्बन्धी मसविदे (Finance Bill)। पहले हम खर्च सम्बन्धी मसविदों पर विचार करते हैं।

प्रति वर्ष मार्च मास के आरम्भ में, खर्च सम्बन्धी पूरी सभा की कमेटी में खर्च की मद्दों के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। ये प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा किये जाते हैं। कोई भी सदस्य किसी मद्द में से खर्च की रक़म कम करने का

संशोधन उपस्थित कर सकता है। जब ख़र्च सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत होजाते हैं तो आय साधन कमेटी में यह प्रस्ताव किया जाता है कि ख़र्च-कमेटी ने जो खर्च मंजूर किया है, उसकी रक़म सरकारी कोष से दी जाय। इन प्रस्तावों को क़ानून का रूप देने के लिए प्रतिनिधि सभा में ख़र्च सम्बन्धी क़ानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह अन्य सार्वजनिक क़ानूनी मसविदों के समान, विविध मंज़िलें तय करके सरदार सभा में पहुंचता है। इस सभा में भी वह सब मंजिलें तय करता है और सरदार सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

(ख) कर सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे—अप्रैल मासके आरम्भ में, आय साधन कमेटी में, अर्थ मंत्री सरकारी आय व्यय का अनुमान पत्र उपस्थित करता है और करों की दर घटाने बढ़ाने के, या नये कर लगाने के प्रस्ताव उपस्थित करता है। कोई भी सदस्य कर की दर घटाने के संशोधन उपस्थित कर सकता है। प्रस्तावों और संशोधनों पर क्रमशः विचार होता है, और जो प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं, उन्हें क़ानून का रूप देने के लिए कर सम्बन्धी क़ानूनी मसविदा उपस्थित किया जाता है, और वह अन्य सार्वजनिक मसविदों के समान विविध मंज़िलें तय करके सरदार सभा में पहुंचता है और वहा भी सब मंज़िलें तय करता है। सरदार सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी, वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए उसी रूप में भेजा जाता है जिस में वह प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरदार सभा धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, चाहे वह मसविदे खर्च सम्बन्धी हों, या कर सम्बन्धी । परिवर्तन करने का अधिकार सरदार सभा से सन् १९११ ई० के क़ानून से ले लिया गया है।

स्थानीय या व्यक्तिगत क़ानूनी मसविदे–स्थानीय या व्यक्तिगत क़ानूनी ममविदा उसे कहते हैं जिसका सम्बध सर्व साधारण से न होकर किसी ख़ास स्थान से हो, और जिसके द्वारा किसी कम्पनी आदि को विशेष अधिकार दिये जांय। जो सदस्य इस प्रकार का क़ानूनी मसविदा उपस्थित करना चाहता है, उसे निर्धारित नियमों के अनुसार एक दरख्वास्त देनी होती है। इस दरख्वास्त की जांच खास अफ़सरों द्वारा की जाती है । यदि यह नियमानुसार ठीक समझी जाय तो प्रतिनिधि सभा में उसका प्रथम वाचन होता है, तब मसविदे की शैली (Form) की जांच होती है और द्वितीय वाचन किया जाता है। फिर मसविदा स्थानीय मसविदों की कमेटी के पास भेजा जाता है और उसकी प्रत्येक धारा पर विचार होता है। यह कमेटी गवाहों के वक्तव्यों पर विचार करती है। पश्चात् इस कमेटी की रिपोर्ट पर, प्रतिनिधि सभा विचार करती है। इसके बाद मसविदे का तीसरा वाचन होकर वह सरदार सभा में भेजा जाता है और वहां सब मंज़िलें तय कर चुकने पर वह बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । परन्तु यदि सरदार सभा ने इस में कोई ऐसा संशोधन उपस्थित कर दिया हो जो प्रतिनिधि सभा को स्वीकार न हो, तो मसविदे पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

इस तरह के क़ानून बनाने में बहुत रुपया ख़र्च होता है। पहले तो दरख्वास्त के साथ ही कुछ फ़ीस देनी होती है, फिर मसविदा बनाने वाले को तथा उसे प्रतिनिधि सभा में उपस्थित करने वाले को भी काफ़ी फ़ीस दी जाती है। कमेटी के सामने गवाही दिलाने में भी कुछ रुपया ख़र्च हो जाता है। इस लिए ऐसे मसविदे बहुत कम उपस्थित किये जाते हैं।

इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व कमीशन और कमेटियों का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है।

कमीशन और कमेटियां—किसी विषय का यथेष्ट क़ानून बनने के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन परिस्थिति का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करके उसका मसविदा बनाया जाय। इस लिए सामयिक समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर शाही कमीशन नियत किया जाता है, जिसके सदस्य तत्कालीन सरकार (मन्त्री मण्डल) द्वारा नियुक्त होते हैं। इसे प्रस्तुत विषय के सम्बन्ध में योग्य पुरुषों के बयान या गवाही लेने का अधिकार होता है। कमीशन की जांच का हाल एक रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब सदस्य एक मत नहीं होते, उनमें से कुछ अपनी मत-भेद-पत्रिका (Note of Dissent) अलग देते हैं, या कुल सदस्यों की दो रिपोर्ट होजाती हैं, एक अल्प मत (Minority) रिपोर्ट, दूसरी बहुमत (Majority) रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट (या रिपोर्टों) में वे सिफ़ारिशें भी होती हैं, जिनके आधार पर भावी क़ानून बनना चाहिये। इस प्रकार क़ानून बनाने वालों को, शासकों को, तथा शासन

पद्धति अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को बहुत उपयोगी सामग्री मिल जाती है।

आवश्यकता होने पर किसी राजनैतिक विषय सम्बन्धी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पार्लिमैन्ट कुछ सज्जनों की कमेटी भी नियत कर सकती है। भिन्न भिन्न सरकारी विभाग भी भी कभी कभी कोई कमीशन नियत कर सकते हैं। आधुनिक काल के बहुत से स्थायी सरकारी विभाग समय समय पर नियुक्त किये हुए जांच-कमीशनों के परिणाम स्वरूप स्थापित हुए हैं।

आठवां परिच्छेद.

सरदार सभा

यद्यपि प्रतिनिधि सभा के, आदर्श रूप में होते हुए, सरदार सभा अनावश्यक और इसलिए हानिकर होगी; परन्तु जब कि प्रतिनिधि सभा ऐसी हो, जैसी कि वह वास्तव में होती है, तो यथेष्ट अवकाश वाली निरीक्षक सभा यदि आवश्यक न भी हो, तो अत्यन्त उपयोगी तो अवश्य है।

— बेजहट

पार्लिमेंट की दोनों सभाओं का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ, तथा उनमें से प्रतिनिधि सभा का सङ्गठन और कार्य पद्धति क्या है, यह पहले बताया जाचुका है। इस परिच्छेद में दूसरी सभा अर्थात् सरदार सभा का वर्णन किया जायगा।

दूसरी सभा की आवश्यकता—कुछ सज्जनों का मत तो यह है कि देश में व्यवस्था कार्य के लिए एक ही सभा (प्रतिनिधि सभा) का होना पर्याप्त है; क्योंकि यदि दूसरी सभा रहेगी तो दो में से एक बात होगी, यह दूसरी सभा या तो प्रतिनिधि सभा से सहमत होगी, या उसका विरोध करेगी। पहली दशा में यह सभा अनावश्यक प्रमाणित होगी, और दूसरी दशा में केवल बाधक स्वरूप होगी। इस लिए इस मत के अनुसार दूसरी सभा नहीं होनी चाहिये।

इसके विपरीत, अनेक राजनीतिज्ञों का मत है कि किसी देश में क़ानून बनाने की शक्ति एक ही सभा के हाथ में न रहने देना चाहिये। किसी नियम के व्यवहार में आने से पूर्व उसके विषय में दूसरी सभा (Second Chamber) का निर्णय जान लेना चाहिये। इससे और कुछ नहीं, तो यह लाभ तो होगा ही कि जल्दबाज़ी न हो सकेगी, तथा पहली सभा उतनी स्वच्छन्द और अभिमानी न होगी, जितनी दूसरी सभा के अभाव में, हर समय अपनी विजय का विश्वास रखने की दशा में, उसका होजाना सम्भव है। आज कल कितने ही देश इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हैं कि दूसरी सभा शासन नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक शृंखला बनाये रखे और आकस्मिक परिवर्तन न होने दे।

इंगलैण्ड का अनुभव—सत्तरहवीं शताब्दी के मध्य में इंगलैण्ड ने एक सभा से काम चलाने की पद्धति की परीक्षा की थी। जैसा अन्यत्र बताया गया है, सन् १६४६ ई० में बादशाह के पद का अन्त कर दिया गया था। उसी समय सरदार सभा भी अनावश्यक ठहरादी गयी थी। इंगलैण्ड ने बिना बादशाह, और केवल एक ही व्यवस्थापक सभा द्वारा राज कार्य चलाने का ग्यारह वर्ष अनुभव किया, परन्तु अन्ततः यह अनुभव सन्तोषप्रद तथा उत्साह-वर्द्धक न रहा और उसे, बादशाह तथा सरदार सभा, दोनों को पुनस्थापित करना पड़ा।

यह नहीं कहा जा सकता कि यहां इस दूसरी सभा के सदस्य ऐसे सुयोग्य अनुभवी, और सार्वजनिक हिताभिलाषी हैं, जैसे वे वास्तव में होने चाहियें। अधिकांश सरदार बड़े ज़मीदार, या धनी व्यापारी आदि होने के कारण आलसी, ऐश्वर्य-प्रेमी, और अनुदार हैं, तथा सुधारों का विरोध करना और येन केन प्रकारेण अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक (या सामाजिक) अधिकारों की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। परन्तु सर्व साधारण और विशेषतया प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का भी तो आचार व्यवहार इतना उन्नत नहीं है, जितना कि वह उस दशा में होना अत्यन्त आवश्यक है, जब कि एक ही सभा द्वारा निश्चित की हुई व्यवस्था यथेष्ट उपयोगी हो सके। इस लिए यहां सरदार सभा चली आरही है, और कुछ सीमा तक उपयोगी भी समझी जा रही है।

सरदार सभा का संगठन—इस सभा में इस समय

लगभग सात सौ सदस्य रहते हैं। कुल सदस्यों का व्यौरा इस प्रकार है।

३ शाही खानदान के 'लार्ड'।

२ प्रधान लाट पादरी या 'आर्कविशप' (Arch-bishop)।

२४ लाट पादरी या 'विशप' (Bishop)

६१३ संयुक्त राज्य के 'लार्ड'

१८ ड्यूक (Dukes) *

२९ मारक्विस (Marquiss) *

१२४ अर्ल (Earls) *

६४ वाइकाउंट (Viscounts) *

३७८ बेरन (Barons) *

१६ स्काटलैण्ड के लार्ड, जो प्रत्येक पार्लिमेण्ट के आरम्भ में निर्वाचित होते हैं।

२८ आयलैंड के लार्डों के प्रतिनिधि, ये जन्म भर के लिए निर्वाचित होते हैं।

६ न्यायाधीश लार्ड, जन्मभर के लिए।

इस प्रकार इस सभा में विशेष अधिकार उनही लोगों

---

* इनका दर्जा इसी क्रम से होता है, जिसमें ये लिखे गये हैं, अर्थात् 'ड्यूक' सबसे ऊंचा होता है, फिर क्रमशः 'मारक्विस' आदि का दर्जा होता है।

को होता है जो वंशागत होते हैं, निर्वाचित नहीं होते। ये प्रायः स्वभाव से ही परिवर्तन-विरोधी होते हैं।

नये 'लार्ड' केवल बादशाह ही बना सकता है। सब 'लार्ड' परम्परागत रहते हैं। इस पद का कोई त्याग नहीं कर सकता। निम्न लिखित व्यक्ति सरदार सभा के सदस्य नहीं हो सकते :—

१—स्त्रियां,

२—नाबालिग़,

३—विदेशी,

४—दिवालिये, और

५—राजद्रोह या किसी घोर अपराध के अपराधी।

सदस्यों के विशेषाधिकार—इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार निम्न लिखित हैं :—

क—सरदार सभा में भाषण-स्वातंत्र्य,

ख—पार्लिमेंट का अधिवेशन आरम्भ होने से चालीस दिन पहले से लेकर, अधिवेशन समाप्त होने के चालीस दिन बाद तक, किसी दीवानी मामले में गिरफ़्तार न हो सकना।

ग—सार्वजनिक विषय की बात करने के लिए बादशाह से मिलना, और,

घ—राजद्रोह या अन्य घोर अपराध लगाया जाय, तो उसकी सरदार सभा द्वारा ही जांच होना।

सरदार सभा का कार्य क्रम—सरदार सभा का कार्य ४॥ बजे आरम्भ होता है और ८ बजे तक समाप्त होजाता है। इस सभा में काम करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या तीन रखी गयी है। परन्तु किसी क़ानूनी मसविदे पर विचार करने के लिए तीस सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है।

क़ानून सम्बन्धी अधिकार–प्रत्येक क़ानूनी मसविदा बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजे जाने से पहले सरदार सभा में विविध मंज़िलें तय करता है। धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे पहले पहल सरदार सभा में उपस्थित नहीं किये जा सकते। उन्हें छोड़कर अन्य सब मसविदे पहले प्रतिनिधि सभा में भी पेश किये जा सकते हैं, और, सरदार सभा में भी। सरदार सभा को किस किस प्रकार के मसविदे के सम्बन्ध में कितना अधिकार है, इसका वर्णन पिछले परिच्छेद में किया जा चुका है।

शासन सम्बन्धी अधिकार—सरदार सभा को धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदों पर कोई अधिकार न होने के कारण उसे मन्त्रीदल पर भी कोई नियंत्रण अधिकार नहीं है। मंत्रीदल अपने शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी है, सरदार सभा के प्रति नहीं। यद्यपि सरदार सभा का प्रत्येक सदस्य किसी भी शासन कार्य के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकता है, परन्तु उसका विशेष

महत्व नहीं रहता । यदि मन्त्री मण्डल किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरदार सभा में हार जाय तो उसे अस्तीफ़ा देने की आवश्यकता नहीं होती । तथापि सरदार सभा का शासन कार्य में गौण रूप से काफ़ी प्रभाव रहता है । मन्त्री मण्डल के कई सदस्य सरदार सभा के सदस्य होते हैं, और उन पर सरदार सभा का प्रभाव पड़ता ही रहता है ।

न्याय सम्बन्धी अधिकार—न्याय कार्य के सम्बन्ध में सरदार सभा को कुछ ऐसे अधिकार हैं, जो प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं हैं । किसी 'लार्ड' की राजद्रोह या अन्य घोर अपराध सम्बन्धी जांच, सरदार सभा में ही होती है । 'लार्डों' की जागीर से सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों का निर्णय भी सरदार सभा ही करती है । यदि प्रतिनिधि सभा किसी पर अभियोग (Impeachment) चलाती है तो वह सरदार सभा में ही चला सकती है । ब्रिटिश संयुक्त राज्य की सबसे बड़ी अपील इसी सभा में सुनी जाती है । उपर्युक्त न्याय-कार्य के लिए छः 'लार्ड' नियुक्त रहते हैं, इन्हें अपील सुनने वाले लार्ड (Lords of Appeal) कहते हैं; किसी न्याय-कार्य के समय इनमें से तीन की उपस्थिति आवश्यक है ।

सरदार सभा का सुधार—जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सरदार सभा के अधिकांश सदस्य वंशागत होते हैं । इसलिए इस सभा को देश की किसी श्रेणी के लोगों की प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता । इसके सदस्यों की संख्या भी काफ़ी अधिक है; और, जैसे जैसे नये लार्ड बनाये जांयगे, इनकी संख्या बढ़ते रहने की सम्भावना है । डेढ़ सौ वर्ष पहले

इनकी संख्या लगभग दो सौ के थी, यह संख्या क्रमशः बढ़ते बढ़ते अब सात सौ के लगभग पहुंच गयी है।

सन् १९११ ई० के क़ानून में यह भी निश्चय किया गया था कि इस सभा के सदस्य प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्तों पर चुने जाया करें, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना तैयार नहीं हो पायी है जो सब दलों को मान्य हो। समस्या बहुत जटिल है। यदि इस सभा के सदस्य निर्वाचित रखे जांय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि किन सदस्यों को निर्वाचन-अधिकार दिया जाना चाहिये। जब सरदार सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी, तो वह धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदों पर अधिकार रखना तथा मन्त्रियों का नियन्त्रण करना भी चाहेगी। प्रतिनिधि सभा इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाओं के कार्य में बड़ी उलझन पड़ जायगी। इनही कठिनाइयों के कारण सरदार सभा के सङ्गठन-सुधार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाता।

नवां परिच्छेद.

शासन नीति विकास

जब एक बार स्वाधीनता का संग्राम छिड़ जाता है तो पीढ़ियों तक रक्तपात पूर्वक चलता रहता है। चाहे अनेक बार घबराहट हो, अन्त में विजय-प्राप्ति अवश्यम्भावी है। — लार्ड बाइरन

प्राक्कथन—पहले यह बताया जाचुका है, कि ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, आरम्भ में शासन अधिकार बहुत कुछ बादशाह को था, प्रजा को बहुत कम अधिकार था; अब स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है, बादशाह को नाम मात्र के अधिकार हैं, प्रजा-प्रतिनिधि ही सब शासन कार्य का संचालन और नियन्त्रण करते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार हुआ, क्या क्या मंज़िलें तय की गयीं, उपस्थित कठिनाइयां किस तरह हल हुईं इन बातों का विचार इस परिच्छेद में करना है।

छटे परिच्छेद में यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार प्रजा ने पहले पहल कुछ विशेष अधिकार 'मेगना चार्टा' (महान अधिकार पत्र) द्वारा, सन् १२१५ ई० में प्राप्त किये थे।

महान अधिकार पत्र-इसकी कुछ धारायें इस प्रकार थीं:-

१—सभा की अनुमति बिना कोई कर नहीं लगाया जायगा।

२—ग़ैर-क़ानूनी ढंग से किसी की जान माल या वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अधिकार न किया जायगा, किसी निरपराधी व्यक्ति को गिरफ्तार या क़ैद नहीं किया जायगा, किसी को क़ानून की रक्षा से वंचित नहीं किया जायगा। सब के प्रति जाति के नियमों के अनुसार, जूरी द्वारा समान न्याय किया जायगा।

इस अधिकार पत्र में और भी बहुत सी महत्व पूर्ण बातें थीं। परन्तु सब का मूल यह था कि, (क) बादशाह अपने

कार्यों में प्रजा की सम्मति लेने को बाध्य हो, तथा देश का राज्य प्रबन्ध प्रजा की इच्छा के अनुसार हुआ करे, और (ख) प्रजा एक आदमी (बादशाह) के बजाय क़ानून द्वारा शासित होने लगे।

इन दो सिद्धान्तों के आधार पर पीछे बहुत से क़ानून बने हैं; अतः यह अधिकार-पत्र ब्रिटिश नागरिकों के भावी स्वत्वों का आधार-शिला कहा जा सकता है।

पार्लिमैंट और बादशाह के अधिकार—तेरहवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं शताब्दी में पार्लिमैंट ने कई प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त किये। इसने ऐडवर्ड द्वितीय, रिचर्ड द्वितीय, (तथा पीछे रिचर्ड तृतीय और चार्ल्स प्रथम) से उनके मनमाने कार्यों के लिए जवाब तलब किया। इसका परिणाम यह हुआ कि इंगलैंड का शासन, क्रमशः परिमित या वैध राजतंत्र होगया।

सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक लोगों को जैसे तैसे युद्धों से छुटकारा पाने की चिन्ता थी। उन्हें शान्ति की, तथा अपना जीवन निर्वाह करने के उपायों की खोज थी। इन्हें प्राप्त कर, वे सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त करने की ओर ध्यान देने लगे। ट्यूडर वंश के शासकों, और विशेतया महारानी एलिज़बैथ ने बुद्धिमानी से राज्य करके प्रजा के सुख की सामग्री एकत्र की, और अन्य देशों को परास्त किया। इस लिए लोगों का इनसे विशेष विरोध न हुआ। परन्तु शिक्षा और व्यापार की क्रमशः वृद्धि होने पर लोगों में स्वतंत्रता के भावों का उदय हुआ और परिणाम-

स्वरूप सत्तरहवीं शताब्दी में स्टुअर्ट वंश के स्वेच्छाचारी बादशाहों और स्वत्वाभिलाषी पार्लिमेंट के खूब झगड़े हुए।

पारस्परिक संघर्ष—बादशाहों ने व्यापार पर कर लगाये और ज़बरदस्ती ऋण भी लिया, परन्तु काम चलता न देख, इन्होंने बार बार पार्लिमेन्ट की शरण ली। जब पार्लिमेन्ट ने इनकी इच्छानुसार धन देना या कर लगाना स्वीकार न किया तो इन्होंने उसे विसर्जन कर दिया। इस प्रकार धन की समस्या बराबर बनी रही। चार्ल्स प्रथम ने तीसरी वार सन् १६२७ ई० में पार्लिमेन्ट का अधिवेशन कराया, तो उसने अधिकारों का आवेदन (Petition of Rights) उपस्थित कर दिया, जिसकी मुख्य धारायें ये थीं:—

(१) जब तक पार्लिमेन्ट की स्वीकृति न मिले, बादशाह किसी को कर या ऋण देने के लिए वाध्य नहीं कर सकता।

(२) बादशाह किसी आदमी को क़ैद नहीं कर सकता, जब तक कि वह ऐसा करने का कारण न वतादे, जिससे वह आदमी न्यायाधीशों के सन्मुख अपना निर्णय करा सके।

चार्ल्स को अपनी इच्छा न होते हुए भी ये बातें स्वीकार करनी पड़ीं। अधिकारों का आवेदन, क़ानून बन गया। और, बादशाह को अभीष्ट धन प्राप्त होगया। परन्तु इसके बाद उसने ग्यारह वर्ष (१६२९—४०) तक बिना पार्लिमेन्ट के शासन किया। पश्चात् जब पार्लिमेन्ट का अधिवेशन हुआ तो

पार्लिमैन्ट ने ग़ैर-क़ानूनी कर बन्द कर दिये तथा कई उपयोगी नियम बनाये।

प्रजा की विजय—सन् १६४१ ई० में प्रतिनिधि सभा ने महान् विरोध पत्र (Grand Remonstrance) उपस्थित किया, इसमें एक मांग यह भी थी कि जब तक पार्लिमैन्ट स्वीकार न करे, मन्त्रियों की नियुक्ति न की जाय। बादशाह के अवहेलना करने पर, उसका पार्लिमैन्ट से युद्ध हुआ, जिसमें बादशाह को परास्त होना, और अनन्तः मुक़द्मा चलने पर न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार प्राण-दंड भोगना पड़ा। इस प्रकार पार्लिमैन्ट की अद्भुत विजय हुई। हां, कुछ समय पीछे वह सैनिक शक्ति से दब गयी। इसने ग्यारह वर्ष (१६४९—६०) बिना बादशाह के शासन करने की परीक्षा की, परन्तु इसमें यह सफल न हुई। और, बादशाह के पद की पुनः स्थापना (Restoration) करनी पड़ी। परन्तु जब चार्ल्स द्वितीय तथा उसके बाद जेम्स द्वितीय ने प्रजा के अधिकारों का लिहाज़ न रखकर कैथोलिक धर्म वालों का पक्षपात किया, तथा बादशाह के 'दैवी (या ईश्वर दत्त) अधिकार' के सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाहा तो प्रजा ने यथेष्ठ विरोध किया। जेम्स के समय इंगलैण्ड में महान क्रान्ति (Great Revolution) हुई। पार्लिमैन्ट ने उसके दामाद विलियम को, जो आरेंज का ड्यूक था, बुला भेजा। उसके, एक भारी डच सेना सहित, आजाने पर सारा इंगलैण्ड उस की ओर होगया और जेम्स को वहां से भाग कर ही अपना पिंड छुटाना पड़ा। इंगलैण्ड के शासन का भार विलयम (तृतीय) और उसकी स्त्री मेरी को सौंप

दिया गया। उसी अवसर पर (१६८९) पार्लिमेन्ट ने अधिकारों का मसविदा (Bill of Rights) स्वीकार किया जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

१—कोई कैथलिक मतावलम्बी व्यक्ति बादशाह न हो सकेगा।

२—बादशाह को राज नियम भंग करने का अधिकार नहीं है।

३—पार्लिमेंट (प्रतिनिधि सभा) का निर्वाचन स्वतंत्र हुआ करेगा। *

[पहिले कभी कभी बादशाह ही इस बात का निर्णय कर देता था कि किस किस स्थान से कितने कितने प्रतिनिधि आवें। एवं, कभी कभी ऐसा भी होता था कि प्रतिनिधि सभा ही अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़े थोड़े आदमियों की बस्तियों को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दे देती थी।]

४—पार्लिमैन्ट में सभासदों को भाषण करने की स्वतंत्रता होगी, और उनकी अनुमति बिना कोई कर न लगाया जायगा।

यह भी निश्चय किया गया कि बादशाह को भारी सेना रखने का अधिकार नहीं है।

इस प्रकार इस क्रांति से राज-सत्ता प्रजा के हाथ में आगयी, पार्लिमैन्ट को राज-कोष पर पूरा अधिकार होगया, और उसकी शक्ति यहां तक बढ़ गयी कि बादशाह के निजी खर्च के लिए भी पार्लिमैन्ट की स्वीकृति अनिवार्य होगयी। (राजघराने के व्यय के विवरण को 'सिविल लिस्ट' कहते हैं)।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सोलहवीं शताब्दी तक प्रतिनिधि सभा पर बादशाह (तथा सरदार सभा) का प्रभुत्व रहा। सतरहवीं शताब्दी में इसका प्रभाव क्रमशः बढ़ने लगा। कुछ प्रयत्नों के बाद यह निश्चय होगया कि सार्वजनिक तथा धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे पहले प्रतिनिधि सभा में उपस्थित किये जांय, तत्पश्चात् सरदार सभा में; और अन्त में बादशाह की औपचारिक (Formal) स्वीकृति से काम में लाये जांय। फिर धीरे धीरे प्रतिनिधि सभा के अधिकार बढ़ते गये।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता—बहुधा ऐसा होता था कि बादशाह अथवा अन्य अधिकारी अपने विरोधियों को निरपराध होते हुए भी अपरिमित काल के लिए क़ैद कर देते थे। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में कभी कभी न्यायालयों के लिखित सूचना निकाल देने पर, जेलर उन्हें निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित कर देते थे, इससे उनके विषय में समुचित न्याय होजाता था। तथापि सन् १६७९ ई० से पूर्व, प्रायः लोगों को वैयक्तिक स्वतन्त्रता का यथेष्ट अधिकार न था। उक्त वर्ष पार्लिमेंट ने 'हेबियस कार्पस एक्ट' (Habius Corpus Act) पास करके इस अभाव को दूर कर दिया। *

* इससे उन लोगों की शारीरिक स्वाधीनता की रक्षा की गयी जिन पर कोई अपराध (Crime) करने का अभियोग लगाया गया हो। यदि बिना वारंट के कोई मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाय तो उसे इस एक्ट के अनुसार शीघ्र ही छुटकारा पाने का अधिकार है। यदि वह वारंट

पार्लिमेन्ट का जीवन काल—आरम्भ में बहुत समय तक इस विषय का कोई नियम नहीं था कि पार्लिमेन्ट का चुनाव कितने समय बाद हो, जब जब बादशाहों को युद्ध आदि के लिए धन की ज़रूरत पड़ती, या कोई नया कर लगाना होता था, तभी वे पार्लिमैन्ट का अधिवेशन करते थे। १६४१ में त्रैवार्षिक क़ानून पास हुआ था। सन् १७१६ ई० में क़ानून बना कि पार्लिमैन्ट का चुनाव प्रति सातवें वर्ष हुआ करे। यह नियम सन् १६११ ई० तक रहा। उस वर्ष से प्रत्येक नयी पार्लिमैन्ट, का जीवन पांच वर्ष तक परिमित कर दिया गया है।

सुधार क़ानून—अठारहवीं शताब्दी के लगभग पूर्ण भाग तक, बादशाह और उसके मन्त्री होशियारी से लोगों को रिश्वतें देकर तथा उजड़े हुए नगरों की ओर से चुने जाने वाले प्रतिनिधियों पर अपना दबाव डालकर, पार्लिमैन्ट में जैसे लोगों को चाहते थे, वैसों का बहुमत प्राप्त करने में, बहुत कुछ सफल होजाते थे। क्रमशः लोगों में राजनैतिक विषयों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसके परिणाम-स्वरूप सन् १८३२ ई० में पार्लिमैंट के चुनाव के सुधार का क़ानून या रिफ़ार्म बिल (Reform Bill) पास हुआ। इसमें पार्लिमैंट का संगठन बहुत बदलगया। जिन उजड़े हुए नगरों की ओर से केवल उनके स्वामी अमीर लोग ही प्रतिनिधि चुन देते थे, उनके

द्वारा किसी अपराध करने के अभियोग पर पकड़ा गया है तो साधारण अपराध के मामले में वह ज़मानत पर छोड़ दिया जाता है। यदि अपराध बड़ा हुआ तो उसके शीघ्र विचार किये जाने की व्यवस्था की जाती है।

— सुपार्श्वदास गुप्त.

प्रतिनिधि लेना बन्द या कम करदिया गया। जो नये नये व्यापारी नगर बस गये थे, उन्हें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अमीरों की शक्ति कम होकर, व्यापारियों के अधिकार बढ़ गये।

जनता का अधिकार पत्र—पूर्वोक्त सुधार क़ानून पास होजाने पर भी बहुत से आदमी असन्तुष्ट थे। व्यापारियों और दुकानदारों को मताधिकार प्राप्त होगया था, परन्तु मज़दूरों को प्रायः नहीं मिला था। अतः लोगों में क्रमशः आन्दोलन होता रहा, और अन्ततः बहुत से आदमी जनता के अधिकार-पत्र या 'पीपल्स चार्टर' (Peoples Charter) का समर्थन करने वाले होगये। इन्हें 'चार्टिस्ट' (Chartists) कहा जाता है। सन् १८४८ ई० में इन्होंने निम्न लिखित मांगे उपस्थित कीं:—

१—इक्कीस वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सब आदमियों को मताधिकार हो।

२—निर्वाचन के लिए राज्य को, बराबर बराबर के निर्वाचन-ज़िलों (Electoral Districts) में विभक्त कर दिया जाय।

३—मत या 'वोट' पर्चे डालकर, अर्थात् 'बेलट' द्वारा, लिये जांय।

४—प्रत्येक आदमी निर्वाचित किया जा सके, चांहे उसके पास कुछ जायदाद हो या न हो।

५—पार्लिमैन्ट के सदस्यों को तनख्वाह मिला करे।

सरकार ने उस समय तो इस आन्दोलन का दमन कर दिया, परन्तु उसे १८६७ में दूसरा सुधार क़ानून पास करके, नगरों में रहने वालों को मताधिकार देना पड़ा। पीछे सन् १८८४ ई० में तीसरा सुधार क़ानून पास करके ग्रामों में भी मत देने वालों की संख्या बढ़ादी गयी। उपर्युक्त मांगों में से नं० ३ और ५ क़ानून बन चुकी हैं।

१९११ का पार्लिमैंट एक्ट; प्रतिनिधि सभा की विजय—इंगलैंड की राजनैतिक दलबन्दी का वर्णन अन्यत्र किया गया है। उन्नीसवीं शताब्दी में वहां प्रधानतया दो दल या पार्टियां (Parties) थीं, उदार और अनुदार। परन्तु सरदार सभा के अधिकतर सदस्य प्रायः अनुदार होते हैं, इसलिए जब कभी प्रतिनिधि सभा में उदार दल वालों का बहुमत हुआ और उन्होंने सार्वजनिक हित का कोई नियम प्रचलित करना चाहा तो वह प्रायः सरदार सभा द्वारा रद्द कर दिया जाता। इस निरन्तर की हार ने उदार दल को सरदार सभा का विरोधी बना दिया। उन्हें बार बार यह अनुभव हुआ कि यह सभा हमारे मार्ग में कांटा स्वरूप है, इसे यदि सर्वथा दूर करना सम्भव न भी हो तो इसकी शक्ति तो भरसक कम की जानी ही चाहिये। सन् १९१० ई० में, प्रतिनिधि सभा ने इस आशय का क़ानूनी मसविदा उपस्थित किया। सरदार सभा उसे पास करना नहीं चाहती थी। परन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि इस क़ानून को पास करने के लिए, बादशाह द्वारा ऐसे आदमियों को काफ़ी संख्या में सरदार बनाकर, सरदार सभा

में प्रविष्ट किया जायगा, जो उस क़ानून का समर्थन करें, तो सरदार सभा ने अपना विरोध हटा लिया, और वह मसविदा पास होगया। यह सन् १९११ ई० का पार्लिमेंट एक्ट कहलाता है। इसकी मुख्य धारायें इस प्रकार हैं :—

१—किसी धन सम्बन्धी मसविदे को, यदि प्रतिनिधि सभा स्वीकार करले, तो चाहे सरदार सभा उसे स्वीकार करे, या न करे, राजा की सम्मति से वह कार्य में परिणत होजायगा।

२—यदि किसी सार्वजनिक या क़ानूनी मसविदे पर सरदार सभा और प्रतिनिधि सभा में मत भेद हो तो वह मसविदा ज्यों का त्यों प्रतिनिधि सभा के अगले अधिवेशन में पेश होगा। प्रतिनिधि सभा के तीसरी बार उसे पास कर लेने पर, तथा दो वर्ष का समय व्यतीत होजाने पर, फिर सरदार सभा से पूछने की आवश्यकता न रहेगी। बादशाह की स्वीकृति से वह क़ानून बन जायगा।

३—प्रतिनिधि सभा का नया चुनाव प्रति पांचवें वर्ष होगा।

इस क़ानून से सरकारी कोष तथा धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदों पर प्रतिनिधि सभा का पूर्ण अधिकार होगया। सरकारी आय का बड़ा भाग सार्वजनिक करों से वसूल होता है, अतः इस विषय में जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार होना ही चाहिये। उपर्युक्त क़ानून से इंगलैंड की शासननीति के सम्बन्ध में भी प्रतिनिधि सभा का, सरदार सभा पर प्रभुत्व होगया। रहा बादशाह, उसकी स्वीकृति तो प्रत्येक विषय में अवश्य ली जाती है, परन्तु वह एक शिष्टाचार मात्र है। इस

प्रकार इंगलैंड का शासन वास्तव में प्रतिनिधि सभा के हाथ में होगया।

पाठकों को ज्ञात है कि किस प्रकार इस सभा ने पहले कर-निर्धारण के अधिकार को प्राप्त करने की मंज़िल तय की। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि इसे व्यवस्था पर नियन्त्रण करने की शक्ति मिल गयी। कुछ प्रयत्नों के बाद, आख़ीरी मंज़िल भी तय हो गयी, अब यह शासकों को भी नियन्त्रण करने वाली बन गयी है।

उपसंहार—उपर्युक्त विवेचन से यह ज्ञात होगया कि अंगरेज़ जाति ने किस प्रकार निरन्तर दृढ़ता पूर्वक आन्दोलन करते रहकर, अपने राज्य को बहुत कुछ अनियन्त्रित राजतंत्र से, परिमित या वैध राजतंत्र में परिणत किया; यहां तक कि अब बादशाह प्रायः नाम मात्र का बादशाह है, और, सब शासन अधिकार मन्त्री मंडल को हैं जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संगठित प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यद्यपि प्रजातंत्र के आदर्श को प्राप्त करने में अभी कुछ और भी सुधारों की आवश्यकता होगी, इंगलैंड में प्रजातंत्र का युग आरम्भ होगया है। यह युग कब से आरम्भ हुआ, यह तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जैसा पहले कहा गया है, यहां शासन पद्धति का विकास क्रमशः, मंज़िल दर मंज़िल हुआ है, तथापि मोटे हिसाब से ऐसा कहने में कोई त्रुटि न होगी, कि यह युग उन्नीसवीं शताब्दी, तथा उसमें भी सन् १८३२ ई० से आरम्भ हुआ। इससे स्पष्ट है कि यह युग अभी सौ वर्ष का भी नहीं हुआ। इससे पहले भी जनता ने बहुत

से स्वत्व प्राप्त किये थे, पर उनसे अधिकतर धनवानों की शक्ति बढ़ी थी। गत सौ वर्षों में साधारण जनता को शासन कार्य में विशेष स्थान मिलने लगा है। सन् १९११ ई० के सुधार कानून का इस में विशेष महत्व है। सम्भव है, कुछ समय पश्चात् जनता का ही पूर्ण अधिकार हो जाय।

दसवां परिच्छेद.

राजनैतिक दलबन्दी

स्वतंत्र देशों में पुरानी पार्टियों को गिरा कर जो नयी पार्टियां उठती हैं, उन पर उत्सुकता-पूर्ण नेत्रों से टकटकी बांधी जाती है। उनमें जोश होता है, उत्साह होता है, और कार्य करने की धुन होती है।

'— सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार।

प्राक्कथन—राजनैतिक दल या 'पार्टी' (Party) ऐसे मनुष्यों के समूह को कहते हैं, जिनके, तत्कालीन मुख्य राजनैतिक प्रश्नों पर एक ही प्रकार के विचार हों, और जो राज काज में इन विचारों का प्रचार करने के लिए संगठित हुए हों। इंगलैंड में सरकार का कभी एक राजनैतिक दल के

हाथ में होना, फिर उसके हाथ से निकल कर दूसरे दल के हाथ में चला जाना, वहां के शासन की एक महत्व-पूर्ण विशेषता है। इस परिच्छेद में हम यह बतलायेंगे कि इंगलैंड के शासन कार्य में दलबन्दी की प्रथा कैसे आरम्भ तथा विकसित हुई।

पहले बहुत समय तक इंगलैंड में भिन्न भिन्न राजनैतिक दल नहीं थे। वास्तव में सोलहवीं शताब्दी तक दलबन्दी के लिए अनुकूल स्थिति ही नहीं थी। जनता में उस समय तक राजनैतिक जागृति नहीं हुई थी। वह बहुत कुछ अपने बादशाहों के अधीन थी। पार्लिमेंट के अधिवेशन बहुत कम होते थे। उसके सदस्यों को ऐसा अवसर नहीं मिलता था कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानलें और किसी विषय पर अपना मत संगठित कर सकें। बादशाह खास खास व्यक्तियों को ही मंत्री चुनता था, दूसरों को सरकारी कार्य का ज्ञान या अनुभव बहुत कम होता था। इस लिए मंत्रियों का वास्तविक विरोध भी उस समय तक नहीं होता था, जब तक कि पार्लिमेंट उनके विरुद्ध अपने अधिकारों का उपयोग करने पर, पूरी तौर से कटिबद्ध न हो जाय।

दलबन्दी का सूत्रपात—इंगलैंड में राजनैतिक दलों की पहली झांकी स्टुअर्ट वंशी बादशाहों के समय में होती है। ये बादशाह अपने अधिकारों को ईश्वर-दत्त समझते थे। इसके विपरीत, पार्लिमेंट के बहुत से सदस्यों का मत था कि उन्हें बादशाह पर नियंत्रण करने का अधिकार है। इस मत-

भेद के कारण इंगलैंड में बड़ा गृह युद्ध (Civil War) हुआ। उसमें पार्लिमेंट की सेना की विजय हुई। बादशाह चार्ल्स प्रथम के बध किये जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस समय से पार्लिमेंट में दो दल हो गये, एक राजा के समर्थक, दूसरे प्रजा पक्षीय।

कुछ वर्ष प्रजा पक्षीय लोगों का बोलबाला रहा। उनका नेता आलिवर क्रामवेल देश-रक्षक की उपाधि से, प्रधान अधिकारी रहा। राज गद्दी खाली पड़ी रही। परन्तु क्रामवेल की मृत्यु के बाद, यह बात दूर हो गयी। उसका पुत्र अयोग्य था। राजकीय पक्ष के लोगों का बहुमत हो गया। चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स द्वितीय राज गद्दी पर बैठा दिया गया।

'टोरी' और 'विग'—इस बादशाह का भाई (जेम्स द्वितीय) पक्का रोमन केथलिक था, उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार न रहे, इस आशय का कानूनी मसविदा पार्लिमेंट में उपस्थित किया जाने पर, पुनः दोनों दलों का परस्पर में विरोध हुआ। जेम्स द्वितीय के तरफ़दार 'टोरी' (Tory) और उसके विरोधी 'विग' (Whig) कहलाने लगे। संक्षेप में, शासन पद्धति के लिए 'टोरी' संरक्षणात्मक भाव रखते थे और 'विग', सुधारक।

सरकार की बागडोर कभी एक दल के हाथ में चली जाती, कभी दूसरे के में। पहले कहा जा चुका है कि अठारहवीं शताब्दी में दो बादशाह—जार्ज प्रथम, और जार्ज द्वितीय—अंगरेज़ी भाषा न समझ सकने के कारण मंत्री

मंडल के वाद विवाद में भाग नहीं ले सकते थे, इससे शासन अधिकार बहुत कुछ प्रधान मंत्री के हाथ में चला गया। यह मंत्री उस दल का नेता होता था, जिसके सदस्यों की पार्लिमैंट में अधिक संख्या हो। सर रार्बट वालपोल पहला प्रधान मंत्री था।

जार्ज तृतीय के शासन काल में इंगलैण्ड के उन उपनिवेशों ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न किया, जिन्हें अब अमरीका के संयुक्त राज्य कहते हैं। 'विग' दल के सदस्यों की उनसे सहानुभूति थी, वे उनकी इस मांग को स्वीकार करने के पक्ष में थे कि बिना उनकी रज़ामन्दी के उन पर कर नहीं लगाया जा सकता। परन्तु टोरी दल के अधिकारारूढ़ होने के कारण उक्त अमरीकन उपनिवेशों से युद्ध किया गया, जिसमें अन्ततः उनकी विजय होने से 'टोरी' दल का प्रभाव घट गया और सरकार की बागडोर 'विग' दल के हाथ में चली गयी।

सन् १७८९ ई० में फ्रांस की राजक्रान्ति हुई। कुछ वर्ष बाद विप्लववादियों के अत्याचार हुए तो इंगलैंण्ड में 'विग' दल वालों का प्रभाव कम रह गया; और 'टोरी' दल ने ज़ोर पकड़ लिया; और, नैपोलियन के साथ युद्ध रहने तक 'टोरी' दल का ही प्रभुत्व रहा। युद्ध समाप्त होजाने पर लोगों के विचारों में क्रमशः परिवर्तन हुआ, तो पुनः 'विग' दल पदारूढ़ होगया; और उसके प्रयत्न से १८३२ ई० में पार्लिमैन्ट के निर्वाचन सम्बन्धी सुधार के लिए 'रिफ़ार्म एक्ट' पास होगया, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है।

उदार और अनुदार दल—उन्नीसवीं शताब्दी के

आरम्भ में 'विग' और 'टोरी' दलों के नाम क्रमशः उदार या 'लिबरल' (Liberal) और अनुदार या 'कंज़र्वेटिव' (Conservative) होगये। उदार वे लोग कहलाते हैं जो वर्तमान परिस्थिति से असंतुष्ट तथा उसे सुधारने के इच्छुक हों। अनुदार वह कहलाते हैं जो वर्तमान स्थिति को बनाये रखना, और पराचीनता की रक्षा करना चाहते हों, और उसमें कोई परिवर्तन केवल उस दशा में ही करने के लिए सहमत हों, जब उन्हें स्पष्ट तथा पूरी तौर से यह प्रमाणित होजाय कि वह परिवर्तन बहुत आवश्यक तथा लाभकारी है।

मज़दूर दल—उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में एक नये दल का जन्म हुआ, यह मज़दूर दल या 'लेबर पार्टी' (Labour Party) कहलाता है। इसके सदस्य प्रायः मज़दूर-संघों, सहकारी समितियों आदि के प्रतिनिधि होते हैं, तथा साम्यवादी (Socialist) नीति रखते हैं। इनका एक प्रधान सिद्धान्त यह होता है कि सावजनिक हित को लक्ष्य में रखकर सरकार को चाहिये कि उद्योग धन्धों आदि का पूर्ण नियंत्रण करे। * इनके 'चार्टिस्ट' (Chartist) आन्दोलन का उल्लेख पहले किया जा चुका है। सन् १८८५ ई० में प्रथम बार मजदूर दल के सदस्य पार्लिमैन्ट के निर्वाचन में चुने गये।

---

* इसके विपरीत व्यक्तिवादी (Individualistics) यह चाहते हैं कि व्यक्तियों को आर्थिक या सामाजिक आदि विषयों में, जहां तक राष्ट्र-हित में वाधा न हो, अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाय।

आधुनिक स्थिति—आज कल इंगलैण्ड में तीन ही दल प्रधान हैं (१) उदार, (२) अनुदार, और (३) मज़दूर। गत योरपीय महायुद्ध के समय दलबन्दी तोड़ दी गयी थी, और मंत्री मंडल में सब दलों के नेता सम्मिलित थे। सन् १९२४ ई० में मज़दूर दल ने अपना मंत्री मंडल बनाया, परन्तु प्रतिनिधि सभा में इस दल के सदस्यों की संख्या यथेष्ठ नहीं थी, अतः ये उदार दल वालों की सहानुभूति से कार्य करते रहे। अन्ततः केवल नौ महिने में ही यह दल परास्त होगया, और शासन सूत्र 'अनुदार' दल के हाथ में चला गया। अब (१९२९ में) नया चुनाव होने वाला है।

स्मरण रहे कि कोई सदस्य, अपने दल से सम्बन्ध त्याग कर, दूसरे दल में मिल सकता है। इस प्रकार विविध दलों की संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है।

दलबन्दी से हानि-लाभ—पराधीन देशों में समस्त विवेकशील सज्जनों का एक मात्र कर्तव्य यह होता है कि देश को पराधीनता-पाश से मुक्त करें। बहुधा लक्ष्य-प्राप्ति के उपायों के विषय में, भिन्न भिन्न कार्य-कर्ताओं के विचारों में कुछ भिन्नता होती है, परन्तु यदि यह भिन्नता दूर करके कुछ पारस्परिक समझौते से काम न लिया जाय तो उनका अभीष्ट सिद्ध होना—देश स्वतंत्र होना—ही कठिन है। इसलिए पराधीनता की दशा में दलबन्दियों का होना बहुत घातक होता है।

परन्तु, जब देश स्वाधीन हो, तो यदि उसकी उन्नति के लिए भिन्न भिन्न विचार वाले कार्य-कर्ता अपना पृथक् पृथक्

संगठन करलें और राजशक्ति प्राप्त करने में एक दूसरे से प्रतियोगिता करें तो राजनैतिक दृष्टि से कोई हानि नहीं है, वरन् इससे लाभ ही है, क्योंकि प्रत्येक दल अपने आपको जनता में और दलों की अपेक्षा अधिक प्रिय बनाने के लिए, देशोन्नति के कार्यों में अधिक अग्रसर तथा प्रयत्नशील होगा। हां, नागरिकों की वैयक्तिक अथवा विशुद्ध नैतिक दृष्टि से, स्वाधीन देशों में भी दलबन्दी नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। सदस्यों को अपने दल (पार्टी) की विजय के लिए बड़े दाव पेंच का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। उन्हें विषय-ज्ञान न होते हुए अथवा विपरीत सम्मति रखते हुए भी, उस ओर मत देना पड़ता है जिस ओर उनके दल के अन्य सदस्य मत देते हों। सच्चे स्वराज्य में, इस प्रकार आत्मा और सत्य का घात करने वाली, ऐसी बातों को सर्वथा त्याग देना चाहिये।

ग्यारहवां परिच्छेद.

न्यायालय

लोगों के लिए कुछ स्वतंत्रता नहीं होती, यदि न्याय-शक्ति व्यवस्थापक तथा शासन शक्ति से पृथक् न रखी जाय।

—मोंटेस्क।

प्राक्कथन—पहले बताया गया है कि प्रत्येक देश के राज्य कार्य के तीन भाग किये जा सकते हैं, (१) व्यवस्था, (२) शासन और, (३) न्याय। इनमें से प्रथम दो का वर्णन हो चुका। इस परिच्छेद में न्यायालयों के विषय में आवश्यक बातें बतलायी जायंगी।

न्याय कार्य की विशेषतायें—ब्रिटिश संयुक्त राज्य के न्याय कार्य की विशेषतायें निम्न लिखित हैं:—

१—ब्रिटिश संयुक्त राज्य में प्रत्येक आदमी को क़ानून का समान रूप से पालन करना होता है। वहां सभी अपराधों के लिए साधारण न्यायालय हैं, किसी अपराध के लिए विशेष नहीं। बादशाह के बारे में तो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसके कामों के उत्तरदाता मन्त्री होते हैं। मन्त्रियों तथा शासकों के भी विरुद्ध सब मामले उन्हीं अदालतों में सुने जाते हैं, जिनमें दूसरे नागरिकों के विरुद्ध सुने जाते हैं, और, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक स्वतंत्रता में अनुचित और ग़ैर-क़ानूनी हस्तक्षेप करने वालों के विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। इसका विशेष रूप से, पहले उल्लेख हो चुका है।

२—न्यायाधीशों को, बादशाह, लार्ड चांसलर (एक मंत्री) की सिफ़ारिश से नियत करता है। वे अपने पद से उस समय तक पृथक् नहीं किये जा सकते, जब तक कि वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहें, या जबतक पार्लिमेंट की दोनों सभायें बादशाह को उन्हें अपने पद से पृथक् करने की

सिफ़ारिश न करें। यही कारण है कि इंगलैंड में न्याय कार्य स्वतंत्रता, पूर्वक होता रहता है और उस पर शासकों का किसी प्रकार अनुचित प्रभाव नहीं पड़ने पाता।

३—सब फ़ौजदारी मामलों और अधिकांश दीवानी मामलों का फ़ैसला 'जूरी' (Jury) के निर्णय के अनुसार किया जाता है। * इससे मुक़दमे पर अच्छी तरह विचार होजाता है और अन्याय होने की सम्भावना बहुत ही कम रह जाती है।

फ़ौजदारी सम्बन्धी न्याय की विशेषतायें—

१—इंगलैंड में किसी व्यक्ति पर फ़ौजदारी का मुक़दमा तब तक नहीं चल सकता, जबतक उसके अपराध की जांच कोई अफ़सर अच्छी तरह न करले, और उसे उसके अभियुक्त होने की सम्भावना प्रतीत न हो।

२—अभियुक्त को दोषी प्रमाणित करने का सब भार अभियोग चलाने वाले पर रहता है।

३—अभियुक्त का विचार 'जूरी' द्वारा होता है। यदि अभियुक्त को जूरी के किसी सदस्य के निस्पक्ष होने के

---

* प्रत्येक मुक़दमे के आरम्भ होने के समय, न्यायाधीश ऐसे पांच या सात स्थानीय व्यक्तियों को चुन लेता है जो उसके साथ मुक़दमे का हाल सुनते हैं और अन्त में मुक़दमे की घटनाओं के सम्बन्ध में अपनी राय देते हैं। न्यायाधीश को इनकी राय के आधार पर, क़ानून के अनुसार, मुक़दमे का फ़ैसला करना होता है।

सम्बन्ध में संदेह हो तो वह, कार्रवाई आरम्भ होने से पहले, आपत्ति कर सकता है।

४—अभियुक्त का विचार खुली अदालत में होता है, और उसके विरुद्ध जो गवाहियां ली जाती हैं, वे शपथ देकर ली जाती हैं।

५—जूरी का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है। प्रत्येक अपराध के दंड की सीमा क़ानून द्वारा निर्धारित की हुई है।

उपर्युक्त विशेषताओं के कारण, इंगलैण्ड में, फ़ौजदारी मामलों में, अन्य देशों और विशेषतया भारतवर्ष की अपेक्षा, अधिक न्याय होता है।

न्याय की प्रधान अदालत—इगलैण्ड की सब से बड़ी अदालत को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कहते हैं। इस अदालत के दो भाग हैं:—(१) हाईकोर्ट (High Court) और (२) अपील-कोर्ट (Court of Appeal)।

हाईकोर्ट में दीवानी, फ़ौजदारी तथा अन्य प्रकार के सब मुक़द्दमों पर विचार होता है। इसमें लगभग बीस न्यायाधीश रहते हैं। हाईकोर्ट नीचे की अदालतों के काम का निरीक्षण करता है तथा उनके किये हुए फ़ैसलों की अपील सुनता है।

अपील कोर्ट में नौ न्यायाधीश होते हैं। यह हाईकोर्ट के, तथा कुछ विशेष दशाओं में नीचे की अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनता है।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, अपील-कोर्ट के फ़ैसले

की अपील सरदार सभा में होती है, इसके लिए अटार्नी-जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। ऐसी अपील के अवसर बहुत कम आते हैं।

ब्रिटिश उपनिवेशों, तथा भारतवर्ष की उंची अदालतों के फ़ैसलों की अपील, 'प्रिवी कौंसिल' की न्याय समिति में होती है, इसका वर्णन पहले किया जाचुका है।

न्यायालय और पार्लिमैंट—इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व, हम यह और बतलाना चाहते हैं कि पार्लिमैन्ट के बनाये हुए क़ानूनों पर न्यायालयों का कहां तक अधिकार है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ब्रिटिश संयुक्त राज्य में, किसी क़ानून का अर्थ लगाने में मत-भेद उपस्थित होजाने पर उसका निर्णय न्यायालय करता है, और वह निर्णय मान्य होता है। परन्तु इसके अतिरिक्त न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी क़ानून के विषय में यह निश्चय करे कि वह उचित है, या अनुचित।

बारहवां परिच्छेद.

उत्तरी आयलैंड और निकटवर्ती द्वीपों का शासन

प्राक्कथन—पहले बताया जाचुका है कि सन् १९२०ई० में उत्तरी आयलैंड को अपने आन्तरिक शासन प्रबन्ध के कुछ अधिकार दिये गये और इसके लिए एक पृथक् पार्लिमैन्ट का संगठन किया गया जो ब्रिटिश पार्लिमैन्ट के निरीक्षण और नियंत्रण में कुछ निर्धारित विषयों के क़ानून बनाने लगी। इंगलैण्ड, वेल्ज, और स्काटलैंड में कोई ऐसा भू-भाग नहीं है, जिसे उत्तरी आयलैंण्ड की तरह इस प्रकार के शासन प्रबन्ध और क़ानून बनाने का अधिकार हो।

अब हम उत्तरी आयलैंड के शासन के सम्बन्ध में कुछ मुख्य मुख्य बातों का वर्णन करते हैं।

गवर्नर और प्रबन्धकारिणी सभा—उत्तरी आयलैंड का प्रधान शासक गवर्नर कहलाता है, वह बादशाह का प्रतिनिधि होता है और बादशाह द्वारा ही नियुक्त होता है। वह प्रबन्धकारिणी सभा के परामर्श से उन शासन सम्बन्धी कार्यों को करता है, जो उत्तरी आयलैंण्ड को सौंपे गये हैं। प्रबन्धकारिणी सभा में छः मंत्री रहते हैं, जो अपने शासन

कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

पार्लिमेंट—उत्तरी आयर्लैंड की पार्लिमेंट में दो सभायें हैं:—(१) सिनेट और, (२) प्रतिनिधि सभा । सिनेट में २६ सदस्य होते हैं, उनमें से दो 'एक्स-आफ़िशो' (Ex-officio) अर्थात् अपने पद के कारण सदस्य होते हैं। शेष चौबीस सदस्य निर्वाचित होते हैं; ये उत्तरी आयर्लैण्ड की प्रतिनिधि सभा द्वारा, आठ वर्ष के लिए चुने जाते हैं; इनमें से बारह सदस्यों का निर्वाचन प्रति चौथे वर्ष होता है।

प्रतिनिधि सभा में ५२ सदस्य होते हैं। उत्तरी आयर्लैंड की जनता को निर्वाचन अधिकार वैसा ही है, जैसा इंगलैंड की जनता को है, परन्तु यहां सरदार (Lords) भी प्रतिनिधि सभा के सदस्य बनने के लिए उम्मेदवार हो सकते हैं। धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदों का विचार प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ हो सकता है, सीनेट को उक्त मसविदों में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता।

यदि कोई क़ानूनी मसविदा प्रतिनिधि सभा में स्वीकृत होकर, सिनेट द्वारा अस्वीकृत होजाय तो प्रतिनिधि सभा के दूसरे अधिवेशन में पुनः स्वीकृत होने पर वह पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित किया जाता है, और बहुमत के निर्णय के अनुसार, गवर्नर के स्वीकार कर लेने पर, क़ानून का रूप धारण कर लेता है।

क़ानून बनाने का अधिकार—उत्तरी आयर्लैंड की

पार्लिमैंट को निम्न लिखित विषयों के सम्बन्ध में क़ानून बनाने का अधिकार नहीं है :—

बादशाह, युद्ध, शान्ति तथा सन्धियां, नौ सेना, स्थल सेना, वायु सेना, सम्मान सूचक पद, राजद्रोह, विदेशी व्यापार, जहाज़ चलाना, समुद्र के तार (Sub-marine Cable), बे तार के तार, वायुयान यात्रा, मुद्रा-ढलाई और हुण्डी आदि, तोल और माप, व्यापार चिन्ह (Trade mark), आयात निर्यात कर, मादक द्रव्य कर, मुनाफ़े पर कर, आय कर, डाक विभाग, सेविंगस बैंक, सरकारी दस्तावेज़ों की रजिस्टरी आदि।

यह पार्लिमैंट कोई ऐसा भी क़ानून नहीं बना सकती, जिससे धार्मिक विषय में हस्तक्षेप होता हो, या जिसके द्वारा किसी विशेष धर्म के अनुयाइयों से पक्षपात या सख़्ती होती हो, या जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था की जायदाद बिना मुआवज़े के ली जाय।

न्याय कार्य—उत्तरी आयर्लैण्ड की सब से बड़ी अदालत के दो भाग हैं :—हाईकोर्ट और अपील-कोर्ट। अपील-कोर्ट के फ़ैसले की अन्तिम अपील इंगलैंड की सरदार सभा में होती है। यदि किसी क़ानूनी मसविदे के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठे कि उत्तरी आयर्लैंड की पार्लिमेण्ट को उसके बनाने का अधिकार है या नहीं, तो उसका अन्तिम निर्णय इंगलैंड की 'प्रिवी कौंसिल' की न्याय समिति देती है।

खाड़ी के द्वीप—खाड़ी के द्वीप (Channel Islands)

इंगलैंड के निकट ही हैं। इनका शासन लेफ्टेनैंट गवर्नर द्वारा होता है, जो अपने कार्य के लिए इंगलैंड के युद्ध और स्वदेश विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां एक व्यवस्थापक सभा है, उसे क़ानून बनाने के परिमित अधिकार हैं। 'प्रिवी कौंसिल' के परामर्श से आज्ञा-पत्र निकाल कर, बादशाह भी इन द्वीपों के लिए आवश्यक क़ानून बना सकता है। व्यवस्थापक सभा के सदस्य निम्न लिखित व्यक्ति होते हैं :—

एक 'बेलिफ़' (Bailiff); यह सरकारी कर्मचारी होता है। जब व्यस्थापक सभा में किसी क़ानूनी मसविद के पक्ष और विपक्ष में समान मत हों, तो इसे अपना मत देने का अधिकार होता है।

एक 'अटार्नी और सोलिसिटर जनरल' (Attorney & Soliciter General)।

बारह 'जुरेट्स' (Jurets) अर्थात् अवैतनिक न्यायाधीश। ये निर्वाचित आजीवन सदस्य होते हैं।

बारह 'रेक्टर' (Rectors)। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिनके पास ७२० पौंड से अधिक की जायदाद हो।

छब्बीस अन्य सदस्य जो प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं।

इस व्यवस्थापक सभा को टैक्स लगाने का अधिकार है, पर उसके लिए बादशाह और 'प्रिवी कौंसिल' की स्वीकृति आवश्यक होती है।

मानद्वीप—मान द्वीप (Isle of Man) भी इंगलैंड के बहुत निकट है। इसका प्रबन्ध एक लेफ्टेनेंट गवर्नर करता है, जो अपने कार्य के लिए, इंगलैंड के स्वदेश विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है। आयात-निर्यात कर के नियंत्रण सम्बन्धी अधिकार इंगलैण्ड की पार्लिमेन्ट को ही हैं।

यहां व्यवस्था कार्य के लिए दो सभायें हैं. (१) व्यवस्थापक परिषद (Legislative Council) और (२) व्यवस्थापक सभा, जिसे 'हाउस आफ़-कीज़' (House of Keys) कहते हैं।

व्यवस्थापक परिषद में बिशप अर्थात् लाट पादरी, 'डीम्सटर्स' (Deemsters), 'हाउस-आफ़-कीज़' से निर्वाचित चार सदस्य, और लेफ्टेनेंट गवर्नर से नामज़द किये हुए दो सदस्य होते हैं।

'हाउस आफ कीज़' में २४ सदस्य होते हैं। इस सभा के लिए स्त्रियां भी निर्वाचक और सदस्य हो सकती हैं।

तेरहवां परिच्छेद

स्थानीय शासन

स्वाधीन राष्ट्रों की शक्ति नागरिकों की स्थानीय समितियों पर निर्भर होती है।

— डी० टोकविल.

प्राक्कथन—इस परिच्छेद में ब्रिटिश संयुक्त राज्य की स्थानीय संस्थाओं के संगठन और कार्य आदि का वर्णन किया जायगा। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार सुभीते से नहीं कर सकती, उन कार्यों को स्थानीय संस्थाओं द्वारा कराना अच्छा होता है। ये संस्थायें उन्हें स्थानीय परिस्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी तरह सम्पादन कर सकती हैं। इन संस्थाओं में बोर्ड या कमेटी महत्व-पूर्ण विषयों का निर्णय करती हैं, और साधारण नीति निर्धारित करती हैं। ब्यौरेवार बातों का प्रबन्ध करने के लिए भिन्न भिन्न उप-समितियों को विविध विषय सौंपे जाते हैं, ये उप-समितियां बोर्ड या कमेटी के निरीक्षण में अपना कर्तव्य पालन करती हैं। बोर्ड, कमेटी तथा उप-समितियों के निर्णयों को अमल में लाने के लिए प्रत्येक स्थान में कुछ स्थायी कर्मचारी रहते हैं।

स्थानीय संस्थायें—स्थानीय कार्यों के सुसम्पादन के

लिए ब्रिटिश संयुक्त राज्य के भिन्न भिन्न भागों, अर्थात् इंगलैण्ड, वेल्ज़, स्काटलैण्ड, और उत्तरी आयर्लैंड में से प्रत्येक कुछ काउंटियों में विभक्त है। कोई कोई बड़ा शहर अकेला भी काउन्टी मान लिया गया है, उसे 'काउन्टी-बरो' कहते हैं। प्रत्येक काउन्टी में प्रबन्ध कार्य के लिए एक काउन्टी कौंसिल होती है। हरएक काउन्टी ग्राम-ज़िलों, नगर-ज़िलों तथा म्युनिसिपल बरों में विभक्त होती है। प्रत्येक नगर-ज़िले तथा ग्राम-ज़िले में ज़िला-कौंसिल और, म्युनिसिपल-बरो में म्युनिसिपल कौंसिल हैं। ग्राम-ज़िले 'पेरिशों' (Parishes) में विभक्त हैं। पेरिश एक बड़ा ग्राम या कुछ ग्रामों का समूह होता है। पेरिशों में पेरिश-कौंसिल होती है।

काउन्टी कौंसिल—काउन्टी कौंसिल में सभापति, 'एल्डरमेन' (Aldermen), और साधारण सदस्य (Councillors) होते हैं। काउन्टी में प्रत्येक ज़िले से एक या अधिक साधारण सदस्य प्रति तीसरे वर्ष चुने जाते हैं। एलडरमेन साधारण सदस्यों द्वारा छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु आधे एलडरमेनों का चुनाव तीसरे वर्ष होजाता है। कुल एलडरमेनों की संख्या साधारण सदस्यों की एक तिहाई होती है, साधारण सदस्यों की संख्या काउन्टी के विस्तार पर निर्भर है, और २८ से १४० तक होती है। सभापति कौंसिल द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन अधिकार उन सब बालिग़ पुरुषों तथा स्त्रियों को है, जो निर्वाचन के समय छः मास तक काउन्टी में रह चुके हों।

काउन्टी कौंसिल, ज़िला कौंसिलों के काम का निरीक्षण

करती है, और उनके जिस काम में उपेक्षा हो, उसका सम्पादन करती है। यह बड़ी सड़कों, और पुलों की मरम्मत करवाती है; किसानों को छोटे छोटे खेत दिलाने का प्रबन्ध करती है; काउन्टी की पुलिस का नियन्त्रण करती है; मातृ-कर्तव्य और बच्चों की सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का पालन कराती है। यह काउन्टी में प्रारम्भिक शिक्षा की उत्तरदायी है, और उच्च शिक्षा के लिए सहायता देती है। यह अस्पतालों, सुधार-गृहों और पागलखानों का प्रबन्ध तथा निरीक्षण करती है; और नाचघर, थियेटरों, गायन गृह आदि का लाइसेंस भी देती है। यह निम्न लिखित विषयों के क़ानून को अमल में लाती है:-पशुओं की छूत की बीमारी, नाशक कृमि, जंगली पशु, तोल और माप, स्फोटक पदार्थ, नदियों की गन्दगी आदि।

काउन्टी कौंसिल अपने कर्मचारियों को स्वयं नियत करती है। यह अपनी काउन्टी की सुव्यवस्था के लिए आवश्यक उपनियम बनाती है और उन्हें भंग करने वालों पर जुर्माना कर सकती है। यह एक निर्धारित सीमा तक कर भी लगा सकती है, इसके करों को 'काउन्टी रेट' कहते हैं। इसे कुछ आय भी जुर्माने से होजाती है। परन्तु आय का मुख्य साधन वह रक़म है, जो इंगलैंड की सरकार द्वारा इसे ख़ास ख़ास कामों के लिए मिलती है। कौंसिल का हिसाब एक आय-व्यय-निरीक्षक द्वारा जांचा जाता है, जो स्वास्थ मन्त्री द्वारा नियत होता है।

ज़िला कौंसिल—प्रत्येक ज़िला कौंसिल के सदस्य

तीन साल के लिए चुने जाते हैं, परन्तु एक-तिहाई सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। जो सदस्य छः मास तक, बिना किसी विशेष कारण, कौंसिल की मीटिंग में अनुपस्थित रहता है, उसकी जगह खाली होजाती है। सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता है। स्वास्थ विभाग के इन्सपेक्टर कौंसिल की मीटिंग में, आमन्त्रित किये जाने पर, भाषण दे सकते हैं।

ज़िला कौंसिल के मुख्य कार्य ये हैं:—यह ज़िले की गलियों, बाज़ारों और नालियों की सफ़ाई कराती है, सड़कों पर पानी छिड़कवाती है, मकानों का मैल और कूड़ा हटवाती है, स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करती है, हानिकर खाद्य पदार्थों को फिकवाती है। यह प्रधान सड़कों को छोड़कर अन्य सड़कें बनवाती है तथा उनकी मरम्मत करवाती है। छूत की बीमारियों को रोकने के लिए इसे विशेष अधिकार प्राप्त हैं। यह गाड़ियों, सरायों, और मातृ-गृह आदि का लाइसेंस देती है। यह मेलों का प्रबन्ध करती, तथा कारखानों आदि का समय निर्धारित करती है।

नगर-ज़िला-कौंसिलों के विशेष अधिकार ये हैं:— ये स्नानागार, और कपड़े धोने के स्थानों का प्रबन्ध करती है। कहीं आग लगे तो उसे बुझाने के लिए पानी का प्रबन्ध करना, इनका आवश्यक कर्तव्य है। ये क़साईख़ाने बनवाती हैं, तथा रजिस्टर में उनका उल्लेख करती हैं। ये ट्रामवे तथा छोटी लाइन की रेलें बनवाती और उन्हें चलाती हैं। ये पुस्तकालय, अजायबघर, सार्वजनिक उद्यान आदि भी बनवाती हैं।

ज़िला-कौंसिलों की कुछ आमदनी फ़ीस और जुर्माने से होजाती है, और उनकी शेष आय वह रक़म है जो ब्रिटिश सरकार से उन्हें काउन्टी कौंसिल द्वारा प्राप्त होती है। नगर-ज़िला-कौंसिलों को निर्धारित कर वसूल करने का अधिकार है। ग्राम-ज़िला-कौंसिलों का ख़र्च उस फ़ंड से चलता है जो भिन्न भिन्न पेरिशों से वसूल किये हुए 'दरिद्र-रक्षा-कर' (Poor Rates) के एकत्र होने से बनता है।

म्युनिसिपल कौंसिल—म्युनिसिपल कौंसिलें उन बड़े बड़े शहरों में होती हैं जो काउन्टी कौंसिलों के अधिकार में नहीं हैं। इनमें मेयर (Mayor), एलडरमेन, और साधारण सदस्य होते हैं। साधारण सदस्य तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं परन्तु तृतीयांश सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष, सितम्बर की पहली तारीख को होता है। म्युनिसिपल कौंसिलों के निर्वाचकों की योग्यता वही होती, है जो काउन्टी कौंसिलों के निर्वाचकों की।

'एलडरमेन' साधारण सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। उनकी संख्या, साधारण सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई रहती है। ये छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पर आधे एलडरमेनों का चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है। मेयर, कौंसिल द्वारा एक साल के लिए चुना जाता है; उसका अगले साल भी निर्वाचन हो सकता है। वह कौंसिल का सभापति होता है। वह 'म्युनिसिपल बरो' की ओर से आतिथ्य सत्कार का कार्य करता है। वह कौंसिल की सब कमेटियों का सदस्य,

और 'बरो' की न्यायाधीश समिति का सभापति, होता है। यदि बिना विशेष कारण के, मेयर दो मास तक, और 'ऐलडरमेन' या साधारण सदस्य छः मास तक, अपने 'बरो' से अनुपस्थित रहें, तो उनका स्थान ख़ाली हो जाता है।

कौंसिलें 'बरों' के लिए उपनियम बना सकती हैं। ये अपनी 'बरों' की जायदाद का प्रबन्ध करती हैं। जिन 'बरों' में दस हज़ार से अधिक जन संख्या है, वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये 'बरो' जानवरों की छूत सम्बन्धी बीमारियों, नाशक कृमियों, तोल माप, और खाद्य पदार्थों के विक्रय सम्बन्धी क़ानूनों को अमल में लाती हैं। जिन 'बरों' की जन संख्या बीस हज़ार से अधिक है, वे पुलिस का भी प्रबन्ध कर सकती हैं।

'बरों' की आय के साधन ये हैं:-फ़ीस, जायदाद की आमदनी, विशेष कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार से प्राप्त धन; और 'बरों' के कर।

पेरिश कौंसिल—पेरिश कौंसिल में सभापति, और ५ से १५ तक सदस्य रहते हैं। ये तीन वर्ष के लिए, १५ अप्रेल को चुने जाते हैं। यदि बिना विशेष कारण, कौंसिल का सदस्य, उसकी बैठक से, छः मास से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान खाली हो जाता है। पेरिश कौंसिल जन्म मृत्यु, तथा विवाह शादियों का लेखा रखती है, और किसानों को भूमि दिलाने का प्रबन्ध करती है। यह निम्न लिखित कार्य भी कर सकती है:-ग

में रोशनी; पहरा देना; और श्मशान, स्नानागार, आग बुझाने के ऐंजिन, मनोरंजन स्थान आदि का प्रबन्ध करना। 'दरिद्र रक्षा-कर' से जो आय होती है, उसमें से प्रति पौंड छः पैंस तक, पैरिश कौंसिल अपने लिए खर्च कर सकती है। यदि कोई ग्राम-ज़िला-कौंसिल अपने कर्तव्य में असावधानी करे तो पैरिश कौंसिल इस बात की शिकायत काउन्टी कौंसिल से कर सकती है।

दरिद्र-रक्षा-नियम-समिति-ग़रीबों और अपाहिजों को सहायता पहुंचाने के लिए कुछ पैरिशों की यूनियन या समिति स्थापित की गयीं हैं। 'बरो' में भी ऐसी समितियों की स्थापना हुई है। दरिद्र रक्षा नियम सम्बन्धी सब काम उक्त समिति की एक संस्था करती है, उसे संरक्षक बोर्ड (Board of Guardians) कहते हैं।

ग्राम-ज़िला में, इस संस्था के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं जो यूनियन की पैरिशों से ज़िला-कौंसिलों के लिए सदस्य चुने गये हैं। ग्रामों के युनियनों में संरक्षक बोर्ड के सदस्यों का चुनाव अलग होता है। इनमें स्त्रियों की संख्या प्रायः अधिक रहती है। प्रत्येक बोर्ड अपने सभापति और उप सभापति का चुनाव स्वयं करता है, और, उसे दो अन्य सदस्यों के चुनने का भी अधिकार होता है। बोर्ड तीन वर्ष के लिए चुना जाता है, परन्तु उसके तृतीयांश सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष होता है।

संरक्षक बोर्ड का प्रधान कार्य दरिद्र लोगों की सहायता करना, अर्थात् उन्हें भोजन वस्त्र देना तथा चिकित्सा सम्बन्धी

सहायता पहुंचाना और, मृतकों को गाड़ने का प्रबन्ध करना, है। यह दरिद्रों की आजीविका के लिए काम की सुव्यवस्था करता है; दरिद्रालयों (Poor Houses) और अपाहजख़ानों का प्रबन्ध करता है। बोर्ड की आय का मुख्य साधन दरिद्र रक्षा-कर है, जिसे बोर्ड की एक ख़ास कमेटी प्रति वर्ष नियत करती है।

लन्दन का स्थायी शासन—इंगलैण्ड की राजधानी लन्दन, स्थानीय शासन की दृष्टि से एक पृथक् ही काउन्टी है। इसका स्थानीय शासन दो संस्थाओं द्वारा होता है:—

(१) लन्दन कारपोरेशन, और

(२) लन्दन काउन्टी कौंसिल।

लन्दन कारपोरेशन का कार्य क्षेत्र प्राचीन लन्दन शहर है और लन्दन काउन्टी कौंसिल का कार्य क्षेत्र है, उसके बाहर, नया बसा हुआ लन्दन शहर। लन्दन कारपोरेशन का कार्य लार्ड मेयर, एलडरमेन, और साधारण सदस्यों द्वारा होता है। लन्दन काउन्टी कौंसिल नवीन लन्दन शहर की समस्त (अट्ठाईस) काउन्टी-कौंसिलों के ऊपर है। इसका सङ्गठन तथा अधिकार इंगलेण्ड की अन्य काउन्टी-कौंसिलों के समान होता है। इसे लन्दन कारपोरेशन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं।

× × ×

एक प्रसिद्ध विद्वान के कथनानुसार इंगलैण्ड की विविध प्रकार की स्वाधीनता का प्रधान कारण उसकी स्थानीय संस्थाओं की स्वतन्त्रता ही है।

द्वितीय खंड

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों का शासन

पहला परिच्छेद

साधारण परिचय

प्राक्कथन-इस भू-मंडल में, समय समय पर अनेक साम्राज्य हुए हैं। अब भी कई साम्राज्य विद्यमान हैं। उनके विविध गुण दोषों का विवेचन न करके, हमें यहां केवल यही वक्तव्य है कि इस समय जन संख्या और विस्तार के विचार से ब्रिटिश साम्राज्य सब से बढ़ा चढ़ा है। इसके सब भागों का कुल क्षेत्रफल १,३३,५५,४२६ वर्ग मील, और जन संख्या, सन् १९२१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार, ४४,८५,८३,००० है। यह क्षेत्रफल और जन संख्या, संसार भर के क्षेत्रफल और जन संख्या के चौथाई, के लगभग है। हां, इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इस साम्राज्य में इसके मातृ देश के अतिरिक्त जो विविध भू-भाग सम्मिलित हैं, वे सब इंगलैंड के अधीन देश ही नहीं हैं; कई उपनिवेश स्वतंत्रता और समानता का भाव रखते हैं। मिश्र आदि कुछ देशों की अधीनता भी नाम मात्र की ही है। यदि इस प्रकार के भू-भागों का हिसाब अलग कर दिया जाय तो यह साम्राज्य वास्तव में बहुत बड़ा नहीं रहता। परन्तु आधुनिक राजनीतिज्ञों के मत से ये भाग प्रायः साम्राज्य के अन्तर्गत ही समझे जाते हैं।

ब्रिटिश साम्राज्य निर्म्माण—अंगरेज़ों के साम्राज्य निर्म्माण में निम्न लिखित बातें सहायक हुई हैं :—

(क) इंगलैंड की भौगोलिक स्थिति, जिसका वर्णन प्रथम खंड के आरम्भ में किया जा चुका है, इस कार्य के लिए अनुकूल थी। देश छोटा तथा चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यथेष्ठ सुरक्षित भी था। पुनः वहां जीवन-निर्वाह की अनेक कठिनाइयों से विवश होकर, अंगरेज़ों को बाहर जाने आने तथा कठोरताओं को सहन करने की आदत डालनी पड़ी। इससे इन्हें उपनिवेश बसाने में उत्तेजना मिली।

(ख) इंगलैंड की मध्यकालीन धार्मिक असहिष्णुता ने भी अंगरेज़ों को साम्राज्य निर्म्माण में समुचित सहायता दी। जिन लोगों को धार्मिक अत्याचार न सह सकने के कारण स्वदेश में रहना कठिन होगया, वे जहाज़ों पर चढ़कर इधर उधर निकल पड़े और अनेक विपत्तियों को दृढ़ता पूर्वक सामना करके विविध भू-खंडों में पहुंच गये।

(ग) अंगरेज़ पादरियों का भी साम्राज्य निर्म्माण में यथेष्ठ भाग है। अपने राज्य या देश-बन्धुओं की सहायता प्राप्त कर, ये अपने धर्म और अपनी सभ्यता का प्रचार करने के लिए, दूर देशों में गये। क्रमशः इन्होंने उनके निवासियों को ईसाई बनाया। जब जब इन नये ईसाइयों तथा पुराने धर्म वालों का विरोध हुआ और अशान्ति मची तो इन्होंने उसके अत्युक्ति-पूर्ण सम्वाद भेजकर अपने देशवालों की, तथा अपने मतानु-

यायी अन्य देश वालों की यथेष्ठ सहानुभूति प्राप्त की, और अन्ततः सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने पर अंगरेज़ों ने नये देश में कुछ न कुछ अधिकार पा लिया।*

(घ) नेपोलियन ने यह कह कर अपनी, मनुष्य-स्वभाव को परखने की योग्यता का अद्भुत परिचय दिया था कि अंगरेज़ जाति दुकानदारों की जाति है। अंगरेज़ों के व्यापार-कौशल ने भी इनके साम्राज्य की वृद्धि में विलक्षण योग दिया है। भारतवर्ष आदि अनेक देशों में पहले पहल व्यापार के नाते ही अंगरेज़ों ने अपने पैर जमाये थे।

(च) अंगरेज़ों की महाजनी प्रकृति भी साम्राज्य-विस्तार में सहायक हुई है। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्र-पति विलसन का यह कथन यथार्थ है कि पूंजी की चालें विजय की चालें हैं। जिस निर्बल देश ने अंगरेज़ों से रुपया उधार लिया, वह कालान्तर में इनका प्रभाव क्षेत्र बन गया, इन्हें वहां व्यापार आदि की विशेष सुविधायें प्राप्त हो गयीं। आत्म-रक्षा के लिए इन्होंने वहां अपनी सेना रखली, और क्रमशः एक एक मंज़िल तय करके, बहुधा ऋण की ज़मानत

* श्री० डाक्टर वी० शिवराम ने अपनी पुस्तक (Comparative Colonial Policy) में लिखा है कि केवल मिशनरियों के ही कार्य से ब्रिटिश साम्राज्य में आस्ट्रेलिया, फिजी, दक्षिण और मध्य अफ्रीका, सीरालोयन, वर्मा और गायना आदि महत्व-पूर्ण उपनिवेशों में अपनी जड़ जमायी। इन तमाम भू-भागों में व्यापारिक सम्बन्ध या राजनैतिक नियंत्रण होने से बहुत पहले मिशनरियों के अड्डे बन गये थे।

में देश का एक भाग गिरवी रखकर, इन्होंने सारे देश में अपनी प्रभुता स्थापित करली ! फ़ारिस, चीन, मिश्र आदि में कुछ कुछ इसी प्रकार ब्रिटिश हस्तक्षेप हुआ।

अस्तु, अंगरेज़ विविध कारणों से बाहर गये, उन देशों की परिस्थिति देखी भाली। जहां जैसा मौक़ा मिला, उससे लाभ उठाया और साम्राज्य स्थापित किया। भिन्न भिन्न देशों का कुछ विशेष ऐतिहासिक विचार आगे प्रसंगानुसार किया जायगा।

साम्राज्य में रहने वाली जातियां—मोटे तौर से साम्राज्य के भिन्न भिन्न भाग दो श्रेणियों में विभक्त किये जा सकते हैं। एक श्रेणि में वे भाग हैं जिनमें स्वयं अंगरेज़ों की, या अन्य योरपीयन जातियों के आदमियों की, संख्या अथवा प्रभुता विशेष है। इनमें शिक्षा, सभ्यता, विज्ञान, नीतिज्ञता आदि की विशेष उन्नति है। इन्हें स्वायत्त शासन के लगभग पूर्ण अधिकार हैं। दूसरी श्रेणी में वे भाग हैं जिनके निवासी ग़ैर-योरपियन जातियों के हैं, जिनमें विविध प्रकार की उन्नति बहुत कम है, जो आधुनिक सभ्यता में पिछड़े हुए माने जाते हैं, या जिनमें पारस्परिक मत भेद तथा संगठन का अभाव है। ये भाग परतंत्र हैं।

अब हम यह विचार करते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से इस साम्राज्य के कितने भाग हैं।

राजनैतिक भाग—ब्रिटिश साम्राज्य का संगठन बहुत

पेचीदा है। मोटे तौर से इसके (मातृ-देश के अतिरिक्त) निम्न लिखित राजनैतिक भाग किये जा सकते हैं :—

१—स्वाधीन राज्य। इस श्रेणी में आयरिश फ्री स्टेट (Irish Free State) है।

२—स्वाधीन उपनिवेश। इनमें केनेड़ा दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और न्यूफ़ाउंडलैंड हैं।

३—भारतवर्ष। इसके एक भाग (ब्रिटिश भारत) के कुछ प्रान्तों में अंशतः उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचलित है, और दूसरे भाग अर्थात् देशी राज्य, एक प्रकार से भारत सरकार के ही रक्षित राज्य हैं।

४—उपनिवेश-विभाग के अधीन भू-भाग। इन्हें राजकीय उपनिवेश (Crown Colonies) भी कहते हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है। इनमें उत्तरदायी शासन आरम्भ नहीं किया गया है। उदाहरणवत्, जिबराल्टर।

५—रक्षित राज्य (Protected States); इनमें प्रभुत्व तो अपने अपने राजा का है, परन्तु ब्रिटिश सरकार के बाहरी विषयों में, अथवा बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के विषयों में, कुछ राजनैतिक अधिकार हैं। उदाहरणवत्, सुडान।

६—आदेश-युक्त राज्य (Mandatory States); ये राष्ट्र-संघ की ओर से, शासन प्रबन्ध के लिए ब्रिटिश सरकार को दिये गये हैं, इनके शासन के वास्ते ब्रिटिश सरकार राष्ट्र-संघ के प्रति उत्तरदायी है। उदाहरणवत्, मेसोपोटेमिया।

७--प्रभाव क्षेत्र (Spheres of Influence); यह देश स्वतंत्र हैं, परन्तु इन में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, और उसे कुछ राजनैतिक अधिकार भी प्राप्त हैं। उदाहरणवत् भूटान।

८—मिश्र, तिब्बत, और नेपाल। इनका ब्रिटिश सरकार से कुछ सम्बन्ध है; परन्तु ये उपर्युक्त किसी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं माने जा सकते।

अब अगले परिच्छेदों में हम क्रमशः यह बतायेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के इन भागों का शासन किस प्रकार होता है। इनके पृथक् पृथक् क्षेत्रफल, जन संख्या, आदि के कोष्ठक परिशिष्ट में दिये गये हैं।

दूसरा परिच्छेद

आयरिश फ्री स्टेट।

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन भागों में आयरिश फ्री स्टेट का विशेष स्थान है, कारण कि और तो उपनिवेश ही हैं, केवल आयरिश फ्री स्टेट ही ऐसा है जो उपनिवेश नहीं है। इस परिच्छेद में इस राज्य की शासन पद्धति बतायी जायगी।

पहिले इसका कुछ ऐतिहासिक परिचय प्राप्त कर लेना उपयोगी होगा।

ऐतिहासिक परिचय—पुस्तक के प्रथम खंड में, उत्तरी आयर्लैण्ड के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए यह बताया जा चुका है कि सन् १८०१ में आयर्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन का मेल हुआ था। परन्तु वहां के निवासी, विशेषतया उत्तरी आयर्लैंड को को छोड़कर उसके शेष भाग के रहने वाले अपनी स्वतंत्रता के इच्छुक, तथा उसके लिए प्रयत्नशील रहे। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में उनके आन्दोलन ने विशेष महत्व प्राप्त किया। फलतः ब्रिटिश पार्लिमेंट में आयरिश होमरूल बिल अर्थात् आयर्लैंड के स्वराज्य का मसविदा उपस्थित किया गया। परन्तु वह स्वीकृत नहीं हुआ। कुछ समय बाद दूसरी वार भी वैसा मसविदा रद्द होजाने पर आयर्लैंड निवासी स्वतंत्रता के लिए तीव्र आन्दोलन करने लगे। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में 'सिनफ़ेन' आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस दल के आदमियों ने बड़े बड़े कष्ट सह कर भी स्वराज्य का प्रयत्न जारी रखा। अन्ततः १९१४ में आयर्लैंड के शासन का नया क़ानून पास होगया। परन्तु महायुद्ध के कारण वह अमल में आना स्थगित रहा। सन् १९२२ ई० से आयर्लैंड में दो पार्लिमेन्ट होगयीं। उत्तरी आयर्लैंड की पार्लिमैन्ट तो ब्रिटिश पार्लिमैन्ट के ही अधीन रही। शेष आयर्लैण्ड, आयरिश फ्री स्टेट के नाम से, एक स्वतंत्र राज्य होगया। इसका और ब्रिटिश संयुक्त राज्य का शासन प्रबन्ध पृथक् पृथक् होने लग गया। अब ब्रिटिश पार्लिमैन्ट में इसका कोई प्रतिनिधि नहीं रहता; इसकी,

डबलिन शहर में, स्वतंत्र पार्लिमैन्ट है। इसे 'डेल आयरन' कहते हैं। आयरिश फ्री स्टेट की वर्तमान शासन पद्धति की रचना स्वयं इस राज्य के निवासियों ने, अपने लिए की है, और ब्रिटिश पार्लिमैन्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है।

इस राज्य की शासन पद्धति की विशेषतायें—आयरिश फ्री स्टेट की शासन पद्धति की दो विशेषतायें हैंः-

१—यह राज्य अपने शासन सम्बन्धी नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता जो सन् १९२१ ई० की सन्धि की शर्तों के विरुद्ध हो। *

२—इस राज्य को निम्न लिखित मुख्य अधिकार (Fundamental Rights) प्राप्त हैंः—

(क) सरकार के सब अधिकार जनता से प्राप्त हैं और उनका उपयोग शासन पद्धति के नियमों के अनुसार ही किया जायगा।

(ख) राष्ट्र-भाषा आयरिश भाषा होगी, परन्तु अंगरेज़ी का भी सरकारी काम काज में उपयोग होगा।

(ग) आयरिश नागरिकों को, प्रबन्धकारिणी सभा की स्वीकृति बिना कोई उपाधि न दी जायगी।

(घ) पुरुषों और स्त्रियों के राजनैतिक अधिकार समान होंगे।

---

* इन शर्तों के अनुसार ही आयरिश फ्री स्टेट, इंगलैंण्ड से पृथक् हुआ है, और उसकी शासन पद्धति निश्चित हुई है।

(च) यदि कोई व्यक्ति कभी गिरफ्तार किया जाय तो उसे तथा उसके मित्रों को 'हेबियस कोरपस ऐक्ट' (Habeus Corpus Act) का अधिकार होगा, अर्थात् यह कि वे उस गिरफ्तारी का लिखित कारण पूछें और, यदि वह कारण संतोषप्रद न हो तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को क़ानून के अनुसार दंड दिला सकें।

(छ) किसी नागरिक के रहने के स्थान में कोई व्यक्ति, उसकी सम्मति या अनुमति के बिना नहीं घुस सकता।

(ज) प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होगी।

(झ) प्रत्येक व्यक्ति को भाषण तथा लेखन सम्बन्धी स्वतंत्रता होगी; और, सबको बिना शस्त्रों के एकत्र होने का अधिकार होगा।

(ट) प्रारम्भिक शिक्षा निश्शुल्क होगी।

(ठ) राज्य की प्राकृतिक सम्पत्ति विदेशियों को नहीं दी जायगी।

पार्लिमैंट दो सभायें—आयरिश फ्री स्टेट की पार्लिमैण्ट की दो सभायें हैं :—(१) सिनेट (Senate) और (२) चेम्बर-आफ़-डिप्टीज़ (Chamber of Deputies)। इस राज्य में सिनेट को लगभग वही स्थान प्राप्त है जो इंगलैण्ड की सरदार सभा को वहां की शासन पद्धति में है, परन्तु सिनेट के सदस्य वंशागत (पुश्तैनी) नहीं होते। कुल सदस्यों की संख्या ६० है। १५ सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता है।

उम्मेदवार वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने राष्ट्र को अपनी सेवा से सम्मानित किया हो या जो राष्ट्रीय जीवन के भिन्न भिन्न भागों में कार्य करने वालों के प्रतिनिधि हों। उम्मेदवारों की आयु कमसे कम ३५ वर्ष की होनी चाहिये उम्मेदवार होने के पहले वे सिनेट द्वारा या 'चेम्बर-आफ़-डिप्टीज़' द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। सिनेट में जितनी जगह खाली होती हैं, उतने ही व्यक्ति चेम्बर द्वारा उम्मेद्वारी के लिए मनोनीत किये जाते हैं और उसके दुगने व्यक्ति सिनेट द्वारा मनोनीत होते हैं। सिनेट के पुराने सदस्य भी उम्मेद्वार हो सकते हैं। तीस वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक आयरिश नागरिक सिनेट के सदस्यों के चुनाव के समय मत (Vote) दे सकता है। प्रत्येक निर्वाचक को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने स्थान सिनेट में खाली हों।

'चेम्बर-आफ़-डिप्टीज़' में लगभग डेढ़सौ सदस्य होते हैं। इस सभा का चुनाव प्रति चौथे वर्ष होता है। चुनाव के समय उन सब आयरिश व्यक्तियों-पुरुषों तथा स्त्रियों-को मत देने का अधिकार है जिनकी आयु इक्कीस वर्ष की या इससे अधिक हो। जिनको मत देने का अधिकार होता है, वे उम्मेद्वार भी हो सकते हैं।

पार्लिमैंट के अधिकार—धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदों पर सिनेट को उतना ही अधिकार है, जितना इंगलैंड में सरदार सभा को। ऐसा मसविदा चेम्बर में स्वीकृत होकर सिनेट में जाता है, और वहां से संशोधन सहित, इक्कीस दिन के भीतर चेम्बर में वापिस आजाता है। चेम्बर को अधिकार

है कि वह उसे जिस रूप में चाहे, स्वीकार करे। अन्य सार्वजनिक क़ानूनी मसविदों को सिनेट अधिक से अधिक २७० दिन तक क़ानून बनने से रोक सकती है, इसके बाद वह उसी रूप में क़ानून बनते हैं जिस रूप में उन्हें चेम्बर ने स्वीकार किया हो।

पार्लिमेंट को अधिकार है कि शासन पद्धति सम्बन्धी नियमों में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन करे; इसमें शर्त यह है कि कोई नवीन नियम सन् १९२१ ई० की सन्धि की शर्तों के विरुद्ध न हो। ऐसे परिवर्तित नियम पर, आठ वर्ष के बाद निर्वाचकों का मत लिये जाने की व्यवस्था है। यदि निर्वाचक उसे बहुमत से स्वीकार न करें तो वह रद्द समझा जायगा।

जनता को क़ानून बनवाने का अधिकार—यदि निर्वाचक ऐसा नियम बनवाना चाहें जो पार्लिमेंट ने न बनाया हो तो कम से कम पचास हज़ार निर्वाचक उसके लिए पार्लिमेंट को दरख्वास्त दे सकते हैं। यदि पार्लिमेंट उसे स्वीकार न करे तो उस नियम पर सम्पूर्ण निर्वाचकों के मत लिये जाते हैं। यदि निर्वाचक उसे बहुमत से स्वीकार करलें तो वह क़ानून का रूप धारण कर लेता है।

यदि पचास हज़ार निर्वाचकों की दरख्वास्त आने पर पार्लिमेंट दो वर्ष तक उनके मसविदे पर विचार न करे तो कम से कम ७५,००० निर्वाचकों के दरख्वास्त देने पर या तो पार्लिमेंट को उसे पास करना होता है या उस पर सम्पूर्ण निर्वाचकों के मत लिए जाकर, उसके अनुसार काम होता है।

गवर्नर जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—गवर्नर-जनरल इंगलैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। उसे आयरिश फ्री स्टेट की शासन पद्धति में वही स्थान प्राप्त है, जो इंगलैंड के बादशाह को वहां की शासन पद्धति में है।

कुल मन्त्री १२ होते हैं, परन्तु प्रबन्धकारिणी सभा में ५ से ७ तक मन्त्री रहते हैं। ये मन्त्री अपने शासन कार्य के लिए पार्लिमैंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रबन्धकारिणी सभा का सभापति प्रधान मन्त्री होता है, वह गवर्नर-जनरल द्वारा न चुना जाकर चेम्बर द्वारा चुना जाता है। प्रधान-मंत्री अन्य मन्त्रियों को चुनता है, ये मन्त्री चेम्बर द्वारा स्वीकृत (Approved) होने चाहियें। मन्त्री पार्लिमैंट की पूरी आयु (चार वर्ष) तक रहते हैं।

आयरिश फ्री स्टेट और ब्रिटिश सरकार—ब्रिटिश साम्राज्य में, आयरिश फ्री स्टेट का पद और अधिकार, स्वाधीन उपनिवेशों के समान है। इस लिए इस राज्य का ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध भी वही है, जो उन उपनिवेशों का है। (इसका विशेष वर्णन आगे किया जायगा)। स्मरण रहे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होते हुए भी, यहां के शासन विधान में जनता के प्रतिनिधियों के लिए शपथ का जो रूप है, वह बादशाह के प्रति भक्ति-सूचक न होकर सद्भाव-सूचक है। प्रतिनिधि आयरिश फ्री स्टेट के विधान के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखने की शपथ खाते हैं।

तीसरा परिच्छेद.

स्वाधीन उपनिवेशों का शासन

जो शासन पद्धतियां समृद्धि और सौहार्द बढ़ाती हैं, और जो हमारे साम्राज्य के अधीन राज्यों के लिए स्थायी रही हैं, प्रायः वही शासन पद्धतियां हैं जिनकी रचना स्वयं उन लोगों ने की, जिन्हें उनके अनुसार रहना था।

— सर जान साइमन

अङ्गरेज़ों के उपनिवेश संसार के भिन्न भिन्न भागों में हैं। सब उपनिवेशों में से केवल पांच स्वाधीन हैं :— (१) केनेडा, (२) दक्षिण अफ्रीका का यूनियन, (३) आस्ट्रेलिया, (४) न्यूज़ीलैण्ड, और (५) न्यूफाउन्डलैण्ड। इन उपनिवेशों का कुल क्षेत्रफल लगभग ७५ लाख वर्ग मील, अर्थात् समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के आधे से अधिक है, और इनमें रहने वाले केवल योरपियन जातियों के आदमियों की संख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर है। अब हम इन उपनिवेशों में से एक एक की शासन पद्धति का वर्णन करते हैं।

(१)

केनेडा का शासन

ऐतिहासिक परिचय—योरपियन जातियों में सबसे

पहले यहां आकर बसने वाले फ्रांसीसी थे। अंग्रेज़ यहां बहुत पीछे, सन् १७१३ ई० में आये। उस वर्ष फ्रांस और इंगलैण्ड की एक लम्बी लड़ाई खतम हुई और, फ्रांस ने अंगरेज़ों को केनेडा की कुछ भूमि तथा न्यूफाउन्डलैण्ड प्रदान किया। केनेडा का कुछ और भाग इंगलैण्ड को, फ्रांस से, एक दूसरी लड़ाई की सुलह होने पर, मिला।

केनेडा के उत्तर में अंगरेज़ों का बल अधिक था, और और दक्षिण भाग में फ्रांसीसियों की संख्या विशेष थी। ये औपनिवेशिक आपस में लड़ते रहते थे। इस लिए ब्रिटिश सरकार ने सन् १८३९ ई० में लार्ड डरहम को वहां भेजा कि वह जांच करके बतलावें कि इन दोनों भागों का पारस्परिक मनोमालिन्य किस प्रकार दूर हो। लार्ड डरहम की रिपोर्ट केनेडा के राजनैतिक इतिहास में बड़े महत्व की है। केनेडा में उस समय जाति-गत विद्वेष बहुत अधिक था, अंगरेज़ और फ्रांसीसी बात बात में आपस में लड़ते झगड़ते थे; अविद्यांधकार छाया हुआ था; केनेडा वाले उस समय अपने देश की रक्षा करने में भी असमर्थ थे। यह सब होते हुए भी लार्ड डरहम ने अपनी रिपोर्ट में उदारता और दूरदर्शिता पूर्वक, ज़ोरदार शब्दों में यह सिफ़ारिश की कि केनेडा को उत्तर-दायी शासन दिया जाय; उसके दोनों भागों को मिलाकर उनका शासन केनेडा की पार्लिमैंट के अधीन कर दिया जाय। इंगलैंड के कुछ राजनीतिज्ञ इससे सहमत न थे, वे दमन नीति के पक्ष में थे, सब असंतोष और विद्रोह का उनकी दृष्टि से एक ही उपाय था, दमन और बल-प्रदर्शन द्वारा शिक्षा देना। परन्तु केनेडा के, और स्वयं इंगलैंड के,

सौभाग्य से उनकी कुछ न चली; और इंगलैंड ने लार्ड डरहम की रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

शासन पद्धति—सन् १८६७ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट में, 'ब्रिटिश उत्तरी अमरीका क़ानून' पास होगया। इसमें उन प्रस्तावों को क़ानूनी रूप दिया गया, जो क्यूबिक (केनेडा) में सुदीर्घ वाद विवाद और अन्ततः समझौते के फल-स्वरूप, स्वयं केनेडा वालों ने किये थे। पहले पुराना केनेडा (आन्टेरिया और क्यूबिक) नोवास्कोशिया तथा न्यूब्रंजविक एक राज्य में मिले। पश्चात् सन् १८७१ ई० में ब्रिटिश कोलम्बिया भी इसी संघ में सम्मिलत होगया। न्यूफाउंडलैंड इस संघ में सम्मिलित नहीं हुआ। केनेडा की शासन पद्धति १८६७ के उक्त क़ानून के अनुसार है।

पार्लिमेंट—केनेडा की पार्लिमेंट की दो सभायें हैं:—(१) सिनेट और (२) प्रतिनिधि सभा। सिनेट में ९६ सदस्य होते हैं। ये केनेडा की सरकार की सिफ़ारिश पर, इंगलैण्ड के बादशाह द्वारा जन्म भर के लिए नामज़द किये जाते हैं; इसमें शर्त यह होती है कि उनकी आयु ३० वर्ष से अधिक की हो, वे विदेशी न हों, और उनमें से प्रत्येक के पास चार हज़ार डालर अर्थात् लगभग बारह हजार रुपये की जायदाद हो।

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या २३५ होती है। इस सभा की आयु चार वर्ष होती है और इसके सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्येक बालिग़ स्त्री पुरुष को मत देने का

अधिकार है। धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ हो सकते हैं।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—यहां का गवर्नर-जनरल इंगलैण्ड के बादशाह द्वारा नियत होता है। वह सब कार्य प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से करता है। इस सभा में १८ मंत्री होते हैं जो अपने शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

प्रान्तीय शासन—केनेडा के नौ प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक गवर्नर रहता है जो इस राज्य के गवर्नर-जनरल द्वारा, प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से, नियुक्त किया जाता है। सात प्रान्तों में एक एक, और दो में दो दो व्यवस्थापक सभायें हैं। प्रान्तीय मंत्रीदल अपने शासन कार्य के लिए प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। प्रान्तीय सरकार उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं जो उसे केनेडा की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हों।

इस शासन पद्धति की विशेषतायें—केनेडा की शासनपद्धति में निम्न लिखित विशेषतायें हैं:—

१—केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं द्वारा स्वीकृत क़ानूनी मसविदों को रद्द कर सकती है।

२—केनेडा की पार्लिमेन्ट शासन व्यवस्था सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकती, यह परिवर्तन इंगलैण्ड की पार्लिमेन्ट ही कर सकती है।

३—बड़ी बड़ी अदालतों के न्यायाधीश नियत करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है।

४—प्रान्तों के गवर्नर, गवर्नर-जनरल द्वारा, प्रबन्ध-कारिणी सभा की सलाह से नियुक्त किये जाते हैं।

(२)

दक्षिण अफ्रीका के यूनियन का शासन

ऐतिहासिक परिचय—सन् १६५० ई० में, अफ्रीका के दक्षिण में, उत्तम-आशा अंतरीप (Cape of Good Hope) के निकट, डच लोगों की एक बस्ती बनी थी। सन् १७६५ ई० में इस पर अंगरेज़ों का अधिकार होगया। डच लोग क्रमशः अफ्रीका के भीतरी हिस्सों में नये उपनिवेश बसाते गये। ये डच लोग बोअर (Boers) कहलाते हैं। इनकी नयी जगहों में और विशेष कर डरबन में अंगरेज़ आ बसे, और अन्ततः १८४४ ई० में नेटाल अंगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया। तब अधिकांश बोअर लोगों ने पीछे हट कर आरेन्ज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल के प्रजा तंत्र राज्य स्थापित किये, परन्तु इंगलैंड उन पर अधिकार करने का प्रयत्न करता रहा। अन्ततः ये दोनों राज्य क्रमशः १८४८ और १९०२ में अंगरेज़ों के अधीन होगये।

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के चारों उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। सन् १९०६ ई० में आरेन्ज फ्री

स्टेट तथा ट्रांसवाल को स्वराज्य प्राप्त होगया, और तीन वर्ष बाद सन् १९०९ में अन्तरीप उपनिवेश (Cape Colony) नेटाल तथा उक्त दोनों राज्यों का मिलाकर एक सम्मिलित राज्य स्थापित किया गया। इसका नाम दक्षिण अफ्रीका का यूनियन (Union) हुआ।*

शासन पद्धति—इस यूनियन की शासन पद्धति सन् १९०९ ई० के दक्षिण-अफ्रीका-क़ानून के अनुसार है। यह शासन पद्धति दक्षिण अफ्रीका वालों के बाद विवाद और तर्क वितर्क से ही निश्चित हुई थी। ब्रिटिश पार्लिमेंट ने इसमें कुछ परिवर्तन किये बिना ही, इसे स्वीकार कर लिया था।

पार्लिमेंट—इस राज्य की पार्लिमेंट में दो सभायें हैं- (१) सिनेट और (२) प्रतिनिधि सभा। सिनेट में ४० सदस्य हैं, इनमें ८ गवर्नर-जनरल द्वारा नामज़द होते हैं और शेष ३२ सदस्य प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। सिनेट की आयु १० वर्ष की होती है। योरपियन ब्रिटिश प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। उम्मेदवार की आयु कम से कम तीस वर्ष होनी चाहिये और उसके पास कम से कम ५०० पौंड की जायदाद होनी चाहिये।

प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या १३४ होती है। इस सभा की आयु पांच वर्ष की होती है। प्रत्येक सदस्य को राजभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है। प्रत्येक बालिग़ पुरुष तथा स्त्री को मत देने का अधिकार होता है।

---

* दक्षिण अफ्रीका के अन्य भाग इस यूनियन के अन्तर्गत नहीं हैं।

धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदे प्रतिनिधि सभा में ही आरम्भ होते हैं, सीनेट उन में परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि प्रतिनिधि सभा में कोई क़ानूनी मसविदा दो बार स्वीकृत होजाय और सीनेट उसे अस्वीकार करदे तो गवर्नर-जनरल उसे दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में पेश करेगा और इसके निर्णय के अनुसार क़ानून बनेगा।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—यहां का गवर्नर-जनरल इंगलैंड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है। वह सब कार्य प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से करता है। इस सभा में दस मंत्री होते हैं। मंत्री दल शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

प्रान्तीय शासन—यूनियन में चार प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक एक शासक (Administrator) तथा व्यवस्थापक सभा होती है। शासक गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त होता है। व्यवस्थापक सभाओं की आयु तीन तीन वर्ष की होती है। प्रान्तीय प्रबन्धकारिणी सभा में चार चार मंत्री होते हैं जो अपने शासन कार्य के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(३)

आस्ट्रेलिया का शासन

ऐतिहासिक परिचय--आस्ट्रेलिया के उत्तरी तट की

खोज १६०६ में, सबसे प्रथम डच लोगों ने की थी। इस शताब्दी के अन्त में अंगरेज़ भी वहां गये। परन्तु सबने यही सूचित किया कि भूमि बंजर है, और मूल निवासी झगड़ालू हैं। अतः बहुत समय तक खोज का काम बन्द रहा। इस बीच में डच लोगों का सामुद्रिक प्रभुत्व जाता रहा। अन्त में केप्टेन कुक नामक अंगरेज १७६८ में वहां पूर्वी तट की ओर पहुंचा। उसने ख़बर दी कि यहां की भूमि बहुत उपजाऊ तथा बसाने योग्य है।

सन् १७८३ ई० में, अमरीका के संयुक्त राज्य कहे जाने वाले भू-भाग ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक् होगये थे। इस घटना से अंगरेज़ों का ध्यान आस्ट्रेलिया की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ। बात यह थी कि अब तक क़ैदी या निर्वासित अंगरेज़ अमरीका भेज दिये जाते थे, पर अब वहां के लोगों ने उन्हें लेना अस्वीकार कर दिया। ये क़ैदी या निर्वासित व्यक्ति प्रायः वे लोग होते थे जो अपने स्वतंत्र धार्मिक या राजनैतिक विचारों के कारण अपराधी समझे जाते थे। इन्हें रखने के लिए ब्रिटिश सरकार अब ऐसी भूमि चाहती थी, जो ऐसी उपजाऊ हो जहां इन्हें खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में कठिनाई न हो, तथा जो इतनी दूर हो कि ये वहां से जल्दी इंगलैंड न आ सकें। ये दोनों बातें आस्ट्रेलिया में पूरी हो सकती थीं। अतः सन् १७८८ ई० में उक्त अपराधियों का जहाज़ यहां भेज दिया गया। इन्होंने इसे अपना देश समझा और ये उसकी उन्नति में लग गये। पीछे इनके आन्दोलन से, १८४० में इंगलैंड ने यहां अन्य अपराधियों को भेजना बन्द

कर दिया। इस समय के लगभग, यहां सोने की खानें मिल जाने से देशोन्नति में बड़ी उत्तेजना हुई।

शासन पद्धति—क्रमशः आस्ट्रेलिया के औपनिवेशिकों ने उत्तरदायी शासन की मांग पेश की और उसके लिए आन्दोलन किया। पहले सन् १८५१ ई० में न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण आस्ट्रेलिया, और टसमानिया ने, जो सुसंगठित होगये थे, मिलकर अपनी शासन पद्धति का मसविदा तैयार किया। ब्रिटिश पार्लिमेंट को इसे स्वीकार करना पड़ा। पीछे १८५६ में कोन्सलैंड को, और १८६० में पश्चिमी आस्ट्रेलिया को उत्तरदायी शासन दिया गया। पहले ये उपनिवेश आपस में सीमा आदि के लिए बाद विवाद कर बैठते थे। अन्त में इन सबने एक संघ बना लिया और उसकी शासन पद्धति सन १६०० ई० में पार्लिमेंट से स्वीकृत कराली। उक्त वर्ष के क़ानून के अनुसार ही यहां शासन होता है।

पार्लिमेंट—यहां की पार्लिमेंट में दो सभाये हैं:—(१) सिनेट और, (२) प्रतिनिधि सभा। सीनेट में आस्ट्रेलिया की सब (छः) रियासतों में से प्रत्येक के छः छः, इस प्रकार कुल छत्तीस सदस्य होते हैं, जो छः वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त के आधे सदस्यों का नया चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होता है। उम्मेदवार वही व्यक्ति होता है, जो बादशाह की प्रजा, और बालिग़ हो।

प्रतिनिधि सभा में लगभग ७५ सदस्य होते हैं। इस

उपनिवेश में मूल निवासियों (Natives) को छोड़कर शेष सब बालिग़ स्त्री पुरुषों को मत देने का अधिकार है।

यदि प्रतिनिधि सभा किसी क़ानूनी मसविदे को दो बार स्वीकार करले और सीनेट उसे अस्वीकार करे तो गवर्नर-जनरल दोनों सभाओं को भंग कर सकता है। यदि नये निर्वाचन के बाद फिर भी प्रतिनिधि सभा उस मसविदे को स्वीकार करे और सीनेट अस्वीकार, तो दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन होता है, और उसके निर्णय के अनुसार काम होता है। यदि शासन पद्धति सम्बन्धी किसी क़ानूनी मसविदे को कोई सभा दो बार स्वीकार करदे और दूसरी सभा उसे अस्वीकार करे तो गवर्नर-जनरल उस मसविदे के सम्बन्ध में निर्वाचकों का मत ले सकता है। और, यदि बहुमत उसके पक्ष में हो तो वह क़ानून बन जाता है।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा—यहां का गवर्नर-जनरल इंगलैण्ड के बादशाह द्वारा नियुक्त होता है और प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है। प्रबन्धकारिणी सभा में नौ मन्त्री होते हैं, जो अपने शासन कार्य के लिए प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

प्रान्तीय शासन—इस राज्य में छः प्रान्त हैं। प्रत्येक प्रान्त में बादशाह द्वारा नियुक्त एक एक गवर्नर रहता है जो गवर्नर-जनरल के अधीन नहीं होता। प्रत्येक प्रान्त में दो व्यवस्थापक सभायें हैं, जिन्हें अपने अपने प्रान्त के लिए क़ानून बनाने तथा कर निर्धारित करने का अधिकार है। मताधिकार प्रत्येक बालिग़ स्त्री पुरुष को होता है।

इस शासन पद्धति की विशेषतायें—यहां की शासन पद्धति की मुख्य मुख्य विशेषतायें निम्न लिखित हैं :—

१—पार्लिमेंट की दोनों सभाओं के निर्वाचन के लिए प्रत्येक बालिग़ पुरुष स्त्री को मताधिकार है।

२—प्रान्तों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, वे आस्ट्रेलिया की केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं होते।

३—केन्द्रीय सरकार को वे ही अधिकार प्राप्त हैं, जो उसे क़ानून द्वारा दिये गये हैं, शेष सब अधिकार प्रान्तीय सरकारों को प्राप्त हैं।

४—प्रबन्धकारिणी सभा पूर्णतः प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी है।

५—शासन पद्धति यहां की पार्लिमेंट के बहुमत से, अथवा प्रतिनिधि सभा के अत्यधिक बहुमत से, सुगमता पूर्वक बदली जा सकती है।

(४)

न्यूज़ीलैंड का शासन

इस उपनिवेश का पता सन् १७६९ ई० में केप्टेन कुक ने लगाया। इसके दो भाग हैं उत्तरी द्वीप, तथा दक्षिणी द्वीप।

सन् १८३० ई० में यहां औपनिवेशिक अच्छी संख्या में आगये। ये उत्तरी द्वीप में बस गये। १८३९ में फ्रांस वालों ने इस भूमि पर अधिकार करना चाहा, पर अंगरेज़ों ने बाज़ी मारली। ठीक तरह बस जाने पर, औपनिवेशिकों ने स्वभावतः स्वायत्त-शासन की मांग उपस्थित की। १८५१ में ब्रिटिश सरकार के सहमत होजाने पर, अगले वर्ष यहां पार्लिमैंट स्थापित होगई।

न्यूज़ीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। आस्ट्रेलिया की भूमि से बहुत फ़ासले पर स्थित होने के कारण, इस उपनिवेश ने उसके संघ में सम्मिलित होना पसन्द नहीं किया और अपनी शासन पद्धति पृथक् तथा स्वतंत्र रखी।

पार्लिमैंट—यहां की पार्लिमैंट में दो सभायें हैं:—(१) व्यवस्थापक परिषद् और (२) व्यवस्थापक सभा। व्यवस्थापक परिषद् में ४३ सदस्य हैं; तीन माओरी जाति के सदस्य गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं, शेष चालीस प्रति सातवें वर्ष निर्वाचित होते हैं। उम्मेदवार बनने के लिए किसी जायदाद का रखना आवश्यक नहीं है।

व्यवस्थापक सभा में ८० सदस्य होते हैं, जो सर्व साधारण द्वारा तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनमें से चार माओरी सदस्य होते हैं। स्त्रियां भी सदस्य हो सकती हैं।

गवर्नर-जनरल और प्रबन्धकारिणी सभा— यहां का गवर्नर-जनरल बादशाह द्वारा नियुक्त होता है, और प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है। प्रबन्ध-

कारिणी सभा में १२ मन्त्री होते हैं जो अपने शासन कार्य के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

जब पार्लिमेंट की दोनों सभाओं में किसी क़ानूनी मसविदे के सम्बन्ध में मत-भेद होता है, तो दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है।

(५)

न्यूफ़ाउंडलैंड का शासन

इस उपनिवेश का ऐतिहासिक परिचय केनेडा के प्रसंग में दे दिया गया है। यह केनेडा के संघ में सम्मिलित होने में सहमत नहीं हुआ। यह एक पृथक् और स्वतंत्र उपनिवेश है।

पार्लिमेंट—यहां पार्लिमैन्ट में दो सभायें हैं:—(१) व्यवस्थापक परिषद् और (२) व्यवस्थापक सभा। व्यवस्थापक परिषद में २४ से अधिक सदस्य नहीं होते, उनकी नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। व्यवस्थापक सभा में ३६ सदस्य होते हैं, जो सर्व साधारण द्वारा चार वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मताधिकार सब बालिग़ पुरुषों को है, परन्तु स्त्रियों को नहीं है।

गवर्नर और प्रबन्धकारिणी सभा—यहां का गवर्नर बादशाह द्वारा नियुक्त होता है और प्रबन्धकारिणी सभा की सलाह से काम करता है। प्रबन्धकारिणी सभा में नौ मंत्री

होते हैं, जो अपने शासन कार्य के लिए व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं ।

× × × ×

उत्तरदायी शासन पद्धति—ब्रिटिश साम्राज्य के स्वतंत्र भागों की शासन पद्धति का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। भिन्न भिन्न भागों की शासन पद्धतियों में कुछ कुछ बातों में भेद भी है, तथापि समानतायें अधिक हैं । मुख्य मुख्य समानतायें निम्न लिखित हैं:—

(क) प्रत्येक भाग में दो दो व्यवस्थापक सभायें हैं, सीनेट और प्रतिनिधि। सभा धन सम्बन्धी क़ानूनी मसविदों के विषय में प्रायः पूर्णाधिकार प्रतिनिधि सभा को ही होता है। मंत्री मंडल भी इसी सभा के प्रति उत्तरदायी होता है ।

(ख) प्रत्येक भाग में उत्तरदायी शासन पद्धति प्रचलित है, उसकी मुख्य मुख्य बातें ये हैं—

(१) प्रधान शासक के नाम से शासन सम्बन्धी सब कार्य किये जाते हैं। वह व्यवस्थापक मंडल के प्रति उत्तरदाता नहीं होता, इस लिए वह उसके द्वारा हटाया भी नहीं जा सकता। इसे गवर्नर-जनरल, या गवर्नर कहते हैं।

(२) उसके कार्य मंत्रियों के परामर्श से, और उन्हीं के उत्तरदायित्व पर होते हैं। मंत्री नाम मात्र से उसके द्वारा, परन्तु वास्तव में प्रजा-प्रतिनिधियों द्वारा, साधारणतः व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों में से, चुने जाते हैं।

(३) इस प्रकार प्रजा-प्रतिनिधि, अपने निर्वाचित मंत्रियों द्वारा, देश का वास्तविक शासन करनेवाले होते हैं।

(४) जब प्रतिनिधि सभा का इन मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहता, वे (यदि व्यवस्थापक मण्डल को बर्खास्त न करें) त्यागपत्र दे देते हैं और उनके स्थान पर नये मन्त्री चुने जाते हैं।

(५) इस प्रकार प्रबन्धक और व्यवस्थापक शक्ति उस दल के हाथ में होती है, जिसका प्रतिनिधि सभा में बहुमत हो।

(६) व्यवस्थापक मण्डल और मंत्री मण्डल अपनी विवाद-ग्रस्त बातों को, न्याय विभाग के सम्मुख रखे बिना ही, तय कर लेते हैं।

× × × ×

संयुक्त शासन पद्धति—भिन्न भिन्न भागों के शासन सम्बन्धी अधिकारों के विचार से केनेडा और आस्ट्रेलिया में जो शासन पद्धति प्रचलित है उसे संयुक्त (Fedral) शासन पद्धति कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के यूनियन की शासन पद्धति के भी कुछ लक्षण इसी से मिलते हैं। इस शासन पद्धति वाले राज्य में शासन सत्ता एक केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं होती, वरन् केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में विभक्त होती है। व्यापार, युद्ध, सिक्का आदि जिन बातों का सम्बन्ध समस्त राज्य से हो, उनके सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा को होता है तथा उनको अमल में लाने का काम केन्द्रीय

सरकार करती है। प्रान्तीय सरकारें अपने अपने प्रान्त सम्बन्धी विषयों; उदाहरणवत धर्म, शिक्षा, उद्योग धन्धों, आदि के सम्बन्ध में स्वाधीन रहती हैं। *

× × ×

स्वाधीन उपनिवेशों का ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध

ब्रिटिश साम्राज्य के स्वाधीन उपनिवेशों (तथा अन्य भागों) का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे, इस विषय का, समय समय पर, साम्राज्य परिषद् † में विचार होता है। उसके अन्तिम (अर्थात् १९२६ के) अधिवेशन में सर्व सम्मति से यह स्वीकृत हुआ है कि साम्राज्य में ग्रेट ब्रिटेन

* इसके विपरीत, एकात्मक (Unitary) शासन पद्धति वाले राज्यों में सब शासन सत्ता केन्द्रीय सरकार के अधीन होती है। यदि वह उचित समझे तो वह अपने कुछ अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे सकती हैं। केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के अधिकार घटाने बढ़ाने, एवं उनकी संख्या या सीमा में भी परिवर्तन करने का अधिकार होता हैं। ग्रेट ब्रिटेन आदि देशों में यह पद्धति प्रचलित है।

† इसका अधिवेशन प्रायः तीसरे वर्ष होता है। इसके सदस्य इंगलैंड का प्रधान मंत्री, ब्रिटिश मंत्री मंडल के कुछ सदस्य, स्वतंत्र भागों के मंत्री, साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की ओर से ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश-मंत्री, और भारतवर्ष की ओर से भारत-मंत्री होते हैं। इंगलैंड का प्रधान मंत्री इस परिषद का सभापति होताहै। परिषद के स्वीकृत प्रस्ताव केवल परामर्श के रूप में होते हैं, वे विरुद्ध मत रखने वालों पर बाध्य नहीं होते।

तथा साम्राज्य के स्वतंत्र भागों का स्थान समान है। आन्तरिक अथवा विदेशी विषयों में कोई दूसरे के अधीन नहीं है। बादशाह के प्रति राजभक्ति रखते हुए, सब एक सम्मेलन सूत्र में बंधे हैं, और ब्रिटिश कामनवैल्थ (Commonwealth) के सदस्यों की हैसियत से स्वतंत्रता-पूर्वक सम्बन्धित है।

साम्राज्य का प्रत्येक स्वतंत्र भाग अब स्वयं अपने भाग्य का निर्म्माता है; किसी भाग पर दूसरे भाग का दबाव नहीं है। प्रत्येक भाग अब यह स्वयं निश्चय करता है कि दूसरे भागों से वह कहां तक सहयोग करे। जल सेना बढ़ाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन की सहायता न करके, अपनी जल सेना अलग अलग बनाकर, वे अपनी स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष परिचय देने लगे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे, परन्तु दृढ़ता-पूर्वक उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता बढ़ाते जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत से आदमी, अपने राज्य का झंडा भी अलग रखना चाहते हैं।

गवर्नर-जनरल का स्थान—यह कहा जा सकता है कि इंगलैंड में बादशाह एक-सत्ता शून्य पूजनीय प्रतिमा की भांति होता है। अब साम्राज्य के स्वतंत्र भागों में गवर्नर-जनरल का (न्यूफ़ाउंडलैंड में गवर्नर का) वही स्थान है जो बादशाह का इंगलैंड की शासन व्यवस्था में है। गवर्नर-जनरल बादशाह का प्रतिनिधि है, न कि ब्रिटिश सरकार या उसके किसी अंग का। अब ब्रिटिश सरकार और साम्राज्य के अन्य स्वतंत्र भागों की सरकारों में जो पत्र-व्यवहार होता है वह प्रधान मन्त्रियों द्वारा होता है, न कि गवर्नर-जनरल

द्वारा। गवर्नर-जनरल को मुख्य मुख्य सरकारी कागज़ों की कापी भेज दी जाती है, उसे प्रबन्धकारिणी सभा के निश्चयों की सूचना उसी प्रकार दी जाती है, जिस प्रकार इंगलैंड के बादशाह को वहां के मन्त्री मंडल के निश्चयों की।

बादशाह के, क़ानूनी मसविदों सम्बन्धी अधिकार—अब बादशाह, साम्राज्य के किसी स्वतन्त्र भाग की पार्लिमैंट से स्वीकृत क़ानूनी मसविदे को केवल वहां के ही प्रधान-मन्त्री की सलाह से रद्द कर सकता है, न कि ब्रिटिश सरकार के प्रधान मन्त्री की सलाह से।

यदि किसी स्वतन्त्र भाग की पार्लिमैंट कोई ऐसा क़ानूनी मसविदा स्वीकार करना चाहे जिससे साम्राज्य के दूसरे स्वतन्त्र भाग की हानि हो तो उक्त दोनों भागों के प्रधान-मन्त्री परस्पर में परामर्श कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार को बीच में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

वैदेशिक नीति—साम्राज्य के प्रत्येक स्वाधीन भाग को यह अधिकार है कि वह किसी अन्य देश से किसी विषय की सन्धि का पत्र-व्यवहार कर सके, और ऐसा करते समय साम्राज्य के जिस जिस स्वाधीन भाग से उसका सम्बन्ध हो, उसे भी सूचित करदे। यदि कोई मत-भेद न हो, तो बादशाह के नाम से, उक्त दोनों भागों की ओर से, सन्धि हो जायगी। उस सन्धि का सम्बन्ध उन्हीं भागों से होगा, जिनकी ओर से वह हुई है। इस प्रकार, यदि ब्रिटिश सरकार कोई सन्धि करे तो वह सन्धि साम्राज्य के किसी स्वाधीन भाग पर उस

समय तक लागू न होगी, जबतक कि उस भाग की सरकार भी उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे।

साम्राज्य परिषद् में यह निश्चय हुआ है कि वैदेशिक नीति का अधिकांश उत्तरदायित्व अभी कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार पर रहना चाहिये। परन्तु यह ध्यान रखा जायगा कि ब्रिटिश साम्राज्य का कोई स्वाधीन भाग अपनी सरकार की स्वीकृति के विना, किसी बन्धन (Obligation) को मानने के लिए बाध्य न होगा। दो उपनिवेशों ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यद्यपि हमने गत योरपीय महायुद्ध में इंगलैण्ड की सहायता की है, हम भविष्य में उस समय तक ऐसा कदापि नहीं करेंगे, जबतक पहले से ही हमारा युद्ध के विषय में परामर्श न ले लिया जायगा, और हम उससे सहमत न हो जांयगे।

स्वाधीन उपनिवेश विदेशी राज्यों में अपने स्वतंत्र राजदूत (Ambassadors) रख सकते हैं। उदाहरणवत केनेडा का अपना राजदूत वाशिंगटन (अमरीका के संयुक्त राज्य) में रहता है। ये अपनी स्वतन्त्र हैसियत से ही राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इससे यह स्पष्ट है कि वैदेशिक विषयों में भी ये उपनिवेश प्रायः पूर्ण स्वतन्त्र हैं।

चौथा परिच्छेद

भारतवर्ष का शासन

" अगरेज़ लोग भारतवर्ष में क्यों आये ? स्पष्टतया अपने लाभ के लिए। वे भारतवर्ष में क्यों डटे हैं ? फिर भी वही उत्तर होगा—अपने लाभ के लिए। वे कोई ऋषि तो हैं नहीं ! वे तमाशे या मन बदलाव के के लिए तो भारत पर शासन नहीं कर रहे हैं। उनकी चतुर पैनी दृष्टि तो सदा लाभ पर है। और, अधिक लाभ के लिए तो शासन अपना, अथवा अपने कब्ज़े में होना, आवश्यक है। — बर्नार्ड हौटन.

ऐतिहासिक परिचय—यहां अंगरेज़ व्यापार करने आये थे, समय ने उन्हें शासक बना दिया। सन् १६०० ई० में महारानी ऐलिज़ेबेथ से सनद लेकर २१५ व्यापारियों ने ईस्ट इंडया कम्पनी, बनायी और भारतवर्ष के समुद्र तट पर व्यापार करने लगे। कम्पनी समय समय पर इंगलैण्ड के शासकों से और पीछे पार्लिमैन्ट से सनद बदलवाती थी। इसका प्रबन्ध २४ डाइरेक्टरों की सभा तथा एक गवर्नर द्वारा होता था। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की क्षीणता व निस्तेजता तथा अन्य देशी व्यापारी समितिमों के भय के कारण, इसे अपनी आत्म-रक्षा की चिंता हुई और यह सेना का प्रबन्ध करने लगी।

अंगरेज़ों ने यहां समुद्र के खुले द्वार से प्रवेश किया। इस लिए इन्हें आरम्भ में भारतवर्ष की किसी देशी शक्ति से

सामना न करना पड़ा। जो सहधर्मी हालैंड पहले स्पेन की शत्रुता में इनका सहायक था, उसी से प्रथम मुठभेड़ हुई। डच लोगों के परास्त होते होते फ्रांस भी मैदान में आ उतरा। सतरहवीं शताब्दी के मध्य से कोई डेढ़ सौ वर्ष से अधिक, समुद्री हुकूमत के लिए इंगलैण्ड और फ्रांस में बड़ा विकट मुक़ाबला रहा। दक्षिण भारत का आधिपत्य पहले फ्रांसीसियों के हाथ जाता दीखा, परन्तु अन्त में अंगरेज़ों की ही सफलता रही। इस बीच में सन् १७५७ व १७६४ ई० में प्लासी व बक्सर की लड़ाइयां हुई। पहली विजय से कम्पनी के हिस्से में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आया और दूसरी से उसे इलाहाबाद, कड़ा व बनारस मिले। इसी प्रकार राजनीति की कई एक कूट चालों से, मरहठों की संघशक्ति टूटने पर, महाराष्ट्र तथा दिल्ली आगरे का प्रान्त कम्पनी के हाथ आया, और मैसूर के सुलतान हैदर व टीपू के परास्त होने पर वर्तमान मद्रास प्रान्त की नींव पड़ी। पश्चात् वीर-केसरी रणजीत की मृत्यु पर सन् १८४५-४६ ई० तथा १८४८-४९ ई० के दो सिख युद्धों के बाद पंजाब कम्पनी के सीमान्तर्गत हुआ। वारिस न होने अथवा कुप्रबन्ध के आधार पर लार्ड डलहौज़ी ने अवध, नागपुर, सितारा, झांसी आदि कई देशी रियासतें कम्पनी के राज्य में मिला लीं। इस तरह वर्तमान अंगरेज़ी भारत का वृहदंश सन् १८५७ तक कम्पनी के हस्तगत हुआ। स्मरण रहे कि इस कार्य में देशी शक्तियों के सहयोग से ही सफलता मिली है।

ज्यों ज्यों कम्पनी का कार्य क्षेत्र बढ़ता गया उसका प्रबन्ध शिथिल होता गया। आर्थिक दशा ख़राब होने से उसे ब्रिटिश सरकार से ऋण लेना पड़ा। सन् १७७३ ई० में सनद देते

हुए पार्लिमेंन्ट ने कम्पनी के अधिकारों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आरम्भ किया, और उसका प्रबन्ध सुधारने के विचार से 'रेग्यूलेटिंग ऐक्ट' पास किया। सन् १७८४ ई० में कम्पनी के काम की निगरानी करने के लिए "बोर्ड आफ़ कन्ट्रोल" नामक संस्था बनाई गई। १७९३ में इसके संगठन में परिवर्तन किया गया। प्रति बीसवें वर्ष कम्पनी के कारोबार तथा शासन व्यवस्था की जांच होती थी। आवश्यक सुधार किया जाता था, तब सनद बदली जाती थी।

सन् १८१३ ई० के ऐक्ट से कम्पनी का भारत से व्यापार-एकाधिपत्य छीन लिया गया। १८५३ में यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय राज्य का वास्तविक अधिकार ब्रिटिश सरकार को है, परन्तु जब तक पार्लिमेंट स्वयं उसका शासन करना न चाहे तब तक कम्पनी सम्राट के नाम से राज करे। पीछे सन् १८५७ ई० के विद्रोह के पश्चात् भारतीय शासन प्रगट रूप से ब्रिटिश पार्लिमेन्ट के अधीन होगया।

नेपाल, भूटान को, तथा फ्रांसीसी और पुर्तगीज़ राज्य के अधीन भागों को छोड़कर, समस्त भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है, और उसके धन सम्पत्ति और वैभव को बढ़ाने में प्रधान सहायक है। ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत भारत के दो भाग हैं:—(१) ब्रिटिश भारतवर्ष और (२) भारतवर्ष की देशी रियासतें। अब हम इनकी शासन पद्धति की मुख्य मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं*।

* भारतवर्ष की शासन पद्धति का सविस्तर विवेचन श्री० केला जी की 'भारतीय शासन' (छटा संस्करण) में किया गया है। इसका एक सरल संस्करण 'सरल भारतीय शासन' के नाम से प्रकाशित हो चुका है।

(१)

ब्रिटिश भारत

ब्रिटिश भारतवर्ष की शासन पद्धति में समय समय पर कुछ परिवर्तन हुए हैं। अन्तिम सुधार क़ानून १९१९ में पास हुआ था। उसका उद्देश्य इस देश को क्रमशः उत्तरदायी शासन अधिकार देना है। परन्तु अभी केन्द्रीय शासन में उसे आरम्भ नहीं किया गया है; भारत सरकार ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति ही उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। केवल नौ बड़े प्रान्तों का शासन कुछ अंश में उत्तरदायी किया गया है। उपर्युक्त सुधार क़ानून के अनुसार यह व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष में शासन सुधार कमीशन नियुक्त किया जायगा, जो विविध प्रकार की जांच करके इस बात की रिपोर्ट करेगा कि जो उत्तरदायी शासन यहां प्रचलित हो, उसे कहां तक बढ़ाना, बदलना या घटाना उचित होगा। यह कमीशन १९२८ में नियत हुआ, इस के सातों सदस्य अङ्गरेज़ होने के कारण, भारतवर्ष के प्रमुख राजनैतिक दलों ने इसे स्वयं निर्णय (Self-determination) सिद्धान्त के विरुद्ध घोषित करके, इसका बहिष्कार कर दिया।

केन्द्रीय सरकार—इंगलैंड का बादशाह भारतवर्ष का सम्राट कहलाता है, उसकी ओर से जो प्रधान अधिकारी यहां काम करता है, उसे गवर्नर-जनरल कहते हैं, (वह देशी रियासतों का वायसराय है)। उसे बादशाह अपने प्रधान

सूचना

सन् १९३५ ई० के विधान से, भारतवर्ष की शासन पद्धति में कई परिवर्तन हुए हैं। यहां की वर्तमान शासन प्रणाली का वर्णन हमारी 'भारतीय शासन' के सातवें और 'सरल भारतीय शासन' के दूसरे संस्करण में किया गया है।

—लेखक

मंत्री की सिफ़ारिश से नियत करता है। वह अपने पद पर प्रायः पांच वर्ष रहता है। उसकी प्रबन्धकारिणी सभा को भारत सरकार कहते हैं। इसमें उसके तथा कमांडरन चीफ़ के, अतिरिक्त, भिन्न भिन्न विभागों के छः सदस्य होते हैं, जिनमें प्रायः तीन हिन्दुस्थानी होते हैं। सभा का सभापति गवर्नर-जनरल होता है। उसे अधिकार है कि यदि उसकी समझ में सभा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो तो वह अपनी सम्मति-अनुकूल कार्य कर सकता है।

भारत सरकार को ब्रिटिश भारत के शासन तथा सैनिक प्रबन्ध के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है, पर भारत मंत्री की इच्छा के विरुद्ध वह कुछ नहीं कर सकती। भारत मंत्री इंगलैंड में रहता है, वह पार्लिमेंट का सदस्य होता है, और उसके प्रति ही भारतीय शासन के लिए उत्तरदाता रहता है। उसे सहायता या परामर्श देने के लिए एक सभा 'इंडया कौंसिल' होती है। इसमें आठ से बारह तक सदस्य होते हैं, जिनमें प्रायः तीन हिन्दुस्थानी होते हैं।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल—पिछले सुधारों से भारतीय व्यवस्थापक मंडल के दो भाग हैं:—(१) राज्य परिषद या कौंसिल-आफ़-स्टेट; और (२) भारतीय व्यवस्थापक सभा अर्थात् लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली। राज्य परिषद का नया संगठन प्रायः पांच साल में होताहै, इसमें ६० सदस्य होते हैं, ३३ निर्वाचित और २७ नामज़द। व्यवस्थापक सभा का नया संगठन प्रायः तीन वर्ष में होताहै। इस सभा में सदस्यों

की संख्या १४० निश्चित की गयी है, जिनमें से १०० निर्वाचित हों। प्रायः दोनों सभाओं से स्वीकृत होने पर ही कोई मसविदा पास हुआ समझा जाता है। इनके प्रस्ताव केवल सिफ़ारिश के रूप में होते हैं, वे भारत सरकार पर बाध्य नहीं होते। गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह दोनों सभाओं के पास किये हुए क़ानूनी मसविदे को भी अस्वीकार करदे।

प्रान्तीय सरकार—ब्रिटिश भारत में १५ प्रान्त हैं; नौ बड़े, और छः छोटे। छोटे प्रान्तों का शासन चीफ़ कमिश्नर करते हैं, जो गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त और भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बड़े प्रान्तों के शासन सम्बन्धी विषय दो भागों में विभक्त है, रक्षित और हस्तान्तरित। रक्षित विषयों के प्रबन्ध करने का अधिकार गवर्नर और उसकी प्रबन्धकारिणी सभा को होता है, हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर मंत्रियों के परामर्श से करता है। गवर्नरों की नियुक्ति इंगलैंड के बादशाह द्वारा होती है। ये कुछ दशाओं में अपनी प्रबन्धकारिणी सभा तथा मंत्रियों के निर्णय के विरुद्ध भी काम कर सकते हैं। मंत्री व्यवस्थापक परिषदों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो इनका वेतन घटा सकती हैं।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदें—प्रत्येक बड़े प्रान्त में एक एक व्ययस्थापक परिषद है। प्रायः किसी परिषद में २० फ़ी सदी से अधिक सदस्य सरकारी, और ७० फ़ी सदी

से कम सदस्य निर्वाचित, नहीं होते। वर्तमान संगठन इस प्रकार है:—

सदस्य	मदरास	बम्बई	बङ्गाल	संयुक्तप्रान्त	पञ्जाब	बिहार, उड़ीसा	मध्यप्रान्त बरार	आसाम	बर्मा
निर्वाचित	९८	८६	११३	१००	७१	७६	५४	३९	७८
नामज़द	२९	२५	२६	२३	२२	२७	१६	१४	२३
योग	१२७	१११	१३९	१२३	९३	१०३	७०	५३	१०१

परिषदों की आयु साधारणतः तीन वर्ष की होती है। प्रत्येक गवर्नर को अधिकार रहता है कि अपने प्रान्त की परिषद् के किसी स्वीकृत प्रस्ताव को अस्वीकार करदे।

सरकारी आय व्यय—ब्रिटिश भारत का लगभग सवा दो सौ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष करों द्वारा वसूल किया जाकर, प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा ख़र्च किया जाता है। छोटे प्रान्तों के लिए केन्द्रीय सरकार ही ख़र्च करती है। केन्द्रीय सरकार, तथा प्रान्तीय सरकार बहुत सी मद्दों के लिए अपनी इच्छानुसार ख़र्च कर सकती है, कुछ थोड़ी सी मद्दों के लिए भारतीय व्यवस्थापक मंडल और प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों को मत देने का अधिकार है, परन्तु गवर्नर-जनरल तथा

गवर्नर आवश्यक समझने पर उनके मत की अवहेलना कर सकते हैं।

भारतवर्ष का राजनैतिक ध्येय—भारतवर्ष की भावी शासन पद्धति के सम्बन्ध में, भिन्न भिन्न राजनीतिज्ञों में; दो प्रकार के मत हैं; एक पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में है, दूसरा स्वाधीन उपनिवेशों की शासन पद्धति का आदर्श रखता है। सन् १९२८ ई० में, यहां सर्व दल सम्मेलन में स्वाधीन भागों के ढंग की शासन पद्धति की योजना स्वीकृत की गयी है। भारतीय राष्ट्र सभा (कांग्रेस) ने यह प्रस्ताव पास किया है कि यदि १९२९ के अन्त तक ब्रिटिश पार्लिमेंट ने उपर्युक्त योजना स्वीकार न की तो वह अहिन्सात्मक असहयोग आन्दोलन करेगी। देखना है कि क्या ब्रिटिश राज-नीतिज्ञ भारतीय जनता की मनोवृत्ति समझकर, तदनुसार कार्य करेंगे।

(२)

भारतवर्ष की देशी रियासतें

भारतवर्ष की छोटी बड़ी सब देशी रियासतों की संख्या छः सौ के लगभग है। मोटे हिसाब से इनकी तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, कश्मीर, सिक्कम और ग्वालियर की बड़ी बड़ी या ऊंचे दर्जे की पृथक् पृथक् रियासतें हैं। इनका भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक में उसका एक रेज़ीडेन्ट नामक पदाधिकारी

रहता है। दूसरी श्रेणी में उन रियासतों के समूह हैं जो पास पास स्थित हैं। प्रत्येक समूह एजन्सी कहलाता है और उसमें ब्रिटिश भारत के गवर्नर-जनरल का एक 'एजन्ट' रहता है। ये एजन्सियां राजपूताना एजन्सी, मध्य भारत एजन्सी, बिलोचिस्तान एजन्सी, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त एजन्सी हैं। तीसरी श्रेणी में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें हैं, जो ब्रिटिश भारत के प्रान्तों या ज़िलों के बीच में स्थित हैं। ये प्रान्तीय सरकारों के अधीन है। इनमें से कुछ में पृथक् पृथक् 'पोलिटिकल अफ़सर' रहते हैं, शेष की देख भाल का काम ब्रिटिश भारत के ज़िलाधीशों के ही सुपुर्द है। इस श्रेणी की कुछ महत्व वाली रियासतों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध होता जा रहा है।

भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध—जिस नरेश को भारत सरकार, अयोग्य या असमर्थ समझे, उसे वह भारत मंत्री की सम्मति से, गद्दी से उतार सकती है। जब तक सरकार किसी नरेश के व्यवहार से संतुष्ट रहे वह उसके राज्य की रक्षा करती है। देशी नरेशों को भारत सरकार की आज्ञा बिना एक दूसरे से, या किसी विदेशी राज्य से, राजनैतिक पत्र व्यवहार करने की अनुमति नहीं रहती। इन्हें प्राचीन संधियों के अनुसार एक सीमा तक अपने राज्य के आन्तरिक शासन प्रबन्ध की स्वतंत्रता होती है। परन्तु ब्रिटिश सरकार 'शान्ति और सुव्यवस्था' के लिए, जैसा चाहे, हस्तक्षेप कर सकती है।

वर्तमान अवस्था में कुछ नरेश भारतवर्ष के वायसराय

(गवर्नर-जनरल) को 'मेरे दोस्त' लिखते हैं, ब्रिटेन को अपना 'मित्र राष्ट्र' समझते हैं, तथा अपने राज्य में कुछ मनमाना शासन कर सकते हैं, तथापि कार्य व्यवहार में वे यथेष्ठ स्वतंत्र नहीं कहे जा सकते। बहुधा इन्हें अपनी सन्तान की शिक्षा और विवाह आदि व्यक्तिगत कार्यों में भी भारत सरकार का 'परामर्श' मानने को वाध्य होना पड़ता है।

भविष्य में देशी रियासतों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे, तथा उनका ब्रिटिश भारत से आर्थिक व्यवहार कैसा हो, इसका विचार करने के लिए पिछले दिनों एक कमेटी नियुक्त हुई है, जिसके तीनों सदस्य अंगरेज़ हैं। नरेशों ने अपने अधिकारों की रक्षा, तथा ब्रिटिश भारत से सहयोग, के सम्बन्ध में एक योजना तैयार करके कमेटी को दी है। कमेटी की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

जांच कमीशन—यदि दो या अधिक रियासतों में, किसी रियासत और प्रान्तीय सरकार में, या किसी रियासत और भारत सरकार में कोई मत-भेद उपस्थित हो, एवं जब कोई रियासत भारत सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असंतुष्ट हो, तो वायसराय एक जांच कमीशन नियुक्त कर सकता है। अगर वायसराय इस कमीशन के आवेदन को स्वीकार न कर सके, तो वह उस मामले को फ़ैसले के लिए भारत मंत्री के पास भेज देगा।

यदि कभी किसी रियासत के शासक को या उसके

उत्तराधिकारी को, राजगद्दी से, अथवा कुछ अधिकार से, वंचित करना हो, तो भी जांच कमीशन नियत किया जा सकता है।

नरेन्द्र मंडल—सन् १९२१ ई० से बड़ी बड़ी रियासतों की एक नरेन्द्र मंडल ('चेम्बर आफ़ प्रिंसेज़') नामक समिति बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष रियासत से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सब रियासतों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत, और देशी रियासतों से हो, उन पर इस संस्था की सम्मति मांगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है, उसकी अनुपस्थिति में राजाओं में से ही कोई प्रधान का कार्य करता है। मंडल का अधिवेशन प्रायः साल में एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही वादानुवाद होता है। मंडल के नियम, वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर, बनाता है। नरेन्द्र मंडल प्रति वर्ष एक छोटी सी स्थायी समिति बनाता है, जिससे वायसराय, या भारत सरकार का विदेश विभाग देशी रियासतों सम्बन्धी महत्व-पूर्ण विषयों में सम्मति लेता है।

× × × ×

साम्राज्य परिषद् और भारतवर्ष—पिछले परिच्छेद में साम्राज्य परिषद का उल्लेख किया जा चुका है। गत योरपीय महायुद्ध से पहले इसमें भारतवर्ष की ओर से कोई व्यक्ति भाग नहीं लेता था। अब भारत मंत्री, तथा भारत सरकार से नामज़द किये हुए प्रायः दो आदमी इसके अधि-वेशनों में शामिल होते हैं। परन्तु जब कि स्वाधीन उपनिवेशों की ओर से इसमें सम्मिलित होने वाले, उनके मंत्री अपने

अपने राज्यों के प्रति उत्तरदाता होते हैं, और इस लिए उनका मत प्रकट करते हैं, भारत मंत्री और उसके सलाहकार, भारतवासियों द्वारा निर्वाचित या उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते और उनका वास्तविक मत प्रकट नहीं करते। ये वास्तव में भारतवर्ष के प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते।

× × × ×

ब्रिटिश साम्राज्य में भारतवासी—ब्रिटिश साम्राज्य में भारतवर्ष के बाहर, लगभग इक्कीस लाख भारतीय रहते हैं, लगभग दो लाख तो साम्राज्य के स्वाधीन भागों में और शेष परतंत्र भागों में। स्वाधीन भागों में अब भारतवासियों को जाकर रहने का अधिकार नहीं है। कनाडा, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में खुले तौर से, और न्यूज़ीलैंड में योग्यता की क़ैद लगाकर, उन्हें प्रवेश करने के अयोग्य ठहराया जाता है। इन्हें म्यूनिसिपल, प्रान्तीय, अथवा सार्वदेशिक निर्वाचन में मताधिकार कुछ स्थानों में तो बिलकुल नहीं है, और कुछ में है भी तो बहुत कम।

इन उपनिवेशों की सरकारें बराबर कहा करती हैं कि यह बात झूठी है कि हिन्दुस्तानियों को हम वर्ण विभेद के कारण अधिकार नहीं देते, इसका कारण आर्थिक है। परन्तु जब हम यह सोचते हैं कि उपनिवेशों का क्षेत्रफल बहुत अधिक है और वहां की उपज से जितनी जन संख्या का निर्वाह हो सकता है, उसकी अपेक्षा वहां बहुत कम लोगों की आबादी है, तो यह सहज ही निर्णय हो जाता है, उपनिवेशों की सरकारों का उपर्युक्त कथन बिलकुल निस्सार

है। प्रश्न आर्थिक नहीं, रंग (काले गोरे) का है, और सभ्यता (भारतीय या ऐशियाई, और योरपियन) का है।

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए दरवाज़ा बन्द है। पर औपनिवेशिक विभाग से सम्बद्ध बीसियों उपनिवेश हिन्दुस्तानियों को मांग रहे हैं। हां, मांग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। ये उपनिवेश गृहस्थी, पूंजीवाले या उच्च स्थिति के हिन्दुस्तानी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि कुली हिन्दुस्तानी वहां जावें। इन उपनिवेशों में हिन्दुस्तानियों के लिए 'कुली' शब्द का व्यवहार किया जाता है, उनसे मनुष्योचित व्यवहार नहीं किया जाता। उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है।

साम्राज्य के भिन्न भिन्न स्थानों में भारतवासियों की दुर्दशा का प्रधान कारण भारतवर्ष की पराधीनता है। इसे यथा-शक्ति शीघ्र दूर किया जाना चाहिये। साथ ही साम्राज्य के शुभचिन्तक बनने का दम भरने वालों को भी गम्भीरता पूर्वक इस सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है। साम्राज्य का आधार सहयोग और समानता का भाव होता है। इनके अभाव में वर्ण विद्वेष से, उसका छिन्न भिन्न होजाना अनिवार्य है। क्या इस ओर समुचित ध्यान दिया जायगा ?

पांचवां परिच्छेद

उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भाग

" ब्रिटेन के बाहर साम्राज्य के जिन भागों में गोरे बसते हैं, वे एक प्रकार से स्वतंत्र राज्य ही हैं। उन पर नाम मात्र के लिए ब्रिटिश महाराज की प्रभुता है, परन्तु जिन भागों में उनका सचमुच साम्राज्य है, उनमें अनगोरों की बस्ती है। इसलिए सच पूछा जाय तो अनगोरी जातियां ही छोटे से ब्रिटिश टापू को करोड़ों आदमियों का प्रभु बना रही है। "

— स्वतंत्र

इस परिच्छेद में साम्राज्यान्तर्गत उन भागों की शासन-पद्धति का विचार किया जायगा जो ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश विभाग के अधीन हैं। यद्यपि इनमें सीलोन (लंका) आदि कुछ भाग ऐसे हैं, जो वास्तव में उपनिवेश नहीं कहे जा सकते। इन सबको प्राय: राजकीय उपनिवेश (Crown Colony) कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इनके लिए बादशाह अपनी प्रिवी कौंसिल की सलाह से क़ानून बनाता है।

ये उपनिवेश भू-मंडल भर में बिखरे हुए, अनेक छोटे बड़े टापू या अन्य ऐसे भाग हैं, जिनके अधिकतर निवासी असंगठित ग़ैर-योरपियन हैं तथा असभ्य माने जाते हैं। ये

गत तीन शताब्दियों में, भिन्न भिन्न समय में, अंगरेज़ों के अधिकार में आये। इनमें से बहुतसों में अंगरेज़ पहले व्यापार करने के उद्देश्य से गये थे। कुछ उपनिवेश युद्ध तथा सन्धियों से भी मिले हैं।

अफ्रीका और अमरीका के निकटवर्ती अथवा अन्तर्गत राजकीय उपनिवेशों में से अधिकतर की जल-वायु अंगरेज़ों के अनुकूल न होने से, इनमें अधिक जन संख्या इनके मूल निवासियों की ही है। जिन स्थानों की जल-वायु औपनिवेशिकों के अनुकूल है, उनमें इनकी संख्या खूब बढ़ी, तथा बढ़ रही है। किसी किसी की पैदावार अच्छी है, और अंगरेज़ उससे, तथा उपनिवेश के मूल निवासियों की सस्ती मज़दूरी से, अच्छा लाभ उठाते हैं। अदन और जिबरालटर आदि कुछ उपनिवेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही विशेष महत्व के हैं।

चार श्रेणियां—शासन पद्धति की दृष्टि से, हम इन उपनिवेशों को चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :—

(१) पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की है जिनमें केवल गवर्नर ही शासन करता है, और वही क़ानून भी बनाता है। इन उपनिवेशों में कोई व्यवस्थापक सभा नहीं रहती। ऐसे उपनिवेश ये हैं :—

(क) जिबरालटर, (घ) गोल्ड कोस्ट,

(ख) सेंट हलीना, (च) नाइजीरिया,

(ग) अशांटी, (छ) बसूटोलैण्ड,

(ज) बिचुआनालैण्ड, (ट) अदन * ।
(झ) स्वाजीलैण्ड,

(२) दूसरी श्रेणी के उपनिवेश वे हैं, जिनमें व्यवस्थापक सभायें सङ्गठित तो होगयी हैं, पर वे होती हैं पूर्णतया मनोनीत सदस्यों की ही । इन व्यवस्थापक सभाओं का शासन कार्यों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ; गवर्नर ब्रिटिश सरकार के आदेशानुसार ही सब कार्य करता है । ऐसे उपनिवेश ये हैं:—

(क) ब्रिटिश हॉड्रास, (च) न्यासालैण्ड,
(ख) ट्रिनिडाड, (छ) हाँकाँग,
(ग) विडवर्ड द्वीप समुदाय, (ज़) स्ट्रेट सेटलमेंट, और
(घ) पश्चिमी अफ्रीका का उपनिवेश, (झ) सेचलीज़ ।

(३) तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं, जिनमें व्यवस्थापक सभायें स्थापित तो होगयी हैं परन्तु उन सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या से कम रहती है, इस लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि शासन सम्बन्धी कार्यों में अपना विशेष प्रभाव नहीं डाल सकते । इन उपनिवेशों का शासन कार्य गवर्नर, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रहते हुए, करते हैं । ऐसे उपनिवेश ये हैं :—

(क) जेमेका, (ख) सीलोन (लङ्का),

* अदन का सैनिक प्रबन्ध ब्रिटिश सरकार करती है । भारत सरकार इसके केवल म्युनिसिपल विषयों की देख रेख करती है ।

(ग) मारीशस,
(घ) फ़ीजी,
(ज) केनिया,
(झ) ब्रिटिश गायना,
(ञ) लीवर्ड द्वीप,
(झ) साइप्रस,
(ट) यूगांडा,
(ठ) दक्षिण रहोडेशिया,
(ड) उत्तरी रहोडेशिया,
(ढ) गेम्बिया,
(त) सीरालीयन,
(थ) फाकलैण्ड,
(द) दक्षिण जार्जिया, और
(ध) पेपुआ।

पिछले दिनों इन उपनिवेशों में से सीलोन, और केनिया में शासन सुधार के विषय पर विचार करने के लिए कमीशनों की नियुक्ति हुई थी। उनकी रिपोर्टें प्रकाशित हो गयी हैं। ग़ैर-योरपियनों की दृष्टि से, ये रिपोर्टें कई अंशों में बहुत असन्तोषप्रद हैं।

(४) चौथी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें दो दो व्यवस्थापक सभायें हैं। इन सभाओं में से एक के सदस्य वहां की सरकार द्वारा मनोनीत रहते हैं और दूसरी के सदस्य पूर्णतः निर्वाचित होते हैं। मन्त्री व्यवस्थापक सभाओं के प्रति उत्तरदाता नहीं होते। ऐसे उपनिवेश ये हैं :—

(क) बहमाज़,
(ख) बारबेडोज़,
(ग) बरमुडाज़, और
(घ) माल्टा।

गवर्नर और प्रबन्धकारिणी सभा — राजकीय उपनिवेशों के गवर्नरों को बादशाह उपनिवेश मन्त्री के परामर्श

के अनुसार नियत करता है। उन्हें शासन सम्बन्धी सब आवश्यक अधिकार होतेहैं, परन्तु वे इन अधिकारों का उपयोग उन लिखित हिदायतों के अनुसार ही कर सकते हैं जो उन्हें, नियुक्ति के समय बादशाह द्वारा, दी जाती हैं अथवा जो उन्हें समय समय पर उपनिवेश मन्त्री द्वारा मिलते रहते हैं। गवर्नर को शासन कार्य में सहायता देने के लिए प्रबन्ध-कारिणी सभा भी रहती है, परन्तु वह इसके बहुमत की अवहेलना कर सकता है।

गवर्नर का कर्तव्य है कि अपने उपनिवेश के भिन्न भिन्न विभागों के संचालन सम्बन्धी सब महत्व-पूर्ण विषयों पर स्वयं समुचित ध्यान दे। उसे विशेष रूप से यह आदेश होता है कि उपनिवेश के मूल निवासियों में धर्म और शिक्षा का प्रचार करे, उनके जान माल की रक्षा करे तथा उनके विरुद्ध अन्याय या हिन्सा होने से रोके। रेलें निकालने और बन्दरगाह बनवाने आदि के ऐसे कार्यों की ओर भी उसका बहुत ध्यान रहता है, जिनमें बड़ा खर्च करना होता है।

ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध—साम्राज्य के इन भागों (तथा रक्षित राज्यों) के शासन का नियंत्रण उपनिवेश मंत्री करता है जो इनके सुशासन के लिए इंगलैंड की प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इन भागों के शासकों को सब महत्व-पूर्ण विषयों में उपनिवेश मंत्री की आज्ञाओं का पालन करना होता है। ब्रिटिश उपनिवेश विभाग की एक शाखा इनके राजनैतिक तथा शासन सम्बन्धी कार्य का नियंत्रण करती है और दूसरी शाखा इनके मुद्रा, रेल, डाक,

तार, शिक्षा आदि सम्बन्धी कार्य की देख भाल करती है; इसके कार्य में सहायता देने के लिए स्थायी कमेटियां नियत हैं।

उपसंहार—स्वाधीन उपनिवेश अपना सब शासन कार्य अपने हित की दृष्टि से करते हैं। इंगलैंड को वहां हस्तक्षेप करने (और स्वयं लाभ उठाने) का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु इन राजकीय उपनिवेशों के राज्य-प्रबन्ध में तो उसे बहुत अधिकार प्राप्त हैं। इन उपनिवेशों में, यदि वह चाहे तो मानव जाति की अपार सेवा कर सकता है परन्तु यह तभी सम्भव है, जब वह इनकी समस्याओं पर, इनके हित की दृष्टि से, स्वार्थ-त्याग-पूर्वक, रंग या जाति के भेद भाव को भूलकर, अपना कर्तव्य पालन करे।

छटा परिच्छेद

रक्षित राज्य

" इस संसार में किसी के अधिकारों में छेड़ छाड़ से दूर रहने वाली और अपने घर में शान्ति पूर्वक रूखी सुखी रोटी खाने वाली, जो बेचारी छल प्रपंच रहित जातियां हैं, वे संरक्षकता की खुदगर्जी का तूफान लिये फिरने वाली इन योरपीय जातियों के पंजे में कैसी बुरी तरह से आपड़ी हैं ? "

— स्वाधीन

प्राक्कथन—रक्षित राज्य (Protected State) उस राज्य को कहते हैं, जिसमें प्रभुत्व तो उसी राज्य के राजा (या शासकों) का हो, परन्तु जिसमें विविध सन्धियों के अनुसार उसके संरक्षक राज्य को या तो भीतरी तथा बाहरी दोनों प्रकार के विषयों में, अथवा केवल बाहरी विषयों में कुछ राजनैतिक अधिकार होते हैं।

जब किसी दुर्बल या कायर राजा को किसी आक्रमणकारी का भय होता है, अथवा जब उस पर कोई आक्रमण कर देता है, तो वह प्रायः अपनी रक्षा के लिए या तो आक्रमणकारी राज्य की ही, अथवा किसी अन्य बलिष्ठ राज्य की, शरण लेकर उसकी कुछ अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य होजाता है। इस प्रकार वह अपने राज्य को पूर्णतः पराजित तथा पराधीन बनाने की जोखम उठाने की अपेक्षा, उसे उसका रक्षित राज्य बनाना स्वीकार कर लेता है।

संरक्षक बन जाने वाले राज्य को अपने रक्षित राज्य में कुछ अधिकार सहज ही प्राप्त होजाते हैं। अतः बहुधा बलवान राज्यों की यह इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक भू-भाग हमारी संरक्षकता स्वीकार करलें। वे इस बात का प्रयत्न करते रहते हैं कि अवसर मिलते ही, वे उन राज्यों को अपनी संरक्षता में ले आवें जो उनसे निर्बल होने पर भी उनके अधीन न हों।

अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षक राज्य अपने अधिकार बढ़ाते रहते हैं, और प्रायः थोड़े या बहुत समय में उनकी शासन-

पद्धति में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कराने में सफल होजाते हैं।

ब्रिटिश रक्षित राज्य—ब्रिटिश साम्राज्य में रक्षित राज्य वे हैं, जो अपने क्षेत्र में, केवल अंगरेज़ों को ही राजनैतिक हस्तक्षेप करने देते हैं। इन राज्यों ने गत तीन सौ वर्ष में समय समय पर, स्वयं इंगलैंड या अन्य किसी राज्य के भय से, आत्म-रक्षा के लिए अंगरेज़ों की संरक्षकता स्वीकार की, जिससे इनका कुछ अस्तित्व बना रहे। भिन्न भिन्न रक्षित राज्यों में ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण पृथक् पृथक् परिमाण में है।

ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत मुख्य रक्षित राज्य ये हैं :-

(क) मलाया स्टेट;
(ख) सारवाक,
(ग) बोरन्यू,
(घ) सूडान, और
(च) ज़ंजीबार।

मलाया—इसका शासन एक राज्य परिषद (State Council) द्वारा होता है। परिषद का सभापति वहां का सुलतान होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त रेज़ीडैंट सुलतान का सहायक पदाधिकारी होता है।

सारवाक—इसके आन्तरिक शासन में तो ब्रिटिश

सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके, विदेशों सम्बन्धी विषयों का वह नियन्त्रण करती है। ब्रिटिश सरकार इस राज्य के उत्तराधिकारी का भी निश्चय करती है।

बोरन्यू—इसका शासन 'ब्रिटिश नार्थ बोरन्यू कम्पनी' के अधीन है। ब्रिटिश सरकार आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करती। कम्पनी के डायरेक्टर ही शासन प्रबन्ध करते हैं। गवर्नर कम्पनी द्वारा नियुक्त होता है, परन्तु वह ब्रिटिश सरकार से स्वीकृत होना चाहिये। ब्रिटिश सरकार बाहरी विषयों का ही नियन्त्रण करती है।

सूडान—सन् १८९९ ई० के समझौते के अनुसार यह राज्य, इंगलैंड और मिश्र दोनों की संरक्षता में है। यद्यपि यहां की प्रजा ने स्वतंत्रता का आन्दोलन किया, परन्तु उसे अभी तक सफलता प्राप्त न हुई, आन्दोलनकारियों का समय समय पर दमन कर दिया गया।

सूडान कपास की फ़सल के लिए खूब प्रसिद्ध है, और इंगलैंड के व्यापारियों को इससे खूब मुनाफ़ा रहता है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में ब्रिटिश राज होने, तथा स्वेज़ नहर के व्यापारिक और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व होने के कारण भी सूडान अंगरेज़ों के लिए बहुत लाभकारी है।

सन् १८६६ ई० के समझौते के अनुसार सूडान में सैनिक तथा मुल्की शासन कार्य गवर्नर-जनरल करता है, जो ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति होने पर, मिश्र सरकार की आज्ञा से नियत किया जाता है, और इसी प्रकार हटाया जाता है।

गवर्नर-जनरल प्रान्तीय गवर्नरों, तथा इन्सपेक्टरों को नियत करता है, ये लोग ब्रिटिश प्रजा के ही होते हैं।

ज़ंजीबार—यहां का शासन कार्य, यहां के सुलतान के नाम से, ब्रिटिश रेज़ीडेंट द्वारा होता है। यह रेज़ीडेंट केनिया के गवर्नर के अधीन होता है, जो यहां का हाई कमिश्नर माना जाता है। सुलतान और रेज़ीडेन्ट दोनों मिलकर क़ानून बनाते हैं; उन्हें शासन कार्य में सहायता देने के लिए एक प्रबन्धकारिणी सभा होती है, जिसका सभापति सुलतान और उप-सभापति रेज़ीडेन्ट होता है। इस सभा में इनके अतिरिक्त तीन सरकारी और तीन ग़ैर-सरकारी सदस्य होते हैं। इस राज्य में व्यवस्थापक सभा भी है।

× × ×

साम्राज्य के इन भागों का ब्रिटिश सरकार से वही सम्बन्ध है, जो उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भागों का है। (देखो पृष्ठ १५९-६०)।

सातवां परिच्छेद

आदेश-युक्त राज्यों का शासन

राष्ट्र-संघ के नियमों और निर्णयों की दृष्टि से देखा जाय तो शासनादेश में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। नियम बहुत अच्छे हैं। पर नियम बनाने वालों की नीयत में हमें घोर संदेह है।

— आज

प्राक्कथन—आदेश-युक्त राज्यों की सृष्टि पिछले दस वर्ष से ही हुई है। योरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) के पश्चात् जर्मनी और टर्की के साम्राज्यों के, अफ्रीका, शान्त महासागर और एशिया में स्थित कुछ भू-भाग मित्र-राष्ट्रों (Allies) अर्थात् इंगलैंड, फ्रांस और इटली को, और कुछ भाग दो दो तीन तीन सम्मिलित राष्ट्रों को, मिल गये। इन भू-भागों को सभ्यता, या आर्थिक अथवा भौगोलिक स्थिति के अनुसार, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में विभक्त किया गया और यह निश्चय किया गया कि इनका कुछ समय अनुभवी और उन्नत राष्ट्रों की शागिर्दी (Tutelage) में रहना आवश्यक है। ये राष्ट्र, इन भू-भागों का शासन राष्ट्र-संघ* या 'लीग-आफ़-नेशन्स' (League of Nations) के आदेश के

---

* इस संस्था का आवश्यक परिचय आगे दसवे परिच्छेद में दिया गया हैं।

अनुसार करते हैं। इन राज्यों को आदेश-युक्त राज्य (Mandatory States) कहते हैं।

ब्रिटिश सरकार तथा उपनिवेश सरकारों द्वारा शासित, आदेश-युक्त राज्य—जिन आदेश-युक्त राज्यों का शासन, ब्रिटिश सरकार, तथा स्वतंत्र ब्रिटिश उपनिवेशों की सरकारें करती हैं, उनमें से मुख्य मुख्य राज्यों तथा उन पर शासन करने वाली सरकारों के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

राज्य	शासक सरकार
न्यू गिनी	आस्ट्रेलिया
सेमोआ	न्यूज़ीलैंड
दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका का यूनियन
नौरू	इंगलैंड, न्यूज़ीलैंड और आस्ट्रेलिया
टांगानिका, पेलेस्टाइन, इराक	ब्रिटिश सरकार
टोगोलैंड, केमरून	ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार

शासक सरकारों का कार्य—शासक सरकारों को क़ानून और शासन सम्बन्धी सब अधिकार प्राप्त हैं, और वे अपने अपने शासित राज्य के मूल निवासियों की मानसिक, नैतिक, आर्थिक आदि सब प्रकार की उन्नति करने के लिए राष्ट्र-

संघ के प्रति उत्तरदायी हैं। संघ की ओर से उन्हें यह आदेश रहता है कि इन राज्यों में दास-प्रथा तथा बेगार बन्द रहे तथा हथियार और युद्ध सम्बन्धी सामान के प्रवेश पर नियंत्रण रहे; मूल निवासियों के लिए शराब न दी जाय, तथा उन्हें पुलिस या आन्तरिक रक्षा के अतिरिक्त, अन्य सैनिक शिक्षा न दी जाय; इन राज्यों में किसी तरह का किला या सैनिक अड्डा न बनाया जाय, राष्ट्र-संघ के सब सदस्यों को वाणिज्य व्यापार करने का समान अवसर रहे, पादरी बेरोक जा सकें, और धार्मिक स्वतंत्रता रहे।

इन नियमों की उत्तमता में किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती। परन्तु क्या इनके अनुसार काम भी होता है? बहुधा अच्छे अच्छे सिद्धान्त और नियमों का भी अज्ञानी अथवा स्वार्थी आदमी या संस्थायें दुरुपयोग कर देती हैं। प्रायः साम्राज्यवादी राज्यों से उदारता की आशा करना ही व्यर्थ है। उदाहरणार्थ सेमोआ और इराक के विषय में कुछ बातें यहां दी जाती हैं।

सेमोआ का शासन—यहां प्रजा में बहुत अशान्ति है। उसके अधिकार-प्राप्ति के प्रयत्नों को बड़ी कठोरता-पूर्वक दमन कर दिया जाता है। अधिकारियों की ओर से कहा जाता है कि आन्दोलक अपने देश का हित नहीं समझते। बात असल में यह है कि वे अपने हित के लिए ही तो सेमोआ की शासन पद्धति में परिवर्तन चाहते हैं। इस समय वहां की व्यवस्थापक सभा में ग़ैर-सरकारी सदस्य बिलकुल कम हैं, और जो हैं, वे भी योरपियन मत-दाताओं द्वारा

चुने जाते हैं। शेष सब सदस्य न्यूज़ीलैंड के गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त सरकारी सदस्य होते हैं। मूल निवासियों सम्बन्धी विषयों में परामर्श देने के लिए कुछ नामज़द सेमोइयो की एक परिषद है। उसके लिए प्रायः सरकारी नीति का समर्थन करने वाले व्यक्ति ही नामज़द किये जाते हैं।

इराक़—यह फ़ारिस और अरब के बीच में है। इसे 'मेसोपोटेमिया' भी कहते हैं। यह राज्य पहले तुर्कों के अधीन था। महा युद्ध के बाद से, इसका शासन ब्रिटिश सरकार करती हैं। यद्यपि यह स्वाधीन कहा जाता है, और सन् १६२५ ई० से यहां पार्लिमेंट की स्थापना होगयी है; परन्तु वास्तव में यह ब्रिटिश सरकार के एक अधीन देश के समान है, यहां के बादशाह और मंत्री मंडल को नाम मात्र के अधिकार हैं।

इराक़ के पश्चिम उत्तर में मोसल है जो अपने मिट्टी के तेल के कुओं के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। जब इराक़ ब्रिटिश सरकार का आदेश-युक्त राज्य होगया, तो तुर्कों से इसकी सीमा सम्बन्धी और विशेषतया मोसल सम्बन्धी झगड़ा खड़ा होगया। इसे निपटाने के लिए एक कमीशन बैठा, पर उससे दोनों असंतुष्ट रहे। तुर्क और अंगरेज़ दोनों ने मोसल पर अपना अधिकार बतलाया। बात यहां तक बढ़ी कि इस मामले में अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को भी हाथ डालना पड़ा। तुर्कों का कहना था कि एक पूर्व संधि के अनुसार मोसल तुर्कों की अमलदारी में है और अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को उस संधि पर पुनः विचार करने का अधिकार नहीं।

अस्तु, अन्ततः मोसल इराक को दे दिया गया, और वह इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य में आगया।

आदेश कमीशन द्वारा जांच—प्रत्येक आदेश-युक्त राज्य की शासन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्र-संघ की परिषद् में उपस्थिति की जाती है, और, उसकी जांच आदेश कमीशन द्वारा होती है, जिस में अधिकांश सदस्य उस राज्य की शासक सरकार के नहीं होते। यदि आदेश कमीशन रिपोर्ट की किन्हीं बातों से संतुष्ट न हो, तो वह शासक सरकार से इनके विषय में जवाब तलब कर सकता है। यदि उसे किसी आदेश-युक्त राज्य की शासन व्यवस्था, शराब का व्यवसाय, आर्थिक समानता, सार्वजनिक शिक्षा और राजस्व आदि के विषय में ऐसी बातें जानने की आवश्यकता हो जिनका रिपोर्ट में उल्लेख या स्पष्टीकरण न हुआ हो, तो वह उसकी शासक सरकार से उन पर यथेष्ठ प्रकाश डालने के लिए अनुरोध कर सकता है।

आदेश कमीशन के ऐसे व्यवहार से शासक सरकारें बहुत अप्रसन्न होती हैं। कुछ शासक सरकारों का तो यही कहना है कि कमीशन का ऐसा करना अनधिकार चेष्टा है। लेकिन, यदि ऐसा न किया जा सके तो आदेश-युक्त राज्य और अधीन राज्य में अन्तर ही क्या रहा? जब यह सिद्धान्त मान्य है कि आदेश-युक्त राज्य अपनी अपनी शासक सरकार द्वारा, धरोहर की भांति, शासित किये जांय और लूट का माल न समझे जांय, तो इन राज्यों के शासन आदि का पूर्ण निरीक्षण तथा नियंत्रण रहना ही चाहिये।

आठवां परिच्छेद

प्रभाव क्षेत्र

प्राक्कथन—जब कोइ राज्य किसी देश से ऐसा समझौता कर लेता है कि इसे उसमें व्यापार करने, या पूंजी लगाकर उससे लाभ उठाने, का एकाधिकार अथवा विशेषाधिकार रहे, तो वह देश इस राज्य का प्रभाव क्षेत्र (Sphere of Influence) कहलाने लगता है। उपर्युक्त समझौते से इस राज्य को उस देश में कोई प्रभुता प्राप्त नहीं होती, तथापि बहुधा ऐसा होता है कि प्रभाव क्षेत्र बनाने वाला राज्य धीरे धीरे उसमें अपने राजनैतिक अधिकार भी बढ़ा लेता है, और अन्त में उसे अपना रक्षित राज्य ही बना छोड़ता है।

ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र—ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत प्रभाव क्षेत्र वे भू-भाग हैं जिनमें उन भागों का अपना राज होते हुए भी, अंगरेज़ों का प्रभाव अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। इनमें भिन्न भिन्न समय पर अंगरेज़ों का प्रभाव क्रमशः बढ़ा है। अंगरेज़ों ने इनमें प्रायः व्यापार करना आरम्भ किया, या कल कारखाने स्थापित किये, या वहां की सरकारों अथवा प्रधान व्यवसायियों को पूंजी उधार दे दी। इससे ब्रिटिश सरकार को उनसे ऐसा समझौता करने का

सुभीता हो गया कि वे इन्हें वहां रहने या व्यापार आदि करने के विशेष अधिकार दें।

पहले तो दक्षिण फ़ारिस तथा चीन का कुछ भाग भी ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र था, परन्तु अब वह ऐसे नहीं रहे हैं। इस समय ब्रिटिश सरकार के प्रभाव क्षेत्र निम्न लिखित हैं :—

(क) भूटान*

(ख) कुवेत, और

(ग) अरब का कुछ भाग।

भूटान—इसका क्षेत्रफल अठारह हज़ार वर्ग मील और जन संख्या लगभग चार लाख है। इसे अंगरेज़ सरकार से सालाना एक लाख रुपया मिलता है, और वह बाहरी मामलों में उसकी सलाह से काम करता है। राजवंश बौद्ध धर्मी हिंदू वंश से है। राजा को वहां के लोग धर्म राजा कहते हैं। भूटान से अंगरेज़ सरकार ने १७७४ में शांति की सन्धि की थी। इसकी सीमा पर भारत सरकार का रेजीडेन्ट रहता है। उसे इसके अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता *।

कुवेत—यह राज्य फ़ारिस की खाड़ी पर है। इसका शासक सुलतान कहलाता है। इसकी स्थिति सैनिक दृष्टि

* भूटान को किस श्रेणी में रखा जाय, इस विषय में मत भेद है। कुछ सज्जन तो इसे एक रक्षित राज्य मात्र समझते हैं।

से बहुत महत्व की है। इसे अपना प्रभाव क्षेत्र बनालेने से अंगरेज फारिस की खाडी पर एक प्रकार से प्रभुता प्राप्त कर सकते हैं। इस लिए ब्रिटिश सरकार ने इसके सुलतान से एक संधि की है, जिसके अनुसार यहां अंगरेज़ों का विशेष प्रभाव मान लिया गया है।

अरब का भाग—भारतवर्ष और पूर्व में आने के लिए, लाल समुद्र के रास्ते की सुरक्षा में इंगलैंड का स्वार्थ होने से, इंगलैंड ने अरब की जातियों से, और विशेषतया हेजाज के के राज्य से, राजनैतिक सम्बन्ध बना रखा है। पेलेस्टाइन और इराक इंगलैंड के आदेश-युक्त राज्य होने के कारण, हेजाज से उक्त सम्बन्ध बहुत महत्व का होगया है।

नवां परिच्छेद

मिश्र, तिब्बत, और नेपाल

इस परिच्छेद में यह बताया जायगा कि मिश्र, तिब्बत, और नेपाल का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध है। इनका अलग विचार किये जाने का कारण यह है कि ये साम्राज्य के अन्य भागों के साथ, किसी विशेष श्रेणी में नहीं रखे जा सकते।

मिश्र—यहां पहले तुर्क लोगों का राज्य था, और

प्रधान अधिकारी 'खेदिव' कहलाता था। यहां अपना प्रभाव जमाने के लिए इंगलैंड और फ्रांस ने पहले उसे यथेष्ठ ऋण दे दिया। पीछे उस ऋण को वसूल करने के लिए ये उसके राज्य में हस्तक्षेप करने लगे। सन् १८८२ ई० में अलेगज़ेंडरिया में एक दंगा होगया। मिश्र में रहनेवाले अंगरेज़ों की रक्षा के निमित्त, ब्रिटिश सरकार ने राजधानी पर अधिकार कर लिया। तब से 'खेदिव' ब्रिटिश एजन्ट के परामर्श के अनुसार शासन करने लगा। इस प्रकार मिश्र एक रक्षित राज्य सा होगया! गत योरपीय महायुद्ध के छिड़ जाने के थोड़े समय बाद खेदीव ने तुर्कों का पक्ष लिया। इस पर वह गद्दी से उतार दिया गया। मिश्र में टर्की के प्रभुत्व का अन्त कर दिया गया, और एक नये शासक को राज्याधिकारी बनाया गया; उसे 'सुलतान' का पद रहता है। इस समय से मिश्र ब्रिटेन का रक्षित राज्य घोषित किया गया। परन्तु मिश्र वाले अपनी स्वाधीनता का आन्दोलन करते रहे। अन्यान्य व्यक्तियों में जगलूलपाशा ने इस कार्य में बड़ा भाग लिया। सन् १९१९ ई० में जब ब्रिटिश सरकार ने लार्ड मिलनर की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाकर मिश्र के शासन सुधार का विचार करना चाहा तो मिश्र वालों ने उसका पूर्णतया बहिष्कार कर दिया, और वे स्वराज्य-प्राप्ति का आन्दोलन करते रहे। अन्ततः १९२२ ई० में मिश्र पर से ब्रिटिश सरकार का संरक्षण उठा लिया गया और उसे 'स्वतन्त्र' राज्य मान लिया गया। परन्तु आने जाने के साधन, वैदेशिक नीति, तथा सूडान के विषयों में अंगरेज़ों का ही हाथ रहा। तदनुसार १९२३ में शासन विधान रचा गया।

सन् १९२३ ई० की सन्धि के अनुसार मिश्र को इसे अपने शासन कार्य में स्वतन्त्रता है, परन्तु इसे ब्रिटिश हितों की रक्षा करनी होती है। इसके लिए यहां ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक हाई कमिश्नर रहता है। सन् १९२७ ई० में मिश्र और ब्रिटेन में एक सुलहनामे के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हुआ, उसकी शर्तों के अनुसार ब्रिटिश सरकार को मिश्र में सेना रखने का अधिकार है। मिश्र वाले अपनी स्वाधीनता के उद्योग में लगे हुए हैं।

तिब्बत—सिक्कम, भूटान, नेपाल, बर्मा और चीन की दृष्टि से तिब्बत का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है। ब्रिटिश सरकार से इसका सम्बन्ध स्थापित होने की कथा इस प्रकार है।* प्रथम बार सन् १७७४ ई० में ब्रिटिश भारत और तिब्बत में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ। क्रमशः इनमें व्यापार बढ़ने लगा। सन् १८८८ ई० में तिब्बत ने सिक्कम की सीमा के निकट लिंगतु नामक पहाड़ पर अधिकार किया। इसे ब्रिटिश सरकार अपने आधिपत्य में रखना चाहती थी, अतः उसने तिब्बत पर आक्रमण किया। १८९३ में, और फिर १९०४ में, दोनों में सन्धि हुई। पिछली सन्धि की कुछ शर्तें ये थीं:-

(क) तिब्बत अपने आयात और निर्यात (ब्रिटिश व्यापार) पर से चुंगी उठाले।

(ख) बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के, तिब्बत

* 'प्रताप' के आधार पर।

किसी भी विदेशी राष्ट्र को अपनी भूमि पट्टे पर या सर्वदा के लिए नहीं दे सकेगा, और न किसी प्रकार की मार्ग तथा खान सम्बन्धी कोई सुविधा या अधिकार किसी को दे सकेगा, और न तिब्बत का लगान किसी अन्य राष्ट्र को दिया जा-सकेगा। कोई भी राष्ट्र बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के तिब्बत के मामले में हस्तक्षेप न कर सकेगा और न कोई अपना एजन्ट भेज सकेगा।

सात वर्ष तक तिब्बत के शासन की बागडोर चीन के हाथ में रहने पर, सन् १९१२ ई० में उस पर दलाई लामा का अधिकार होगया। सन् १९१३ ई० में रूस और चीन में सन्धि होजाने से ब्रिटिश सरकार सतर्क हो गयी और बहुत वाद-विवाद के पश्चात् १९१४ में एक सन्धि-पत्र लिखा गया उसकी कुछ शर्तों का आशय यह था :-

(१) तिब्बत में चीन का प्रभुत्व स्वीकार किया गया, परन्तु वह उसे अपने सूबे में परिवर्तित नहीं कर सकता।

(२) ब्रिटिश सरकार तिब्बत के किसी भाग को अपने साम्राज्य में न मिलावेगी।

(३) तिब्बत की आन्तरिक स्वतन्त्रता स्वीकार की गयी।

(४) ब्रिटिश व्यापार एजन्सियों में ब्रिटिश सरकार के आदमियों की संख्या लासा में स्थापित चीनी सैनिकों की संख्या से तीन-चौथाई तक रह सकेगी।

(५) ग्यान्तसी में स्थापित ब्रिटिश एजन्ट व्यापारिक मामलों के सम्बन्ध में लासा जा सकेंगे।

महायुद्ध में तिब्बत ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। अब तो उनका सम्बन्ध और भी घनिष्ठ होगया। तिब्बत में ब्रिटिश सैनिक शिक्षा दी जाने लगी और ल्हासा तक तार भी लगा दिया गया। सन् १९२० में वहां ब्रिटिश सरकार का मिशन भेजा गया था। तथापि हाल में चीन में जो जागृति तथा राजनैतिक उत्थान हुआ है, उसका तिब्बत की राजनीति पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

नेपाल—चित्तौड़ के रावल समरसिंह का एक राजकुमार चित्तौड़ के ध्वंस होने पर भाग कर नेपाल के पहाड़ में चला गया था, वही नेपाल के गहलोत राजपूतों का मूल पुरुष हुआ। इस प्रकार शासन कर्ता गहलोत वंश के गोरखा (गौ रक्षक) क्षत्रिय हैं। नेपाल से अंगरेज़ों ने पहली सन्धि १७९२ में की; वह केवल व्यापार सम्बन्धी थी। दूसरी सन्धि १८०१ में हुई। यह बाद में खारिज होगयी, और शान्ति और मित्रता की सन्धि १८१६ में हुई।

नेपाल का प्रधान शासक महाराजाधिराज कहलाता है, ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी राष्ट्र इन्हें हिज़ मेजस्टी (His Majesty) लिखते हैं। वास्तविक शासन अधिकार प्रधान मंत्री या 'प्राइम मिनिस्टर' को है। दिल्ली दरबार आदि के समय ये ही सम्मिलित होते हैं। प्रधान मंत्री से नीचे जंगी लाट होता है, जो मंत्री के देहान्त पर प्रायः उसके पद का अधिकारी होजाता है। प्रधान मंत्री को नेपाल सरकार से महाराज की पदवी, तथा ब्रिटिश सरकार से, (भारतवर्ष के बड़े लाट, और हैदराबाद निज़ाम की तरह,) 'हिज एक्सलैंसी' (His Excellency) का खिताब रहता है।

नेपाल को भारत सरकार से प्रति वर्ष दस लाख रुपये मिलते हैं। उसकी सीमा पर एक अंगरेज़ रेज़ीडेंट रहता है, उसे आन्तरिक राज्य प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। वह केवल एक राजदूत की तरह रहता है। नेपाल का एक राजदूत ब्रिटिश सरकार रखती है। इस राज्य का क्षेत्रफल चव्वन हज़ार वर्ग मील, और जन संख्या पचास लाख है। वार्षिक आय लगभग ५ करोड़ रुपये हैं। इस राज्य की सेना में पचास हज़ार सिपाही हैं। अपने काम के लिए नेपाल अपनी तोपें आप ही ढाल लेता है।*

दसवां परिच्छेद

राष्ट्र संघ

सभी जातियों को यह समान अधिकार है कि वे अखिल मानव समाज की सभा में प्रतिनिधि या मेम्बर होकर रहें।

—पाल रिचर्ड।

आदेश युक्त राज्यों के शासन (सातवें परिच्छेद) में राष्ट्र-संघ का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश

* इस परिच्छेद में नेपाल (तथा पिछले परिच्छेद में भूटान) सम्बन्धी कुछ बातें श्री० जगदीशसिंह गहलोत कृत 'भारतीय नरेश' पुस्तक से ली गयी हैं।

साम्राज्य के अन्य भागों से भी इसका सम्बन्ध है, अतः यहां इस संस्था का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

राष्ट्र-संघ उन राज्यों की एक समिति है, जिन्होंने संगठन पत्र (Covenent) पर हस्ताक्षर करके यह प्रतिज्ञा की है कि वाह्य आक्रमणों से एक दूसरे की रक्षा करेंगे और परस्पर में, अथवा अन्य किसी भी राज्य से युद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि अपने झगड़ों को पंचायतके सम्मुख फ़ैसले या जांच के लिए न रखें, और तीन मास से लेकर नौ मास तक का समय व्यतीत न करदें। जो राज्य अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा, वह अन्य सब राज्यों का विरोधी समझा जायगा, जिनका यह कर्तव्य होगा कि उससे आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद करदें।

इस संघ का संगठन जनवरी १९२० ई० में हुआ। इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा (स्विटज़रलैंड) में है। मार्च सन् १९२७ ई० में ५५ राज्य इसके सदस्य थे।

संघ का कार्य—जिस प्रकार प्रत्येक राज्य के तीन कार्य होते हैं, व्यवस्था, शासन, और न्याय; इसी प्रकार राष्ट्र-संघ के भी ये ही तीन कार्य हैं। संघ के इन कार्यों को क्रमशः सभा (या एसेम्बली), कौंसिल, और अन्तर्राष्ट्रीय अदालत करती हैं। संघ की सभा के सदस्य वे सब राज्य होते हैं, जो राष्ट्र-संघ के सदस्य हों। प्रत्येक सदस्य-राज्य को तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, परन्तु उस का एक मत ही होता है। सभा के अधिवेशन जेनेवा में होते हैं।

संघ की कौंसिल में ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, इटली जर्मनी, और जापान, ये पांच स्थायी, तथा, अन्य नौ राज्य अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य प्रति वर्ष संघ की सभा के बहुमत से चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य हमेशा के लिए रहते हैं। इनका कभी चुनाव नहीं होता। यही कारण है कि संघ में साम्राज्यवादी राष्ट्रों का प्रभाव बहुत अधिक है, जैसा ये चाहते हैं, बहुत कुछ वैसा ही वहां निर्णय होजाता है।

संघ की संस्थाओं में विशेष उल्लेखनीय ये हैं:—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ,

(२) कर्मचारी विभाग या 'सेक्रेटेरियट',

(३) अर्थ सम्बन्धी संस्था,

(४) व्यापार सम्बन्धी संस्था,

(५) स्वास्थ सम्बन्धी संस्था,

(६) सामान लाने लेजाने सम्बन्धी, संस्था,

(७) आदेश कमीशन,

(८) सैनिक कमीशन,

(९) निरस्त्रीकरण कमीशन,

(१०) अफ़ीम कमीशन;

(११) समाज कमीशन, और

(१२) मानसिक सहयोग कमीशन।

अन्तर्राष्ट्रीय मज़दूर संघ के अधिवेशनों में मज़दूरों के

कुशल, स्वास्थ, उन्नति और रक्षा आदि सम्बन्धी विविध प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं; भिन्न भिन्न राज्यों में उन प्रस्तावों के अनुसार सुधार कराने का यत्न किया जाता है। आदेश कमीशन के विषय में पहले (सातवें परिच्छेद में) कहा जा चुका है। अन्य संस्थाओं का कार्य उनके नाम से प्रकट है।

ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्र-संघ—ब्रिटिश साम्राज्य के भागों में से, इंगलैंड, चार बड़े बड़े स्वाधीन उपनिवेश, आयरिश फ्री स्टेट, तथा भारतवर्ष राष्ट्र-संघ के सदस्य हैं। भारतवर्ष के, इसके सदस्य होने से विशेष लाभ इंगलैंड को ही होता है, क्योंकि इस देश की ओर से संघ में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भारत सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, भारतीय जनता के नहीं। अतः उन्हें हर दशा में इंगलैंड की आज्ञा पालन करनी, और संघ में उसका ही साथ देना होता है।

ब्रिटिश साम्राज्य, राष्ट्र-संघ की कौंसिल का स्थायी सदस्य है। स्वाधीन ब्रिटिश उपनिवेश और भारतवर्ष उन अस्थायी स्थानों के लिए चुने जाने के योग्य माने गये हैं, जिनकी समय समय पर संघ की सभा द्वारा पूर्ति की जाती है।

राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष—पहले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष की ओर से इस संघ की सभा में भाग लेने वाले व्यक्ति वास्तव में इस देश के प्रतिनिधि नहीं होते। भारत सरकार जिन्हें चाहती है, भेज देती है। भारतवर्ष के 'प्रतिनिधि मंडल' का मुखिया भी कोई ग़ैर-भारतीय ही होता है। यह स्थिति बहुत असंतोषप्रद है। संघ की सभा में,

भारतवर्ष की ओर से भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा निर्वाचित सज्जन ही लिए जाने चाहियें।

संघ का वार्षिक व्यय लगभग दस लाख पौंड होता है। भिन्न भिन्न सदस्य-राज्यों को इस व्यय के १,०१५ भागों में से एक या अधिक भाग देना होता है। ग्रेट ब्रिटेन १०५, तथा भारतवर्ष ५६ भाग देता है। अर्थात् भारतवर्ष को ग्रेट ब्रिटेन की तुलना में आधे से अधिक व्यय देना पड़ता है। परन्तु ग्रेट ब्रिटेन का प्रभाव तो उसमें बहुत अधिक है, और भारतवर्ष का प्रायः कुछ भी नहीं। पुनः संघ के बड़े बड़े पदों में से अधिकांश पर योरपियन और विशेषतः ब्रिटिश कर्मचारी नियुक्त हैं, परन्तु भारतवर्ष को इसमें पदाधिकार भी प्राप्त नहीं। यह इसे अवश्य मिलना चाहिये।

जबतक भारतवर्ष को संघ में अपना वास्तविक मत प्रकट करने और अपने समुचित पदाधिकारी रखने का अधिकार न हो, उसे इस संस्था से अलग रहना, और इस विषय के व्यय-भार से बचना ही, उचित है।

राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पूर्ति—राष्ट्र-संघ का निर्माण विशेषतया इस उद्देश्य से हुआ है कि यह युद्धों से होने वाली, मनुष्य जाति की भयंकर हानि को रोके; परन्तु यह संघ सारे संसार का नहीं है, इसके सूत्र-संचालक कुछ स्वार्थी राष्ट्र हैं। वे कहीं सभ्यता प्रचार के नाम पर, कहीं शासन कार्य की शिक्षा देने के बहाने से, कहीं निर्बलों की रक्षा के लिए ही, असंगठित या अवनत भू-खण्डों को अपने अधीन किये हुए हैं; हां, उनमें से कुछ को वे अधीन देश न कहकर आदेश-युक्त राज्य या रक्षित राज्य आदि नामों

से सम्बोधित करते हैं। फिर संघ के उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो? अन्यान्य बातों में, संघ कहता है कि विविध राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु उसके सदस्य-राष्ट्र ही नहीं, वे राष्ट्र भी जिनका इसमें विशेष बोल बाला है, आत्म रक्षा या व्यापार-वृद्धि आदि की आड़ में अपनी सेना आदि को भरसक बढ़ा रहे हैं। जबतक ऐसी स्थिति रहेगी, जबतक स्वार्थ त्याग के भावों का यथेष्ठ उदय न होगा, राष्ट्र-संघ कदापि वास्तव में लोक-प्रिय या उपयोगी नहीं हो सकता।

वर्तमान अवस्था में राष्ट्र-संघ दुर्बल राष्ट्रों के लिए बहुत भय-प्रद समझा जाता है। इसे मानव हितैषी बनाने के लिए इसके संगठन में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। आवश्यकता है कि संसार भर के प्रत्येक राष्ट्र को इसका सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाय। जिन कारणों से बहुत से राष्ट्र इसके सदस्य नहीं होना चाहते या नहीं हो सकते, उन पर सम्यक् विचार किया जाय और, उन्हें यथा शक्ति निवारण किया जाय। संघ की कार्य कारिणी कौंसिल के सब अथवा कम से कम आधे सदस्यों का चुनाव प्रति वर्ष होना चाहिये, शासन आदेश की प्रथा उठा दी जानी चाहिये, जो देश राष्ट्र-संघ के द्वारा दूसरों के अधीन किये गये हैं, या जो पराधीन हैं, उन्हें स्वाधीन किया जाना चाहिये, तथा आवश्यकतानुसार परामर्श या सहायता दी जानी चाहिये। इन बातों को व्यवहृत करने से, राष्ट्र-संघ द्वारा मानव जाति का बहुत हित-सम्पादन हो सकताहै।

परिशिष्ट

ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों का क्षेत्र फल, जन संख्या, और आय।

राज्य	महाद्वीप	क्षेत्र फल (वर्गमील)	जन संख्या (सन् १९२१ ई०)	वार्षिक आय (हज़ार पौंड)
साम्राज्य का मातृ देश				
ब्रिटिश संयुक्त राज्य	योरप	९४,६३,५	४,४१,९९,०००	८१,२०,६२
स्वाधीन भाग				
आयरिश फ्री स्टेट	,,	२७,०००	३१,६५,०००	२,७०,०८
स्वाधीन उपनिवेश				
केनेडा	उत्तरी अमरीका	३७,२९,६६५	८७,८८,०००	७,८३,४३
दक्षिण अफ्रीका का यूनियन	अफ्रीका	४,७२,३४७	६९,२९,०००	२,७१,०६
आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	२९,७४,५८१	५४,३६,०००	७,२२,८५
न्यूज़ीलैंड	,,	१,०४,७५१	१२,१९,०००	२,४७,२६
न्यूफ़ाउंडलैंड	,,	१,६२,७३४	२,६३,०००	२०,१३
अधीन देश				
भारतवर्ष	एशिया			
(क) ब्रिटिश भारत	,,	१०,९४,३००	२४,७१,२८,३९६	१३,१०,५२
(ख) देशी रियासतें	,,	७,३७,६६७	७,६६,९९,२००	अज्ञात

उपनिवेश विभाग के अधीन भू-भाग				
जिबराल्टर	योरप	२	२१,०००	१,६२
माल्टा	,,	१२२	२,१३,०००	८,६२
अदन, पेरिम	एशिया	९,०००	५५,०००	४१
लंका	,,	२५,३३२	४५,०५,०००	७७,०३
साइप्रस	,,	३,५८४	३,११,०००	६,६८
होंकोंग	,,	३९१	६,२५,०००	२८,७५
स्ट्रेट सेटलमेंट	,,	१,६००	८,८४,०००	६२,८३
वेहाई वाई	,,	२८५	१,५४,०००	२४
केनिया	अफ्रीका	२,१२,०००	२४,७५,०००	२४,३१
युगांडा	,,	१,१०,३००	३१,४५,०००	१४,७९
मारीशश	,,	८०९	३,८५,०००	अज्ञात
न्यासालैंड	,,	३७,८९०	११,७५,०००	३,२२
सेंट हेलिना, असेन्शन	,,	८१	४,०००	२२
शेसलीस	,,	१५६	२५,०००	५१
शमालीलैंड	,,	६८,०००	३,४४,०००	८१

राज्य	महाद्वीप	क्षेत्र फल वर्गमील	जन संख्या (सन् १९२१ ई०)	वार्षिक आय हज़ार पौंड
बसूटोलैंड	अफ्रीका	११,७१६	४,९८,०००	२,८२
बिचुआना लैंड	,,	२,७५,०००	१,५३,०००	१,०७
दक्षिणी रहोडेशिया	,,	१,४६,०००	८,०४,०००	१८,४२
उत्तरी रहोडेशिया	,,	२,९२,०००	९,३२,४००	३,७१
स्वाजीलैंड	,,	६,६७८	१,३४,०००	१,१०
नाइजीरिया	,,	३,३५,७००	१,८०,७१,०००	८,१२,६२
गेम्बिया	,,	४,१३४	२,००,०००	१८९
गोल्ड कोस्ट	,,	८०,०००	२०,७८,०००	५९,७२
सीरालोयन	,,	३१,१००	१५,४१,०००	६४६
बरमूडास	अमरीका	१९	२१,०००	२,४८
फाकलैंड और दक्षिणी जार्जिया	,,	५,६१८	३,०००	२,२१
ब्रिटिश गायना	,,	८९,४८०	२,९८,०००	१०,६६
ब्रिटिश हांडूरास	,,	८,५९८	४५,०००	२,०५
बहामास	,,	४,४०४	५३,०००	४,२०

बरबडोस	अमरीका	१६६	१,९६,०००	४,०४
जमेका आदि	,,	४,४३१	८,६४,०००	२०,२१
लीवर्ड द्वीप	,,	७१५	१,२२,०००	२,४७
ट्रिनीडाड	,,	१,९७४	३,६६,०००	१६,६३
विंडवर्ड द्वीप	,,	५१६	१,६३,०००	२,८४
पंपुआ	आस्ट्रेलेया	९०,५४०	२,७६,०००	१,१६
फ़िजी	,,	७,०८३	१,९७,०००	४,८८
शान्त द्वीप	,,	११,४५०	२,६५,०००	अज्ञात
रक्षित राज्य				
मलाया राज्य संघ	एशिया	२७,६४८	१३,२५,०००	१,००,९९
अन्य मलाया राज्य	,,	२३,४८६	११,२३,०००	२२,४८
सारवाक, बोरन्यू ब्रूनी	,,	७७,१०६	१०,००,०००	१०,३१
बैहरिंग द्वीप	,,	२५०	१,२०,०००	अज्ञात
सूडान	अफ्रीका	१०,१४,०००	५९,१२,०००	५०,१७
जंजीबार	,,	१,०२०	२,१७,०००	५,७९
आदेश युक्त राज्य				
इराक	एशिया	१,४३,२५०	२८,४९,०००	४३,२५

राज्य	महाद्वीप	क्षेत्र फल वर्गमील	जन संख्या (सन् १९२१ ई०)	वार्षिक आय हज़ार पौंड
पैलेस्टाइन	एशिया	९,०००	७,५७,०००	२६,४५
टांगानिका	अफ्रीका	३,६५,०००	४१,२२,०००	१५,५८
दक्षिण पश्चिमी अफरीका	,,	३,३२,४००	२,२८,०००	७,५३
केमरून	,,	३१,०००	५,५०,९००	अज्ञात
टोगोलैंड	,,	१२,६००	१,८८,०००	,,
न्यूगिनी	आस्ट्रेलेया	८९,२५२	४,००,७००	१,४६
पश्चिमी सेमाआ	,,	१,२५०	३८,९००	१,५०
नौरू	,,	१०	२,०००	१५
प्रभाव क्षेत्र				
भूटान	एशिया	१८,०००	३,००	अज्ञात
कुवेत	,,	अज्ञात	अज्ञात	,,
अरब का भाग	,,	,,	,,	,,

ब्रिटिश साम्राज्य की पैंतालीस करोड़ जनता में छः करोड़ तो अंगरेज़ तथा अन्य योरपियन हैं शेष उनतालीस करोड़ अनगोरे हैं। इनमें से बत्तीस करोड़ अकेले भारतवर्ष में हीं हैं। इससे साम्राज्य में भारतवर्ष की महत्ता स्पष्ट है।

पारिभाषिक शब्द

अ

अदालत Court
अबाध व्यापार Free Trade
अधिकार Right. Authority
,, जन्म सिद्ध— Birth-right
,,—विभाजन Decentralisation
,,—सीमा Jurisdiction
अधिकारी Official
अनियन्त्रित Absolute
अनिवार्य Compulsory
,,—सैनिक सेवा Conscription
अनुदार Conservative
अनुशासन Discipline
अन्ताराष्ट्रीय International
अभियुक्त Accused
अराजक Anarchist
अल्प मत Minority
अल्प वयस्क Minor
असहयोग Non-co-operation.
सविनय अवज्ञा Civil Disobedience
अवैध Unconstitutional
अस्त्र विधान Arms act
अहिंसात्मक Non-violent

आ

आदेश-युक्त Mandatory
आन्दोलन Movement
,, वैध—Constitutional-
आबकारी Excise
आबपाशी Irrigation
आय व्यय अनुमान पत्र Budget, Budget-estimate
आयात Imports.
आयात निर्यात कर Customs

इ

इत्तिलानामा Summon.
इंगलैंड की सरकार Home Govt.

इंगलैंड में होने वाला ख़र्चा (भारत का) Home Charges.

उ

उत्तरदायी Responsible.
उदार Liberal
उपनियम Bye-law. Regulation.
उपनिवेश Colony.
" राजकीय—Crown-
उपसभापति Vice-chairman Vice-president.
उम्मेदवार Candidate
उम्मेदवारी का प्रस्तावपत्र Nomination paper

क

कर Tax. Duty. Rate
"-उठा देना- Abolish a—
" दरिद्र रक्षा—Poor rate
"-दाता Rate payer.
" मनुष्य पर- Poll tax.
"-वसूल करने का ख़र्च Direct demands on revenue
"हैसियत-Tax on circumstances and property.

क़ानून Law. Act.
" अस्थायी—Ordinance
"-विज्ञान Jurisprudence
कांजी हौज़ Kine house.
काश्तकार Land holder. Tenant.
" शिकमी— Sub-tenant
काश्तकारी Tenancy
कुलीन राज्य Aristocracy
कूटनीतिक Diplomatic
केन्द्रीकरण Centralisation
केन्द्रीय Central
कौंसिल युक्त गवर्नर Governor-in-Council
क्रान्ति Revolution

ख

ख़र्च Expenditure Expense
ख़िराज Tribute
ख़ुफ़िया विभाग C. I. D. (Criminal Investigation Dept.)

ग

ग़दर Mutiny
गृह-कर House-Tax
गृह-युद्ध Civil war

गृह-सचिव Home Member
गुप्त सभा Privy Ccuncil
गुलामी Slavery
ग़ैर-सरकारी Non-offical
ग्राम्य क्षेत्र Rural area

च

चुंगी Octroy
चुनाव Election

ज

जन्म भूमि Motherland
ज़मींदार Land-lord
जल सेना Navy
जल सेना विभाग Admiralty
जाति People. Race.
जातिगत Communal
ज़ाब्ता दीवानी Civil Procedure Code
ज़िम्मेदारी Responsibilty
ज़िला District
जेल का पहरुआ Jail warder
जङ्गी लाट Comnander-in-Chief

द

दमन Repression.
दल Party
दलबन्दी नीति Party-politics.
दलित श्रेणियां Depressed Classes.
दस्तावेज़ Document
दाग़ियों का रजिस्टर Register of bad characters
दाय भाग Inheritance
दासत्व (दासता) Slavery
,,—से मुक्ति Emancipation
दीवानी Civil
,,—कार्य विधान Civil-Procedure Code
देश Country
,,—निकाला Transportation
,,—भक्त Patriot
,,—रक्षा National defence
देशी माल पर कर Excise
देशीयकरण Naturalisation
देशी रियासतें N..tive states

दोषी } Convict
दोषी ठहराना } Convict
दंड Penalty, Punishment, Sentence
,,—क़ानून Penal law
,, प्राण—Death sentence
,,—विधान Penal Code
द्वैध शासन Dyarchy
,, ,,—पद्धति ,,

न

नगर सम्बन्धी Civic
नज़रबन्दी Internment
नज़रसानी Review
नज़राना Tribute
नरेंद्र मण्डल Chamber of Princes
नरेश Ruler. Chief. King
नागरिक Citizen
नागरिक शास्त्र Civics
नामज़द Nominated
नाविक Naval
नियम Regulation Rule.
नियम संग्रह Code
नियंत्रण Control
निरीक्षण Inspection. Observation. Supervision
निर्माण कार्य, (सरकारी) Public works
निर्यात् Export
निर्वाचक Elector.
,,—समूह Electorate
,,—संघ Constituency
निर्वाचक सूची Electoral roll
निर्वाचन Election
,,—अधिकार देना Enfranchise.
,,—अधिकार छीन लेना Disenfranchise.
,,—अफ़सर Returning Officer
,,—पत्र Ballot paper.
,, पूरक— Bye-election.
नीति Policy
नौकरशाही Bureaucracy.
न्याय Justice. Equity.
,,—कर्त्ता वर्ग Judiciary.
न्यायाधीश Judge.
न्यायालय Court.

प

पट्टा Lease
पट्टीदारी Tenure. Land tenure.
पद के कारण Ex-officio.
पद्धति System.
परदेश से आकर रहना Immigration.
परदेशी Immigrant. Foreign.
परिवर्तन विरोधी Conservative.
परिषद् Council.
पर्चा डालना Ballot.
पुरातन प्रमी Conservative
पेश करना (मसविदा) Introduction
पंच Jury
पंचायती राज्य Commonwealth
प्रजा Subjects. Ryot
,,—तन्त्र Democracy
,,—वादी Democrat
प्रतिनिधि Representative. Delegate
,,—पत्र Proxy
,,—सभा (अंगरेज़ी) House of Commons
प्रतिवादी Defendent
प्रधान सेनापति Commander in-chief
प्रबन्धक अफ़सर Executive officer
प्रबन्ध कारिणी Executive
प्रभुता (प्रभुत्व) Sovereignty
प्रवास Emigration
प्रश्न रोकना Disallow a question.
प्रस्ताव Proposal, Resolution
प्राणदंड, फांसी } Capital punishment.
प्रान्त Province.
प्रान्तीय स्वराज्य Provincial autonomy.

फ

फ़ौजदारी Criminal
फ़ौजदारी विधान Criminal Procedure Code.
फ़ौजी Military.

ब

बदला Retalliation
बरी होना Discharge.

बहिष्कार Boycott.
बहुमत Majority.
बादशाह King. Crown.
बालिग़ Adult.
बेदख़ली Ejectment
बन्दोबस्त Settlement

भ

भर्ती, सेना में Recruitment
भारत मन्त्री Secretary of State for India
भारत रक्षा क़ानून Defence of India Act
भारत सरकार Govt. of India
भारतीयकरण Indianisation

म

मज़दूर दल Labour party
मत देना Poll. vote.
मताधिकार Franchise. Sufferage
मताभिलाषी स्त्रियां Suffer-egettes
मद Head
मध्यस्थता Arbitration
मसविदा (क़ानून का) Bill
महसूल Cess
महासभा Congress
मातृभूमि Motherland. Nativeland
मालगुज़ारी Revenue
मित्र राष्ट्र Allies
मियाद Time-limit
मुक़द्दमा Case
मुक़द्दमेबाज़ी Litigation
मुखिया Headman
मुद्दई Plaintiff
मौरूसी Hereditary.
मंडल Chamber, Federation
मन्त्री Minister
,,—दल Ministry
,,—मंडल Cabinet
,, प्रधान--Prime minister

र

रचनात्मक Constructive
रद्द करना Nagative, Veto
रक्षा Defence. Protection
रक्षित विषय Reserved subject
राज तन्त्र Monarchy
,, नियम बद्ध -- Limited (or Constitutional.)-
राजदूत Ambessador
राजद्रोह Sedition,
राजनीति Politics

राज विद्रोह Rebellion
राजस्व Finance
राज्य State
,, एकात्मक— Unitary-
,, कुलीन — Aristocracy
,,-क्रान्ति Rebellion
,,-परिषद् Council of-
,, रक्षित— Protected State
,, संयुक्त— United States. Fedral Govt.
राष्ट्र Nation
,,-संघ League of Nations
राष्ट्रीकरण Nationalisation
रियासत State.
रिसाला Cavalry

ल

लगान Rent
लेखन और भाषण Press & Platform

व

वादी Plaintiff
,,—प्रतिवादी Parties (to a suit)
वायु सेना Air force
व्यक्ति Individual. Person
,,—वाद Individualism.
व्यवस्था Legislation
व्यवस्थापक परिषद् Legislative Council.

श

शहीद Martyr.
शासक Administrator. Ruler.
शासन Administration.
,,—आदेश Mandate
,,—व्यवस्था Constitution

स

सदर आला Sub-judge
सदर मुकाम Head quarter
सदस्य Member
सनद Charter. Certificate
सनदी Patent
सपरिषद् गवर्नर Governer-in-Council
सभा, द्वितीय— Second chamber. Upper House.
सभा, भङ्ग करना Dissolve
सभापति President, Chairman
समिति Association. Committee. Trust
सम्मेलन Conference,
सम्राट Emperor

सरकार Government
सरकारी Official. Public
,,—मंतव्य —resolution
सरदार सभा (अंगरेजी) Br. House of Lords
सर्वदल सम्मेलन Round-table-confernce
सर्वोच्च शक्ति Paramount power
सहकारिता Co-operation
सहयोग Co-operation
साख Credit
साम्यवादी Socialist
साम्राज्य Empire
सिंचाई Irrigation
सुधार Reforms
,,-पाठशाला Reformatory
सचिव Secretary.
सत्ता Sovereignty.
सेक्रेटरियों का दफ्तर Secretariat
सेना Army, Force
,, आपत्काल— Reserve force
सैनिक Military.
संगठन Constitution, Organisation.

संघ Confederation. Federation. League.
संघात्मक (संघीय) Fedral
संधि Treaty
संरक्षण Protection.
संशोधन Ammendment. Revision.
स्थगित करना (अधिवेशन) Adjourn.
स्थानीय स्वराज्य Local self Govt.
स्थायी समिति Standing committee.
स्वतन्त्रता, Liberty.
स्वयं निर्णय Self-determination.

ह

हलका Circle
हवालात Lock-up
हस्तान्तरित विषय Transferred subject

क्ष

क्षतिपूर्ति Indemnity
क्षेत्र, प्रभाव— Sphere of Influence.

७—**देश भक्त दामोदर**—साहित्य प्रेमी और देश भक्त मारवाड़ी सेठ का जीवन चरित्र पढ़कर अपना जीवन उच्च बनाइये। मूल्य ॥)

८—**भारतीय चिन्तन**—चिन्तन करने योग्य राजनैतिक, अन्तर्राष्ट्रीय, आर्थिक, आदि विषयों का सुन्दर मनोहर वर्णन ॥।=)

९—**भारतीय राजस्व**—दो सौ करोड़ रुपये के वार्षिक सरकारी आय व्यय का ज्ञान प्राप्त कर, आर्थिक स्वराज्य प्राप्त कीजिये। मूल्य ॥।=)

१०—**निर्वाचन नियम**—भारतवर्ष की व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों के निर्वाचन नियमों की विवेचना। निर्वाचकों और उम्मेदवारों के लिये अत्युपयोगी। मूल्य ॥-)

११—**बाल ब्रह्मचारिणी कुन्ती देवी**—एक आधुनिक आदर्श महिला का मनन करने योग्य, सचित्र जीवन चरित्र। स्त्री शिक्षा की अनूठी पुस्तक। मूल्य १॥), १॥।), ३)

१२—**राजनीति शब्दावली**—राजनीति के एक हज़ार से अधिक हिन्दी-अंगरेज़ी, तथा आठ सौ अंगरेज़ी-हिन्दी पर्यायवाची शब्दों का उत्तम संग्रह। राजनैतिक पाठकों और लेखकों के लिये बहुमूल्य। मूल्य केवल ।-)

१३—**नागरिक शिक्षा**—(Elementary Civics) मिडल, नार्मल और ट्रेनिंग स्कूलों के विद्यार्थियों तथा साधारण योग्यता के पाठकों के लिए, सरल भाषा में, सरकार के कार्यों—सेना, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, उधोग धंधे, शिक्षा, स्वास्थ आदि विषयों का विचार। मूल्य ॥)

१४—**ब्रिटिश साम्राज्य शासन**—इंगलैंड की, तथा उसके साम्राज्य के स्वतंत्र तथा पराधीन भागों की शासन पद्धति का सरल सुबोध वर्णन (ले०— श्री० प्रो०दयाशंकर जी दुबे, एम. ए. एल-एल. बी., और भगवान दास केला) मूल्य केवल ॥।=) है।

भारतीय ग्रन्थ माला, वृन्दावन।